रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/92

REGISTERED NO. DL—33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 1992 (आषाढ़ 20, 1914)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 1992 (ASADHA 20, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

बम्बई-400005, दिनांक 10 जून 1992

सं० 137/12.01.001/92—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (7) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमा राशियां 26 जून, 1992 को समाप्त होने वाले पखवाड़े से प्रारंभिक नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ निवल मांग और मियादी देयताओं का भाग नहीं मानी जायेंगी।

कुमारी वि० विश्वनाथन,
कार्यपालक निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 29 मई 1992

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-एन० सी० ए० (8)/9/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके

आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र० संख्या	सदस्ता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	84663	श्री हर्ष कुमार साहनी, एफ० सी० ए०, सी बी एस-9, सोहना इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी० टी० करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110033	14-6-91
2.	85249	श्री संजय गुप्ता, ए०सी०ए०, 8-ए, तिलक ब्रिज, रेलवे कालोनी, नई दिल्ली-110001	1-3-92
3.	87236	श्री आनन्द मोहन बजाज, ए० सी० ए०, 'गारोज' चौड़ा मैदान, शिमला-171004	16-9-91
4.	87801	श्री गिरिश कुमार, ए०सी० ए०, 70, सैंट मार्टिन्स एवेन्यू, लीड्स 1 एस7 3एलएफ, यू० के०	9-12-91
5.	89593	श्री मनोज हेडा, ए०सी०ए०, एल-1/17ए, कालका जी, डी० डी० ए० फ्लैट्स, नई दिल्ली-110019	20-6-91
6.	90048	श्री राजेश चोपडा, ए०सी०ए०, के-46, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	14-2-92
7.	90156	श्री ललित कपूर, ए०सी०ए०, 77, ए० जी० सी०आर० एंक्लेव, दिल्ली-110092	23-2-92

ए० के० मजुमदार,
सचिव

सं० 3-एन० सी० ए० (8)/10/91-92 :—रेगुलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के रेगुलेशन 1983 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण-पत्र 9-12-1991 से रद्द समझे जाएगें क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता
1	2	3
1.	1754	श्री प्रकाश चन्द सूद, एफ० सी० ए०, ए-12/2, एस०एफ०एस० एकलेव, साकेत, नई दिल्ली - 110 017.
2.	2976	श्री हरदयाल सिंह, एफ० सी० ए०, केयर ओफ एच० एस० आहूजा एण्ड कं०, 61-एच, कनाट सर्कस, गोविन्द मैंसन, नई दिल्ली-110 001.
3.	12782	श्री अनिल प्रकाश, ए० सी० ए०, एस जे एस क्लोथिंग कं० लि०, 63, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, लंदन विन 5 डीएच, यूनाइटेड किंगडम
4.	15114	श्री हरी राम शर्मा, एफ० सी० ए०, केयर ओफ हरीराम एण्ड कं०, 16/63, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110035.
5.	17479	श्री अनिल कुमार जैन, एफ० सी० ए०, 94, दारियागंज, नई दिल्ली-110002.
6.	17926	श्री कुन्दन लाल पुरी, ए० सी० ए०, केयर ओफ एस० सी० जैन, एसिसटैंट डारैक्टर दि इंस्टीट्यूट ओफ कोस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स ओफ इंडिया, आईसीडब्ल्यूआई भवन, 3 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
7.	19090	श्री एस० रामन, ए० सी० ए०, 145, मरखाम स्ट्रीट, टोरोन्टो ओन्टारियो, एम6 जे 2 जी एच कनाडा
8.	25489	श्री के० एस० कैलाशनाथ, ए०सी०ए०, बी-2/62, (2 फ्लोर), जनकपुरी नई दिल्ली-110058
9.	71177	श्री महेन्द्रा पाल सिंह, ए० सी० ए०, 65, न्यू लाजपत नगर, लुधियाना

1	2	3
10.	80251	श्री ग्यान प्रदीप भारतिया, ए० सी० ए०, रोड नं० 8/14, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110026
11.	80471	श्री विजय नायर, एफ० सी० ए०, सीनियर फाइनेंशियल प्रोडिटर नैशनल बैंक आफ ओमान लि०, पो०ओ०बाक्स 3754, रुवी, मस्कट, सल्तनत ओफ ओमान
12.	80690	श्री सुरेश कुमार, एफ० सी० ए०, 4697/4, राम भवन, 21 दरिया गंज, नई दिल्ली-110002
13.	80744	श्री सुधीर कुमार गुलाटी, एफ०सी०ए०, केयर आफ डा० जगदीश चन्द्रा, 211, हंसाईड अजमेरी गेट, दिल्ली
14.	80815	श्री धनी राम, ए० सी० ए०, 96, माडल बस्ती, नई दिल्ली-110 005
15.	82022	श्री हरी ओम भाटिया, एफ० सी० ए०, एच-242, अशोक विहार फेज-I, दिल्ली-110052.
16.	82042	श्री अरविन्द कालिया, ए० सी० ए०, सी०-222, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048.
17.	82278	श्री रोहित रेलन, ए० सी० ए०, एस-233, पंचशिला पार्क, नई दिल्ली-110017.
18.	82397	श्री अशोक कुमार, एफ० सी० ए०, एफ-76, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015.
19.	82703	श्री राजीव नरूला, ए० सी० ए०, बी-66, सी० सी० कालोनी, अपोजिट आर० पी० बाग, दिल्ली-110007.
20.	83052	श्री प्रमोद कुमार, एफ० सी० ए०, सीजी-10, साहना इंडस्ट्रियल इस्टेट, 389, जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली-110033.
21.	83136	श्री मोहन लाल कंसल, एफ० सी० ए०, 14, मनीली स्ट्रीट, स्कारबोरो, ओन्टारियो, कनाडा एम० 1 डबल्यू० 3 आर 7
22.	83542	श्री नरेश कुमार चोपड़ा, ए० सी० ए०, 1 फ्लोर, राम सरूप आशोक कुमार, करियाना एण्ड ड्राइ फ्रूट मर्चेंट्स रैनक बाजार, जलंधर सिटी
23.	82433	श्री पवन प्रकाश गुप्ता, एफ० सी० ए०, 303, महावीर श्री हाऊस, 4771/23, भरत राम रोड़, दरिया गंज नई दिल्ली-110002.
24.	83694	श्री विमलराय खन्ना, एफ० सी० ए०, जी-1, जंगपुरा एक्सटैंशन, बिहाइन्ड ईरोज सिनेमा, नई दिल्ली
25.	83702	श्री बृज भूषण खुंगर, एफ० सी० ए०, 54, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
26.	83779	श्री रजत कुमार मेहता, ए० सी० ए०, 45-ए पोकेट बी, विकास पुरी एक्सटैंशन, नई दिल्ली-110018.
27.	84143	श्री कमलेश कुमार, ए० सी० ए०, एम.आई.जी-2 मा पोकेट ए, विकासपुरी एक्सटैंशन, आउटर रिंग रोड, नई दिल्ली
28.	84255	श्री रत्तन सिंह, ए० सी० ए०, एसिसटैंट मैनेजर, पंजाब फाइनैनशियल कोरपोरेशन, सैक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160017.
29.	84351	श्री अजय गोगिया, ए० सी० ए०, एच० नं० 4042, सैक्टर 46 डी, चण्डीगढ़-160017.
30.	84468	श्री ललित चावला, ए० सी० ए०, हाऊस नं० 7, सैक्टर 19-ए, चण्डीगढ़
31.	84571	श्री जे० विश्वनाथ, ए० सी० ए०, सी-2, 117 मोती बाग, नई दिल्ली-110021.
32.	84714	श्री प्रवीण कुमार बंसल, ए० सी० ए०, 104, एम० एम० हाऊस, 59, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055.

1	2	3
33.	84975	श्री रोहित आनन्द, ए० सी० ए०, 21/16, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060.
34.	85374	श्री संजीव कुमार गुप्ता, ए० सी ० ए०, 1 फ्लोर, डब्ल्यू पी–504, शिव मार्किट, अशोक विहार, दिल्ली–110052.
35.	85884	श्री सुरिन्दर कुमार, ए० सी० ए०, अक्षय राज आटो वेन, नियर मैन बस अड्डा, गुड़गांव (हरियाणा)
36.	86032	श्री सुनिल कुमार जैन, ए० सी० ए०, केयर ओफ यूनिलीवर अरेबिया पो० बोक्स नं०3148, दुबई (यू०ए०ई०)
37.	86038	श्री संजय कुमार बंसल, ए० सी० ए०, 12, कोम्युनिटी सैन्टर नं० 2, अशोक विहार फेज–2, दिल्ली–110052.
38.	86251	श्री अरविन्दर सिंह, ए० सी० ए०, 150/1, शहीद उधम सिंह नगर, जलंधर सिटी (पंजाब)
39.	87300	श्री अमित पांडे, ए०सी०ए०, परमानन्द इस्टेट, 104, फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली–110024
40.	87403	श्री करुण कुमार जैन, ए० सी० ए०, एक्स०1550, राजगढ़ कालोनी, स्ट्रीट नं० 9, दिल्ली-110031
41.	87434	श्री दिनेश सिंह यादव, ए०सी०ए०, डी-7, डी०डी०ए० एमआईजी फ्लैट्स, गुलाबी बाग, दिल्ली-110007
42.	87993	मिसिज लवलीन जैन, ए० सी० ए०, केयर आफ श्री सुनिल कुमार जैन, पोस्ट बाक्स 3148, दुबई (यू० ए० ई०)
43.	88400	श्री आर० वेंकट राव, ए० सी० ए०, 252, नर्मदा अपार्टमेंट्स, पाकेट-बी, अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019
44.	89128	मिस क्षमा वेंकटरमैया, ए० सी० ए०, सी-74, तक्षिला अपार्टमैंट्स, प्लाट नं० 57 पटपटगंज, इन्द्रप्रस्था एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
45.	89179	श्री आशित मारू, ए० सी० ए०, डब्ल्यू-56, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048
46.	89527	श्री संजय कुमार, ए० सी० ए०, 7263 रीइंडीयर ड्राइव, माल्टन मिसिसौगा, ओन्टारियो एल 4 टी 2एम6, कनाडा ।

ए० के० मजूमदार,
सचिव

सं० 3-एन० सी० ए० (8)/11/91-92—रेगुलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्य का कार्य करने का प्रमाण-पत्र उसके आगे दी गई तिथि से रद्द समझा जायेगा क्योंकि उसने कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था ।

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	86973	श्री सैयद शहीद जहीर, 903, आशादीप, 9 हैली रोड़, नई दिल्ली–110001	1–10–89

ए० के० मजुमदार,
सचिव

बम्बई–400005, दिनांक 16 मार्च 1992

सं० 3 डब्ल्यू०सी०ए० (4)/18/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा 1 (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से

सदस्यता वार्षिक शुल्क न भरने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया गया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	007467	श्री ए० पुरोहित प्रियावदन चुनीलाल 10-ए, साराभाई सोसायटी, साराभाई केमिकल्स के सामने वाडा वाडी, बरोडा-390007	9-12-91
2.	012706	श्री पटेल मनोहर शंकरभाई, पो० बो० नं० 41832, नैरोबी, केन्या	9-12-91
3.	015419	श्री पटेल प्रभाकर रसिकलाल, अल-शिरावी ग्रुप ऑफ केपनीस, पो० बो० नं० 93, दुबई, यू० ए० ई०	9-12-91
4.	030118	श्री शेठ यशवंत प्रताप, 8, साधना 10 रोड, खार, बम्बई-400051	9-12-91
5.	031486	श्री गोपनीनाथ पी०, मार्फत: पुरेकेम इंडस्ट्रीज लि०, 123/125, नामदी अजिकावे स्ट्रीट, पी० ओ० बा० 2701. लागोस, नाईजीरिया,	9-12-91
6.	033037	श्री शाह विक्रम बाबुलाल, बी० बी० शाह एण्ड कं०, 180/ए, डॉ० भडकमकर रोड, मिनरवा सिनेमा के सामने, बम्बई-400007	9-12-91
7.	035383	श्री पटेल भूपेंद्रा कानुभाई, 5, योगीकृपा अपार्टमेंटस, घोसा सोसायटी के पास, थालतेज रोड अहमदाबाद-380054	9-12-91
8.	036607	श्री चिन्नाकावनम गोविन्द-राज डी०, पी० ओ० बा० 4611, रुई, सलतनत आफ ओमान	9-12-91
9.	039370	श्री राजेन्द्र टी० शाह, 147, जयप्रकाश रोड, अंधेरी (प) बम्बई-400058	9-12-91
10.	041572	श्री गांधी प्यूश हसमुखलाल शांता भवन, बी० पी० रोड, विले पार्ले, (प०), बम्बई-400056	9-12-91
11.	043722	श्री महेश के० शेटये, रिवेन्यु आफिस, सदर, पोंडा, गोवा	9-12-91
12.	081411	श्री राजगोपाल जगन्नाथ, फ्लेट नं० 95 ए, मेहेर अपार्टमेंटस ग्रानेस्टी रोड, बम्बई-400026	9-12-91

ए० के० मजुमदार,
सचिव

दिनांक 19 मई 1992

सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (8) 17/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	017122	श्री देसाई योगेन्द्र कुमार, इंदुवाई, एफ० सी० ए०, पो० ओ० बाक्स 4102, रुई मसकत, सलतनत आफ ओमान।	9-4-92
2.	033203	श्री कानकिया किर्तीकुमार रमनीकलाल, एफ० सी० ए० के० आर० कानकिया एंड कं०, 402, राजगोर चेंबर्स, मस्जिद साइडिंग रोड, सूरत रोड, बम्बई-400009।	27-1-92
3.	033268	श्री वेद राजेश रजनीकान्त, बी० काम० (हानर्स), एफ० सी० ए० ब्लाक नं० 6, 3रा मंजला, तेजपाल बिल्डिंग, पंसुली क्रोस रोड, बम्बई-400007।	16-4-92

1	2	3	4
4.	034627	श्री शर्मा विजयकुमार हरीवल्लभ, एफ० सी० ए०, 405, "ए" लेन्सलोट बिल्डिंग, दातानी नगर के पास, एस० वी० रोड़, बोरीवली (प), बम्बई–400092 ।	30–3–92
5.	036158	श्री छाउबल प्रशांत वैजनाथ, एफ० सी० ए०, 3/सी, सर्वोदय भुवन, गोखले रोड़, नार्थ दादर, बम्बई–400028 ।	7–4–92
6.	036545	श्री बीमानी कमलकुमार शंकरलाल, एफ० सी० ए०, एस–3/10, सुन्दर नगर, मालाड (पश्चिम), बम्बई–400064 ।	1–4–92
7.	039221	श्री प्रारख लखीचन्द कपुरचन्द ए० सी० ए०, आर० के० देसाई एण्ड कं०, 281, जे० एस० रोड़, भीमराव हाउस, गिरगांव, बम्बई–400004 ।	20–3–92
8.	039610	श्री रमन सी० सुरेश, एसीए, 23/714, टेगोर नगर, विक्रोली, बम्बई-400083 ।	27–3–92
9.	040719	श्री कतयारा प्रकाश ईश्वरदास, ए० सी० ए०, 27, माताजी बंगलो, नेताजी सुभाष रोड़ मुलुंड, बम्बई–400080 ।	30–3–92
10.	041673	श्री तलसानिया जिनेश, किर्तीकुमार, ए० सी० ए०, 3/170, सम्राट अशोक, 7, आर० आर० ठक्कर मार्ग, मालाबार हिल, बम्बई–	20–3–92
11.	041783	श्री मेअरदालाल मौलीक गिरीष, ए० सी० ए०, दलाल देसाई एण्ड कुमाना, 23, सर पी०एम० रोड़, बम्बई–400001 ।	1–4–92
12.	042057	श्री मुकाशिवस्शासी विमय, ए० सी० ए०, मंदा निवास, तिलक नगर, डोंबिवली–421201 ।	26–3–92
13.	042685	श्री भोजक भास्कर महिन्द्र माल, ए० सी० ए०, बी० भास्कर एण्ड कं०, 21/246, श्री योगेश्वर अपार्टमेंट्स रामेश्वर अपार्टमेंट्स, के पीछे, नारापुरा, अहमदाबाद–380013 ।	13–3–92
14.	043807	श्री देसाई द्वियेश कांतिलाल, ए० सी० ए०, 2–बी, देवआशिश, पेडर रोड़, बम्बई–400026 ।	20–3–92
15.	043943	श्री मालकन हरेन्द्र लालचन्द ए० सी० ए०, बी०–3, माधव बाग, जांबली गली, एस० वी० रोड़, बोरीवली (प०), बम्बई–400092 ।	26–3–92
16.	044690	श्री नेहाते अनंत घामन, ए० सी० ए०, श्री एस० एस० बढे, ए–2, 1ला मंजला, इकोपा. गनसागर नगर, कलवा (प), थाना–400605 ।	24–3–92
17.	045328	श्री पाथरपेखर रोहान किशोर, ए० सी० ए०, 6ए, क्राउन मेन्शन सी,, फोरजेट स्ट्रीट, क्रास लेन, ग्वालिया टेंक, बम्बई–36 ।	01–4–92
18.	045392	श्री मोनॉय गणेश, ए० सी० ए०, ए/12, डिवाइन लैण्ड, जेसल पार्क, भयंदर (पूर्व), बम्बई–401105 ।	1–4–92

ए० के० मजुमदार,
सचिव

कलकत्ता-00071, दिनांक 19 मई 1992

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3–ई० सी० ए० (8)/1/92–93—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न-लिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्र माणपत्र उनके

आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	1073	श्री मिट्टर रोबिन्द्रा नाथ, एफ० सी० ए०, 3ए, मुरेन्द्रा नाथ चटर्जी रो, कलकत्ता–700038 ।	1–4–92
2.	2323	श्री गुप्ता रविकर, एफ० सी० ए०, 213, राश बिहारी एवेन्यु, गुप्ता कुटीर, 2 फ्लोर, कलकत्ता–700019 ।	1–4–92

ए० के० मजुमदार,
सचिव

दिनांक 22 मई 1992

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट)

नं० 3–ई० सी० ए० (4)/1/92–93—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधि-नियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	2384	श्री राज नन्दन ठाकुर, 16, मुंशी सद्दीन लेन, कलकत्ता–700007 ।	12–3–92
2.	4952	श्री सुसान्ता सरकार, 9, बोवाली मोन्डल, कलकत्ता–700026 ।	24–6–91
3.	7114	श्री प्रालै रंजन मजुमदार, प्राइस वाटरहाउस, बी–3/1 गिलैन्डर हाउस, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–700001 ।	27–3–92

ए० के० मजुमदार,
सचिव

दिनांक 2 जून, 1992

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

नं० 3–ई० सी० ए० (8)/5/91–92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	1999	श्री सेन गुप्ता असीम कुमार, एफ० सी० ए०, फ्लेट एस० डब्ल्यु–1, बालका अपार्टमेंसट् 64, लिक रोड, कलकत्ता–700029 ।	1–5–91
2.	10357	श्री शाह दीपक शान्तिलाल, ए० सी० ए०, 3/1, आशु बिश्वास रोड, भोवानिपो, कलकत्ता–700025 ।	1–12–91
3.	44999	श्री सरकार अतिन्द्रा कुमार, ए० सी० ए०, बी०एफ–234 सैक्टर–1, विधाम नगर, एस लेक, कलकत्ता–700064 ।	20–3–92
4.	50344	श्री जमात अली, एफ० सी० ए०, जमात अली एण्ड कं०, विलेज दियाकशिन बियरा, डिस्ट० 24 परगना, अरबालिया ।	19–11–91
5.	50933	श्री कानानी विजय एम०, एफ० सी० ए०, विजय कुमारी एण्ड कं०, 4, बी बी डी बाग, ईस्ट, कलकत्ता–700001 ।	11–12–91
6.	50947	श्री मित्रा सुनिर्मल, एफ० सी० ए०, 26/1, गरियाहाट रोड, कलकत्ता–700029 ।	2–1–92
7.	51455	श्री भट्टाचार्य सोमनाथ, ए० सी० ए०, 40/4, बल्ली गंज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता–700019 ।	30–3–92

1	2	3	4
8.	52560	श्री मेहता आनन्द चन्द्र, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 8, श्याम कुंज, 12/बी लोर्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-700071	27-12-91
9.	54324	श्री महेटी सुभाष चन्द्रा, ए० सी० ए०, 18, एस० पी० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700025।	1-10-91
10.	54556	श्री सराफ रमेश कुमार, ए० सी० ए०, 539, रविन्द्रा सरानी, फ्लैट नं० 29, कलकत्ता-700003।	27-2-92
11.	54991	श्री साहू सरल कुमार, ए० सी० ए०, एट/पी ओ बम्ना नगर, उड़ीसा, कटक-753012	26-10-91
12.	55299	श्री रामाकृष्णन एस०, ए० सी० ए०, 35के, मोतीलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700029।	16-11-91
13	55634	श्री टिबेवाल सुशील कुमार, ए० सी० ए०, मैसर्स श्री कृष्णा आटोमोबाइल्स, जी० टी० रोड, ईस्ट, आसनसोल-713303।	1-3-92
14.	88876	श्री मनोज कुमार भगत, ए० सी० ए०, वाटिका, पी० ओ० मंगलबाड़ी, मालदा-732142।	24-1-92

ए० के० मजुमदार,
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 21 मई 1992

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस ०सी० ए० (5)/2/92-93—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-एस० सी० ए० (4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर, 1990, 3-एस० सी० ए० (4)/9/91-92 दिनांक 1 जनवरी, 1992, 3-एस० सी० ए० (4)/8/87-88 दिनांक 30 दिसम्बर, 1987, 3-एस० सी० ए० (4)/10/86-87 दिनांक 27 फरवरी, 1987, 3-एस० सी० ए० (4)/11/88-89, दिनांक 27 जनवरी, 1989 और 3-एस० सी० ए० (4)/12/89-90—दिनांक 25 अक्तूबर, 1989 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	11758	श्री रमेश पाई एस०, एफ० सी० ए०, देव आशीष, 6 रोड, लक्ष्मीचन्द्रा नगर, उडुपी-576102।	21-4-92
2.	12910	श्री वीराराघवन एम०, ए० सी० ए०, 59, 4 मैन, बेट 7 एण्ड 8 क्रास, मालेश्वरम, बंगलौर-560003	15-4-92
3.	14548	श्री कोल्लुरी यू० एम० एस०/ एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउटेंट, पी० ओ० बाक्स-39514, नैरोबी, कीन्या।	6-4-92
4.	19925	श्री शंकरन आर०, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० सी 6, पावर अपार्टमेंट्स, 25, जाकरिया कालोनी, मैन रोड, मद्रास-600094।	8-4-92
5.	22078	श्री मुरलीधरन एस०, ए०सी० ए०, फाइनेन्स मैनेजर, ए एण्ड एम० पावर सौरसिस एस डी एन, बी एच डी 17/ई कीसेंट कोर्ट ब्रुकफील्ड्स कुआलालामपुर, मलेशिया।	16-4-92
6.	23647	श्री ईश्वर आर० वी०, ए० सी० ए०, फ्लैट 1, ग्राउन्ड फ्लोर, टाइप 6, सी० जी० क्वार्टर्स, निजाम पैलेस, 234/4, ए० जी० सी० बोष रोड, कलकत्ता-700 020।	21-4-92
7.	24339	श्री कुरियन, टी० के०, ए० सी० ए०, ठेक्केठालाकल पुथिननगाडी, कोट्टायाम-686 001।	28-4-92

1	2	3	4
8.	24573	श्री जोय जोसेफ, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 1113, सैटेलाइट एव कालोनी, पात्रामुगल, कक्कानाड पी० ओ०, कोचीन-682 030 ।	7-4-92
9.	27134	श्री श्रीकान्थ पी० एस०, ए० सी० ए० 79, कामराज, एवेन्यू, अड्यार, मद्रास-600 020 ।	28-4-92
10.	28790	मिस गोमथी एस०, ए० सी० ए० एकाउन्टैन्ट बेनहम कैपिटल, एम एन जी टी ग्रुप, 1665, चार्लसटन रोड, माउन्टैन व्यू, सीए 94043, यू० एस० ए० ।	21-4-92
11.	29761	श्री रमेश बाबू वाई०, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, नं० 23, मिलर्स रोड, किलपोक, मद्रास-600 010	2-4-92

ए० के० मजुमदार,
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 31 मार्च 1992

(चार्टर्ड एकौउन्टेंट)

सं० 3-सी०सी०ए०(5)(9)/91-92—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3 एन० सी० ए०(4)(9)/83-84 दिनांक 31-3-84, 3 सी०ए० (4)(1)/85/86 दिनांक 31-3-86, 3-सी०सी०ए० (4)(6)/91-92 दिनांक 26-12-91, 3-सी०सी० ए० (4)(7)/90-91 दिनांक 30-11-90, 3 सी० सी०ए० (9)(3)/89-90 दिनांक 9-11-89, 3 सी० सी० ए०, (4)(2)/87-88. दिनांक 8-6-87, 3 सी०सी०ए० (4)(8)/91-92, दिनांक 28-1-92, 4 सी० ए०(1)(20)/77-78, दिनांक 18-2-78 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसर में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्न-लिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

क्रम संख्या	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	005917	मि० के० रामामोहन राव, ए० सी० ए०, डी-1/9, एके टाउन, टेलको कालोनी, जमशेदपुर ।	28-10-91
2.	013654	मि० रामा कान्त नागपाल, ए० सी० ए०, ई-4/49, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 ।	30-1-92
3.	014475	मि० लक्ष्मी नरायन निगम, एफ० सी० ए०, 17/14, दि माल, नियर फूल बाग क्रासिंग, कानपुर-1	16-1-92
4.	017978	मि० कुन्ज बिहारी केयाल एफ० सी० ए०, के०ए०-2, मीना भवन, काठमाण्डु नेपाल ।	14-9-91
5.	070863	मि० उम्मेद मल जैन, एफ० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट मैसर्स उम्मेद जैन एण्ड कम्पनी भारत भवन, मोती डोगरी रोड, जयपुर-302 004 ।	9-12-91
6.	071113	मि० सुरेन्द्र कुमार तलवार, ए० सी० ए०, 38/6, राइट गंज, गाजियाबाद-201 001	16-12-91
7.	071292	मि० युवराज कुमार मेहरा, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, मैसर्स वाई० के० मेहता एण्ड कम्पनी, 21, फेन्डस कालोनी, स्वरूप नगर, कानपुर ।	9-12-91

1	2	3	4
8.	071531	मि० जगमोहन गुप्ता, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, उम्मेद जैन एण्ड कम्पनी, भारत भवन, मोती डोंगरी रोड, जयपुर।	9-12-91
9.	071577	मि० धर्मेन्द्र कुमार, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 12-ए, मानसरोवर मेरठ-248001।	9-12-91
10.	072029	मि० अनिल कुमार गुप्ता, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, मैसर्स अभिनय अनिल एण्ड एसोसिएट, 75/6, हालसी रोड, कानपुर-208001।	9-12-91
11.	072764	मि० शिम्भू दयाल सर्राफ, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, मैसर्स, एस० डी० सर्राफ एण्ड कंपनी, ओवर शाप नं० 216, 217, किसानपोली, बाजार, जयपुर।	9-12-91
12.	073058	मि० सुमित नीलकानदान कुमार, ए० सी० ए०, केयर आफ मि० डी० टंगरी, 13, कम्मोडोर सरकिल, बालदबिनशिबली, न्यूयार्क 13027, यू०एस०ए०।	9-12-91
13.	073293	मि० भूपेन्द्र कुमार, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 407, सिविल लाइन्स, देवगढ़ रोड, ललितपुर।	9-12-91
14.	073705	मि० अनिल कुमार मेहतो, ए० सी० ए०, 46, सी० पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी, नियर रिकटिया भैरोजी चौराहा, जोधपुर।	9-12-91
15.	073906	मि० आनन्द कुमार बाजपेई, ए० सी० ए०, 2ए/361, आजाद नगर, कानपुर।	9-12-91
16.	074464	मि० मनोज कुमार जिन्दल, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, भागता डी दुकान, एम० जी० रोड, रायपुर।	9-12-91
17.	082477	मि० अशोक कुमार, ए० सी० ए०, डि० डायरेक्टर (एफ० एण्ड ए०), ओ० एन० जासी तेल भवन, देहरादून-248003।	21-2-92
18.	083841	मि० राधेश्याम मंगल, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, केयर आफ : आर० के० धमानी एण्ड कंपनी, 1314, तहसीलदार भवन, फस्ट फ्लोर, बाबा एच० सी० मार्ग, चांदपोले बाजार, जयपुर-307026।	9-12-91
19.	084588	मि० राकेश कुमार, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 8, अलकापुरी, अलवर-301001।	9-12-91
20.	086652	मि० पंकज कुमार सिन्हा, ए० सी० ए०, आर/एफ 253, लोहिया नगर, पटना-800 020।	11-12-91
21.	089294	मि० अविश कुमार जैन, ए० सी० ए०, 258 डी, आदर्श नगर, कानपुर-208010।	9-12-91

ए० के० मजुमदार,
सचिव

कानपुर, दिनांक 24 मई, 1992

सं० 3 सी० सी० ए० (8)(1)/92-93—रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10(2) (बी०) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण पत्र उनके आगे दी गयी तिथि से रद्द समझा जायेगा। क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था :

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	17350	महेशचन्द्र महेश्वरी, एफ० सी० ए०, वाइस प्रेसीडेन्ट (कामर्स एवं फाइनेन्स), गरसिम इन्डस्ट्रीज लि०, (टैक्सटाइल डिवीजन), बिरला नगर, ग्वालियर-474004	9-12-91

ए० के० मजूमदार,
सचिव

सं० 3सी०सी०ए०(8)(2)/92-93—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम सन् 1988 के विनियम 10(1) खण्ड-3 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गयी तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं, क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	039365	मि० पंकज कुमभाट, ए० सी० ए०, रियान इन्वेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड ईस्ट, परफियूम डिवीजन, पो० बाक्स नं० 879, मस्कट (सल्तनत आफ ओमेन),	15-3-92
2.	070089	मि० आलोक अग्रवाल, एफ० सी० सी०, रजनीगन्धा एपार्टमेन्टस, सेकेण्ड फ्लोर 3 गोखले मार्ग, लखनऊ-226001	23-3-92
3.	073464	मि० अलोक मिश्रा, ए० सी० ए०, 33-ए, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226005	1-4-92
4.	074240	मि० दीपक मेहता, ए०सी०ए०, दीपक मेहता एण्ड कंपनी, 16, बिहाइन्ड खादी भंडार, रटान्डा, जोधपुर-342001	1-4-92
5.	74251	मि० धनराज चौहान, ए० सी०ए०, ग्यारहवीं, बी-2, रोड पोयटा, जोधपुर-342006	5-4-92

ए० के० मजूमदार,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून, 1992

सख्या : यू-16/53/90-चि०-2(महाराष्ट्र) — कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 की हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को महाराष्ट्र क्षेत्र [क्षेत्रों का आबंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी जोन) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उनके निम्नलिखित अवधि या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशों के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

क्रम सं०	नाम	स्थान	अवधि
1.	डा० (श्रीमती) कमला गुप्ता,	पूर्ण	एक वर्ष के लिए 1-6-92 से 31-5-93 तक
2.	डा० (श्रीमती) एस० कर्मसारे,	दादर केन्द्र	एक वर्ष के लिए 27-6-92 से 26-6-93 तक

डा० (श्रीमती) ए० ए० अम्बेकर,
चिकित्सा आयुक्त

संख्या : यू-16/53/1/90--चि० 2(महाराष्ट्र) संग्रह-1-कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-83 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इनके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को बम्बई क्षेत्र [क्षेत्रों का आबंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी जोन) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उनके निम्नलिखित अवधि या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

1. डा० जोशी प्रदीप रंगनाथ	एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ।
2. डा० (श्रीमती) कमला भटनागर	—वही—

डा० (श्रीमती) ए० ए० अम्बेकर
चिकित्सा आयुक्त

संख्या : यू-16/(53)/88--चि० 2 (गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या: 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर इसके द्वारा डा० आर० टी० मारफतिया को मानकों के अनुसार देय मासिक पारिश्रमिक पर 1-7-92 से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा निर्धारित अहमदाबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

डा० (श्रीमती) ए० ए० अम्बेकर,
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 1992

सं० 5/92--भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 (1) के अनुसार यथोअपेक्षित निगम के निदेशक बोर्ड तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुमोदन से "औद्योगिक वित्त निगम के अधिकारियों (कर्मचारियों) द्वारा सेवा-निवृत्ति पश्चात निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रोजगार-स्वीकृति विनियम, 1978" के विनियम 5 को संशोधित किया है । संशोधित विनियम इस प्रकार है :—

"निगम की सेवा से सेवा-निवृत्त सभी अधिकारियों के वाणिज्यिक रोजगार का विनियम निम्नानुसार गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा :—

1. कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा)
2. महाप्रबन्धक (प्रशासन एवं कार्मिक)
3. विधि सलाहकार / विधि विभाग का प्रभारी"

2. संशोधित विनियम, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएगा ।

के०के० वार्ष्णेय,
महाप्रबन्धक (प्रशा एवं कार्मिक)

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जून 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/2022--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची- II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-1

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के. भ. नि. अ. फा० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० रामाकृष्ण केमिकल्ज लि०, 1/22ए, रेलवे स्टेशन रोड, गांधीनगर, कुडप्पा-516064 (ए० पी०)	ए० पी० /6376	एस35014/170/82/ पी० एफ०-11(एस.एजस.-II) दिनांक 27-5-86	26-5-89	27-5-89 से 26-5-92	2/1453/86 डी० एल०.आई०
2.	मै० वेलजस हाडरेयाड लि० 9-ए, आई० डी०ए० फेज-I, पटनचेरू-502319 मेडक जिला (ए०पी०)	एपी/13131	2/1959/डी०एल०आई०/ एक्जाम/89 भाग-1/5436, दिनांक 24-9-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/3026/90 डी० एल० आई०
3.	मै० आई० डी० सी० इलैक्ट्रोनिक्स लि० प्लाट नं० 40-46, भाग-ए, आई०डी०ए० चेरापाली डाकखाना, हिन्दुस्तान केबल लि० हैदराबाद-500051	एपी/18161	2/1959/डी०एल०आई०/89 भाग-1, दिनांक 27-3-90	31-12-91	1-1-91 31-12-93	2/2410/90 डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के

हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/2030—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची 1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ०नि० आ०
1.	मै० सैन्ट्रल बाईन्स 3-6-364 एम० जी० रोड, हैदराबाद	ए० पी० /3338	1-3-90 से 28-2-93	2/4206/92 डी०एल० आई०
2.	मै० ए० पी० आई० ग्लास डिवीजन आफ हिन्दुस्तान बेनीटरी वारा एंड इन्डस्ट्रीयल लि० पी० बी० 1930, बरादानगर, हैदराबाद-500018	ए० पी०/4133	1-12-87 से 30-11-90	1/4207/92 डी० एल० आई०
3.	मै० चंदामामा प्रेस (हैदराबाद) प्रा० लि०, नं० 11, 12, 13 नयाराम आई० डी० ए० हैदराबाद-501507 (साथ में इसकी सभी शाखाएँ जो इस बोर्ड नं० स्थित है)	ए०पी० /16930	1-11-89 से 31-10-92	2/4204/92 डी० ए० आई०
4.	मै० मंगलचंद एलोज एंड ऐफीनरीज रोड, नं० 4 रोड, नं० 9 आर० डी० ए० नयाराम, हैदराबाद-501507 (साथ में सभी शाखाएं जो इस कोड नं० में स्थित हैं)	ए०पी०/16967	1-12-88 से 30-11-91	2/4205/92 डी० एल० आई०
5.	मै० करनाल जिला कोप मार्केटिंग सोसाइटी लि०, करनाल-पी० बी० नं० 518, (साथ सभी शाखाएं जो इस कोड नं० में स्थित हैं)	ए० पी०/17071	1-4-88 से 31-3-91	2/4203/92- डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिन्हें स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख को भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/2038—जहां मैसर्स बाला जी फूड्स एण्ड फीड्स (प्रा.) लिमिटेड, वेंकटेश्वारा हाउस, मकान नं. 3-5-808 एंड 808/1, हैदरगुडा, हैदराबाद (ए. पी./7051) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है) जिसके इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-1 दिनांक 19-12-89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 1-3-92 से 28-2-95 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-95 भी शामिल है ।

अनुसूची- I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधि वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

एअर इण्डिया

बम्बई, दिनांक 23 जून 1992

एअर इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि विनियम 1954

मुख्या/66-1/—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 (2) (ख) एवं 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एअर इंडिया ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, इसके द्वारा एअर इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

1. (1) इन विनियमों को एअर इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधित) विनियम, 1992 कहा जा सकता है ।

(2) ये विनियम 1-6-1989 से लागू होंगे ।

(3) एअर इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1954 में विनियम 14 (1) एवं (2) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :

प्रत्येक सदस्य निधि में प्रति माह उसके द्वारा उस माह के लिए अर्जित वेतन के दस प्रतिशत की दर से अभिदान करेगा और वह राशि कार्पोरेशन द्वारा सदस्य के मासिक वेतन में से वसूल कर ली जाएगी। कोई भी सदस्य समय-समय पर अपने अभिदान माह के लिए अर्जित वेतन के 20 प्रतिशत तक की किसी भी दर तक बढ़ा सकता है, परन्तु उस नई दर की सूचना बोर्ड के सचिव को उन तारीखों तक दे दी जानी चाहिए, जो बोर्ड का अध्यक्ष समय-समय पर निश्चित करे।"

2. कार्पोरेशन हर माह निधि में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर किन्तु किसी भी स्थिति में उस माह के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन के दस प्रतिशत से ज्यादा न होने वाली राशि का अंशदान निधि में नियोजक के अंशदान के रूप में करेगा।

जे० आर० जगताप
सचिव

भारतीय भेषजी परिषद्

शिक्षा विनियम—1991

(फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए)

(फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 10 के अधीन बनाए गए विनियम)

(भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्रांक वी० 13016/1/89-पी० एम० एस० दिनांक 2 अगस्त, 1991 द्वारा अनुमोदित एवं भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा प्रकाशित)

नं० 14-55/87-पी० सी० आई०

फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय फार्मेसी परिषद् एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

अध्याय-I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन विनियमों का नाम शिक्षा विनियम, 1991 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. फार्मेसिस्टों के लिए अर्हता : फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता फार्मेसी (भाग-I और भाग-II) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना तथा फार्मेसी (भाग-III) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा करना होगा।

अथवा

भारतीय फार्मेसी परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अर्हता जो उपर्युक्त अर्हता के समतुल्य हो।

3. फार्मेसी भाग-I और भाग-II में डिप्लोमा का अर्थ इन विनियमों के अध्याय-II में निर्धारित पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होगा।

4. फार्मेसी भाग-III में डिप्लोमा का अर्थ इन विनियमों के अध्याय-III में निर्धारित किए गए अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण पत्र होगा।

अध्याय-II

5. फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I और भाग-II) :

डिप्लोमा फार्मेसी भाग-I पाठ्यक्रम के लिए दाखिले हेतु न्यूनतम अर्हता :—भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों के साथ निम्नलिखित किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण जिसमें उपयुक्त विषयों के कुल मिलाकर अंक 60 प्रतिशत हों :—

(1) विज्ञान में इंटरमीडिएट परीक्षा,

(2) विज्ञान में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष,

(3) विज्ञान में 10+2 परीक्षा (एकेडेमिक स्ट्रीप)

(4) डिग्री पूर्व परीक्षा, अथवा

(5) कोई अन्य अर्हता, जो उपर्युक्त परीक्षाओं के समतुल्य हो और जो भारतीय फार्मेसी परिषद् द्वारा अनुमोदित हो।

6. पाठ्यक्रम की अवधि : इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 शैक्षिक वर्ष होगी, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष कम से कम एक सौ अस्सी कार्य दिवसों का होगा तथा इसके अतिरिक्त 500 घंटें का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा जो कम से कम तीन महीने तक चलेगा।

7. पाठ्यचर्या : फार्मेसी भाग-I में डिप्लोमा और फार्मेसी भाग-II में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या में नीचे सारणी-I, और II में दिए गए विषय होंगें। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष के शिक्षण के लिए प्रत्येक विषय पर लगाए गए घंटें नीचे सारणी के स्तम्भ 2 और 3 में उक्त विषयों के सामने निर्दिष्ट घंटों से कम नहीं होंगें :—

सारणी-I

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I)

विषय	सिद्धांत पक्ष के लिए घंटे	व्यावहारिक पक्ष के लिए घंटे
औषध-निर्माण विज्ञान-I .	75	100
भैषजिक रसायन-I . .	75	75
भेषज अभिज्ञान . .	75	75
जीव रसायन तथा नैदानिक विकृति विज्ञान . .	50	75
मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान . .	75	50
स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी .	50	—
	400	375-775

सारणी-II

फार्मेसी (भाग II) में डिप्लोमा

विषय	सिद्धांत (थ्योरी) के घंटों की संख्या	प्रयोग (प्रैक्टिकल) के घंटों की संख्या
औषध निर्माण विज्ञान-II .	75	100
भेषजिक रसायन-II . .	100	75
भेषज गुण विज्ञान और विष विज्ञान . .	75	50
व्यवहार भैषजिकी . .	50	—
औषध भण्डारण तथा व्यापार व्यवस्था . .	75	—
अस्पताल तथा क्लिनिक फार्मेसी (भेषजी) . .	75	50
	450	275 =725

8. उक्त सारणी में अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिए पाठ्य चर्चा वही होगी जो परिशिष्ट "क" में इन विनियमों के लिए विनिर्दिष्ट है ।

9. अध्ययन के पाठ्यक्रम को चलाने वाले प्राधिकरण का अनुमोदन :

विनियम 7 के अन्तर्गत निर्धारित नियमित शैक्षिक अध्ययन का पाठ्यक्रम भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 2 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुमोदित किसी संस्था में चलाया जाएगा बशर्ते कि भारतीय फार्मेसी परिषद् इस विनियम के अंतर्गत किसी संस्था को तब तक अनुमोदित नहीं करेगी जब तक कि वहां भवन, स्थान, उपस्कर तथा अध्यापन स्टाफ से संबंधित व्यवस्था न कर ले जैसा कि विनियमों के परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट है ।

10. परीक्षाएं : फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-1) के लिए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के छात्रों की परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षा तथा फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-II) के लिए छात्रों की परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जायेगी । प्रत्येक परीक्षा हर वर्ष दो बार आयोजित की जा सकती है प्रथम वर्ष में प्रथम परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी तथा द्वितीय परीक्षा फार्मेसी (भाग-I) में डिप्लोमा अथवा फार्मेसी (भाग-II) में डिप्लोमा, जैसा भी मामला हो के लिए पूरक परीक्षा होगी। परीक्षाएं लिखित अथवा व्यावहारिक (मौखिक परीक्षा सहित) किस्म की होंगी जिसमें विषय के प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम कितने अंक होंगे यह नीचे सारणी- तथा IV में निर्दिष्ट है :—

सारणी III

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-1) परीक्षा

विषय	सैद्धान्तिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक			व्यावहारिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक		
	परीक्षा	*सत्र परीक्षा	कुल	परीक्षा	सत्र. परीक्षा	कुल
औषध-निर्माण विज्ञान-II . . .	80	20	100	70	30	100
भेषजिक रसायन-II . . .	80	20	100	70	30	100
भेषज अभिज्ञान . . .	80	20	100	70	30	100
जीव रसायन तथा नैदानिक विकृति विज्ञान .	80	20	100	70	30	100
मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान .	80	20	100	70	30	100
स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी .	80	20	100	—	—	—
कुल .			600			500 =1,100

*आन्तरिक मूल्यांकन

सारणी—IV

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-II) परीक्षा

विषय	सैद्धान्तिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक			व्यावहारिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक		
	परीक्षा	*सत्र-परीक्षा	कुल	परीक्षा	सत्र-परीक्षा	कुल
औषध-निर्माण विज्ञान-II	80	20	100	70	30	100
भैषाजिक रसायन-II	80	20	100	70	30	100
भेषज गुण विज्ञान और विष विज्ञान	80	20	100	70	30	100
व्यवहार भेषजिकी	80	20	100	—	—	—
औषध भण्डारण तथा व्यापार व्यवस्था	80	20	100	—	—	—
अस्पताल तथा क्लिनिक फार्मेसी (भेषजी)	80	20	100	70	30	100
कुल			600			400
					—	1,000

*आन्तरिक मूल्यांकन ।

11. फार्मेसी में डिप्लोमा भाग-I परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता :

फार्मेसी (भाग-I) डिप्लोमा परीक्षा में बैठने के पात्र केवल वे ही छात्र होंगे जो उस शैक्षिक संस्था के प्रमुख से, जिसमें उसने फार्मेसी में डिप्लोमा भाग-I के पाठ्यक्रम में भाग लिया है, यह प्रमाणित करने के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक विषय में प्रत्येक पृथक् रूप से आयोजित की गई सिद्धांत और प्रयोगिक दोनों कक्षाओं में कम से कम 75% में उपस्थित रह कर नियमित और संतोषजनक ढंग से पाठ्यक्रम में भाग लिया है ।

12. फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग–II) परीक्षा में जाने के लिए पात्रता :

फार्मेसी (भाग–II) परीक्षा में बैठने के पात्र केवल वे ही उम्मीदवार होंगे, जो शैक्षिक संस्था के प्रमुख से, जिसमें उसने फार्मेसी में डिप्लोमा भाग-II के पाठ्यक्रम में भाग लिया है, यह प्रमाणित करने के लिए प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक रूप से आयोजित की गई सिद्धांत और प्रयोगिक कक्षाओं में कम से कम 75% में उपस्थित रह कर नियमित और संतोष प्रद ढंग से पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

13. परीक्षा का ढंग :

(1) सारणी—III और IV में उल्लिखित विषय में सिद्धांत और प्रयोगिक प्रत्येक परीक्षा की अवधि तीन घंटे होगी ।

(2) वह उम्मीदवार जो किसी विषय की सिद्धान्त अथवा प्रयोगिक परीक्षा में फेल हो जाता है, उसे उस विषय की सिद्धान्त और प्रयोगिक दोनों ही परीक्षाओं में दुबारा बैठना होगा ।

(3) प्रयोगिक परीक्षा में मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी ।

14. सत्रीय अंक देना और अभिलेखों का रख-रखाव :

फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–I और फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–II पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने वाली संस्था में प्रत्येक छात्र के सिद्धांत और प्रयोगिक दोनों में किए गए कक्षा कार्य तथा आयोजित परीक्षाओं का एक नियमित रिकार्ड रखा जाएगा और सत्रीय (सेशनल) मूल्यांकन के रूप में प्रत्येक सिद्धांत विषय के लिए 20 अंक और प्रयोगिक विषय के लिए 30 अंक दिए जाएंगे ।

(2) प्रत्येक शैक्षिक वर्ग के दौरान कम से कम दो आवधिक सत्रीय परीक्षाएं होंगी । सत्रीय मूल्यांकन के अंकों की गणना किन्हीं भी दो परीक्षाओं में प्राप्त किए गए उच्चतम पूर्ण योग–के आधार पर की जाएगी ।

(3) प्रायोगिक विषयों में सत्रीय (सेशनल) मूल्यांकन के अंक निम्नलिखित आधार पर दिए जाएंगे ।

सत्रीय परीक्षाओं में वास्तविक	15
प्रायोगिक कक्षा कार्य का दिन प्रतिदिन का मूल्यांकन	15

15 परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक :

किसी भी छात्र को फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा में तब तक उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक वह सिद्धान्त परीक्षाओं में, जिसमें सत्रीय मूल्यांकन के अंक भी शामिल हैं, पृथक–पृथक रूप से प्रत्येक विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर ले और प्रत्येक प्रयोगिक परीक्षा में, जिसमें सत्रीय मूल्यांकन के अंक भी शामिल हैं, कम से कम

50% अंक प्राप्त न कर ले। फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग–I) अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग–II) की परीक्षाओं में पहले प्रयास में ही सभी विषयों में पूर्ण योग में 60% अंक अथवा उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग–I) अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग–II) की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में, जैसी भी स्थिति हो, उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। किसी भी विषय अथवा विषयों में 75% अंक अथवा उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उस विषय अथवा उन विषयों में विशेष योग्यता (डिस्टिंक्शन) के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा बशर्ते कि वे सभी विषयों में पहले ही प्रायास मे उत्तीर्ण हुए हों।

16. फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–II में पदोन्नति की पात्रता :

वे सभी उम्मीदवार, जो सभी विषयों की परीक्षा में बैठे हैं और फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–I परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–II की कक्षा में प्रवेश पाने के पात्र हैं। तथापि दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–II कक्षा में जाने से वंचित रहेगा।

17. सत्रीय परीक्षा के प्राप्तांकों में सुधार :

सत्रीय परीक्षा में प्राप्त अंकों में सुधार करने के इच्छुक उम्मीदवार अगले शैक्षिक वर्ष के दौरान दी अतिरिक्त सत्रीय परीक्षाओं में उपस्थित होकर ऐसा कर सकते हैं। सिद्धांत (थ्यूरी) में संशोधन सत्रीय अंक इन दोनों परीक्षाओं में प्राप्तांकों के औसत पर आधारित होंगे। प्रयोगिक (प्रैक्टिकल) सत्रीय परीक्षा के अंकों में सुधार करने हेतु अतिरिक्त प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा। प्रायोगिक कक्षा में दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन के लिए छात्रों अंको दिए गए कों में तब तक सुधार नहीं किया जा सकेगा जब तक वह दोबारा नियमित तौर पर अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा नही करता।

18. परीक्षा की मंजूरी :

विनियम 10 से 13 और 15 में उल्लिखित परीक्षाएं बाद में राज्य के परीक्षा प्राधिकारी के रूप में बताए गए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसका अनुमोदन फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय फार्मेसी परिषद् द्वारा किया जाएगा। ऐसा अनुमोदन केवल तभी किया जाएगा, यदि संबंधित परीक्षण प्राधिकारी इन अधिनियमों के परिशिष्ट-ग में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

19. फार्मेसी में डिप्लोमा, भाग–II की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण–पत्र :

फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–II की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण-पत्र परीक्षा प्राधिकारी द्वारा उत्तीर्ण छात्र को प्रदान किया जाएगा।

अध्याय—III

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग–III)

(प्रयोगिक प्रशिक्षण)

20. प्रायोगिक प्रशिक्षण की अवधि और अन्य शर्तें :—

1. किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय का अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा भाग–II परीक्षा अथवा भारतीय फार्मेसी परिषद् द्वारा समान रूप से मान्य किसी अन्य कोर्स को पूरा करने के पश्चात कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से एक या अधिक संस्थाओं में प्रयोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का पात्र होगा :—

(I) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/नगर निगमों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल/औषधालय।

(II) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अंतर्गत बनाए गए औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन लाइसेंस धारी फार्मेसी, केमिस्ट एवं औषध विक्रेता।

(III) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत लाइसेंस धारी औषध विनिर्माण यूनिट।

2. उप-विनियम (I) में निर्दिष्ट संस्थाएं इस शर्त के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने की पात्र होंगी कि किसी अस्पताल, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बनाए गए औषध और प्रसाधन नियम, 1945 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्तकर्ता किसी फार्मेसी, केमिस्ट और औषध विक्रेता और औषध विनिर्माण यूनिट में लिए गए छात्र फार्मेसिस्टों की संख्या दो से अधिक न हो। जहां कोई एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट इस प्रकार का कार्य करता है जिसमें छात्र फार्मेसिस्ट को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां एक से अधिक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट इसी प्रकार से कार्यरत हैं, यह संख्या इस प्रकार के प्रत्येक अतिरिक्त रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट के लिए एक से अधिक नहीं होगी।

3. प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा उन अस्पतालों और औषधालयों को मान्यता दी जाएगी जो उप नियम (I) निर्दिष्ट नहीं हैं यह इन विनियमों के परिशिष्ट "घ" में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर दी जाएगी।

4. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षार्थी को निम्नलिखित का ज्ञान कराया जाएगा :—

(1) फार्मेसी के व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अधिनियमों द्वारा अपेक्षित रिकार्ड रखने का कार्यसाधक ज्ञान, और

(2) निम्नलिखित का प्रैक्टिकल अनुभव कराया जायेगा।

(क) सामान्य प्रयोग के फार्मेसी संबंधी उपकरणों से काम लेना,

(ख) खुराक की मात्रा की जांच सहित दवाई के नुस्खे को पढ़ना, समझना और कापी करना,

(ग) दवाई देने के अधिक सामान्य तरीकों को समझते हुए दवाई के नुस्खे तैयार करना, और

(घ) दवाइयों और औषध विनिर्मितियों का भंडार करना ।

(ङ) प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम से कम तीन महीने की अवधि में पांच सौ घंटों से कम की नहीं होगी बशर्ते कि कम से कम ढाई सौ घन्टे दवाई के नुस्खे बसातब में तैयार करने में लगाए जाएं ।

21. प्रशिक्षण शुरू होने से पूर्व अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति :-

(1) शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष उक्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों को, उसकी अर्जी पर फार्मेसिस्ट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के संबंध में "प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करार फार्म" (जिसे बाद में करार फार्म कहा गया है) की तीन प्रतियां भेजेंगे । करार फार्म इन विनियमों के परिशिष्ट-ङ में यथा विनिर्दिष्ट होगा ।

(2) शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष करार फार्म के भाग-I को भरेंगे । प्रशिक्षार्थी उक्त करार फार्म के भाग-II को भरेंगे और संस्थान के अध्यक्ष (जिसे आगे एप्रेन्टिस मास्टर कहा गया है) प्रशिक्षण देने के लिए सहमत होते हुए उक्त करार फार्म के भाग-III को भरेंगे ।

(3) यह सुनिश्चित करना प्रशिक्षार्थी का उत्तरदायित्व होगा कि इस प्रकार भरी हुई प्रति (जिसे आगे करार फार्म की प्रति कहा गया है) शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष को भेज दी गई है और अन्य दो प्रतियां (जिनको आगे द्वितीय प्रति और तृतीय प्रति कहा गया है) एप्रेन्टिस मास्टर (यदि वे इच्छुक हों तो) के पास या प्रशिक्षण पूरा होने तक प्रशिक्षार्थी के पास रहेंगी ।

22. फार्मेसी (भाग-III) उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र

एप्रेन्टिस अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी होने पर एप्रेन्टिस मास्टर करार फार्म की द्वितीय और तृतीय प्रति के भाग- को भरेगा और इसे शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष के पास भेजेगा जो द्वितीय और तृतीय प्रति से प्रविष्टियां उचित रूप से प्रथम प्रति में भरेंगे और करार फार्म की तीनों प्रतियों के भाग-5 को भरेंगे और उसके बाद द्वितीय और तृतीय प्रति प्रशिक्षार्थी को सौंपेंगे ।

यदि यह सभी तरह से पूर्ण हो जाता है, तो यह फार्मेसी (भाग II) में सफलतापूर्वक पूरे किए गए पाठ्यक्रम का एक प्रमाण-पत्र माना जाएगा ।

अध्याय—IV

23. फार्मेसी में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र :

परीक्षा प्राधिकरण द्वारा सफल उम्मीदवार को फार्मेसी डिप्लोमा के भाग-I और भाग-II को उत्तीर्ण करने और फार्मेसी डिप्लोमा (भाग-III) के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सन्तोषजनक पूरी करने के प्रमाण-पत्र पेश करने पर फार्मेसी डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।

24. विविध :

विनियम 18 के अंतर्गत फार्मेसी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के लिए विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा न कर दें ।

25. निरसन और बचाव :

(1) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा सं॰ 14-55/79 (भाग—I) पी॰ सी॰ आई॰/4235—4650 दिनांक 8 जुलाई, 1981 के अनुसार प्रकाशित शिक्षा विनियम 1981 (जो आगे उक्त विनियम कहे गए हैं) एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी :—

(क) उक्त विनियमों के अंतर्गत की गई कोई चीज या कार्यवाई इन विनियमों के समवर्ती उपबंधों के अंतर्गत की गई चीज या कार्रवाई समझी जाएगी ।

(ख) किसी व्यक्ति का उक्त विनियमों के अंतर्गत फार्मेसी में डिप्लोमा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हुआ हो और जिसने इन विनियमों के लागू होने के समय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो तो उसे उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, मानों ये विनियम प्रवृत्त नहीं हुए थे । तथापि, परीक्षा प्राधिकरण किसी विशेष राज्य में तारीख निश्चित कर सकता है जिसके बाद उक्त विनियमों के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी ।

परिशिष्ट—क

पाठ्य विवरण

भेषजी डिप्लोमा (भाग—1)

1.1 औषध निर्माण विज्ञान—1

सिद्धांत — (75 घंटे)

1. विभिन्न मात्रा निर्धारण रूपों से परिचय.....उनका उदाहरणों के साथ वर्गीकरण उनके सापेक्ष अनुप्रयोग नवीन औषधि वितरण पद्धति से परिचित होना ।

2. भारतीय भेषज कोश के विशिष्ट संदर्भ में भेषजकोशों से परिचय ।

3. मापविद्या—भार और माप की प्रणालियां, एक से दूसरी प्रणाली में रूपान्तरण सहित परिकलन, प्रतिशत परिकलन तथा उत्पादों का समायोजन, परिकलनों में मिश्रण गणित रीति का प्रयोग, समपरासारी (आइसोटोनिक) विलयन ।

4. भेषजिकों का संवेष्टन (पैकेजिंग)—आधान (पात्र) की वांछित विशेषताएं आधान के प्रकार, आधान निर्माण सामग्री के रूप में कांच तथा प्लास्टिक का अध्ययन तथा उन्हें बन्द करने वाली सामग्री के रूप में रबड़—उनके गुण-दोष । एयरोसोल सम्वेष्टन से परिचय ।

5. आकार अपचयन—उद्देश्य तथा आकार अपचयन को प्रभावित करने वाले कारक, आकार अपचयन की पद्धतियां—हथौड़ा पेषणी (मिल), गोलक पेषणी, तरल ऊर्जा पेषणी तथा विघटनित्र का अध्ययन ।

6. आकार पृथकरण—छानने के जरिये आकार पृथकरण—चूर्णों (पाउडर) के लिए आधिकारक मानक । आकार पृथकरण की अवसादन पद्धतियां, साइक्लोन पृथक्कारी की रचना तथा कार्य प्रणाली ।

7. मिश्रण करना तथा समांगीकरण (होमोजिनाइजेशन)—तरल मिश्रण करना तथा चूर्ण (पाउडर) मिश्रण करना, अर्ध ठोस पदार्थों का मिश्रक करना, सिल्वरसन मिश्रकसमांगी कारक, ग्रहीय मिश्रण, विलोहक चूर्ण (पाउडर) मिश्रण, त्रिक वेलन मिल, नोदक मिश्रक, कोलायड मिल तथा हस्त समांगी कारक द्विगुण शंकु मिश्रक का अध्ययन ।

8. निर्मलीकरण तथा निस्यंदन—निस्यंदन का सिद्धांत, निस्यंदक माध्यम, निस्यंदक साधन तथा निस्यंदकों का चयन, निम्न निस्यंदक उपस्करों निस्यंदक प्रेस (दाबित्र), सिटरित निस्यंदक, निस्यंदक कैंडलस (शलाकाएं) मेटा-निस्यंदक, का अध्ययन ।

9. निष्कर्षण तथा गैलेन-औषधि वर्ग—(अ) परिस्रवण तथा आंक्लेदन तथा उनके रूपान्तरणों का अध्ययन, लगातार उष्ण निष्कर्षण-टिंक्चर तथा निष्कर्षों के योग निर्माण में अनुप्रयोग । (ब)—आयुर्वेदिक मात्रा निर्धारण रूपों से परिचय ।

10. ऊष्मा प्रक्रम—वाष्पन-परिभाषा-वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पन आसवन यंत्र तथा वाष्पन पात्र का अध्ययन ।

11. आसवन—साधारण आसवन तथा प्रभा जी आसवन; वाष्प आसवन तथा निर्वात आसवन, निर्वात आसवन यंत्र का अध्ययन, शोधित जल आई०पी० तथा इन्जेक्शन के लिए जल आई०पी० का निर्माण करना। इसी कार्य हेतु प्रयोग में आने वाले आसवन यंत्र की रचना तथा कार्य-प्रणाली ।

12. शुष्कन प्रक्रमों से परिचय—ये शुष्कित्रों—तरलीकृत बैड शुष्कित्र, निर्वात शुष्कित्र तथा हिम शुष्कित्र का अध्ययन ।

13. निर्जीवाणुकरण—निर्जीवाणुकरण की संकल्पना और उसका विसंक्रमण से भेद—सूक्ष्मजीवियों का तापीय प्रतिशोध निम्न निर्जीवाणुकरण प्रक्रियों का विस्तृत अध्ययन—

(i) आर्द्र ऊष्मा सहित निर्जीवाणुकरण,
(ii) शुष्क ऊष्मा निर्जीवाणुकरण,
(iii) विकिरण द्वारा निर्जीवाणुकरण,
(iv) निर्जीवाणुकरण निस्यंदन तथा,
(v) गैसीय निर्जीवाणुकरण ।

अपूतित प्रविधियां—अस्पतालों में विशेषत: सर्जीकल ड्रेसिंग तथा अंत: शिरा तरलों के संदर्भ में निर्जीवाणुकरण प्रक्रमों का अनुप्रयोग निर्जीवाणुकरण उपस्कर के सुरक्षित तथा प्रभावी व्यवहार के लिए सावधानियां ।

14. टिकियों का संसाधन—परिभाषा : सम्पीड़ित टिकियों के विभिन्न प्रकार और उनके गुण ।

टिकियों के उत्पादन में लिए जाने वाले प्रक्रम :

टिकियों अनुद्रव्य, टिकियों में दोष, टिकियों ।

का मूल्यांकन : विभाजन तथा प्रविलयन सहित ।

भौतिक मानक : टिकिया विलेपन-शर्करा विलेपन,
फिल्म विलेपन : आंत्रविलेपन तथा

सूक्ष्म सम्पुटन (टिकिया विलेपन) का कार्य प्रारम्भिक तरीके से किया जा सकता है ।

15. कैप्सूलों का संसाधन—कठोर तथा मुलायम जिलेटिन कैप्सूल; कैप्सूलों के विभिन्न आकार, कैप्सूलों का पूरण, कैप्सूलों को संभालना तथा स्टोर करना, कैप्सूलों का विशिष्ट अनुप्रयोग ।

16. इम्यूनोलोजी संबंधी उत्पादों जैसे सीरम, वेक्सीन, टांक्साइड तथा उनके योगों का अध्ययन ।

औषध निर्माण विज्ञान

क्रियात्मक (100) घंटे

विभिन्न प्रविधियों को स्पष्ट करने वाले निम्न प्रवर्गों के योग निर्माण प्रत्येक के लिए नियत न्यूनतम संख्या :—

1. ऐरोमेटिक जल	3
2 विलयन (घोल)	4
3. स्पिरिट	2
4. टिंक्चर	4
5. निष्कर्ष	2
6. क्रीम	2
7. प्रसाधन योग	3
8. कैप्सूल	2
9. टिकिया	2
10. निर्जीवाणुकरण योग निर्माण	2
11. नेत्र योग निर्माण	2
12. अपूतित प्रविधियों से शामिल योग निर्माण	2

अनुशासित पुस्तकें (नवीनतम संस्करण)

1. रैमिंगटन भेषजिक विज्ञान,
2. अतिरिक्त भेषजकोश—मार्टिंडेल

1.2 भेषजिक रसायन—1

(सिद्धान्त 75 घन्टे)

1. निम्न मुख्य भौतिक एवं रासायनिक गुणों सहित अकार्बनिक यौगिकों, औषधीय तथा भेषजिक उपयोगों, स्टोर करने की अवस्थाओं तथा रासायनिक असंगति पर सामान्य चर्चा;

2. (क) अम्ल, क्षारक तथा उभयगेषी (वफर)—बोरिक अम्ल, हाईड्रोक्लोरिक अम्ल, शक्तिशाली ऐमोनियम

हाइड्रोक्साइड, कैलसियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आधिकारिक उभयरोधी ।

(ख) आक्सीकारक रोधी—हाइपोफोस्फोरस अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइट सोडियम मेटा—बाइसल्फाइट, सोडियम थायो—सल्फेट, नाइट्रोजन तथा सोडियम नाइट्रेट

(ग) जठरांत कारक —

(1) अम्लकारी कारक—तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

(2) अम्लरोधी—सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैल, ऐल्युमिनियम फास्फेट, कैल्सियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैगनीशियम ट्राइसिलिकेट, मैगनीशियम, ऑक्साइड, अम्लरोधी (प्रत्यम्ल) योगों का संयोजन ।

(3) संरक्षी तथा अधिशोषक—बिस्मथ सब—कार्बोनेट तथा केओलिन ।

(4) लवण विरेचक—सोडियम पोटेशियम टारट्रेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट ।

(घ) स्थल कारक —

(1) संरक्षी—टाल्क, जिंक ऑक्साइड, केलामीन, जिंक स्टिएरेट, टिटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकोन पॉलीमर्स ।

(2) प्रसूक्ष्म जीवी तथा एस्ट्रिंजेंट—हाइड्रोजन पैरोक्साइड, पोटेशियम परमागनेट, क्लोरीनीकृत चूना (लाइम), आयोडीन, आयोडीन का घोल, पोरिडोन—आयोडीन, बोरिक अम्ल, बोरेक्स, सिल्वर नाइट्रेट माइल्ड, सिल्वर प्रोटीन, मरकरी, पीत मरक्यूरिक ऑक्साइड, ऐमेनियाकृत मरकरी ।

(3) सल्फर (गंधक) और उसके यौगिक—उर्ध्वपातित गंधक, अवक्षेपित गंधक, सेलीनियम सल्फाइड ।

(4) कषाय वर्ग—एलम (फिटकरी) तथा जिंक सल्फेट ।

(ई) दंत उत्पाद—सोडियम फ्लुओराइड, स्टेनस फ्लुओराइड, कैल्सियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफोस्फेट, डाइकेल्सियम फास्फेट, स्ट्रामशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ।

(फ) अभिश्वसन कारक—ऑक्सीजन, कार्बन डाईआक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ।

(ज) श्वसन उद्दीपक—ऐमोनियम कार्बोनेट ।

(झ) कफोत्सारक तथा वामक—ऐमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, एन्टिममी पोटेशियम टारट्रेट ।

(आइ) प्रतिकारक—सोडियम नाइट्राइट ।

बृहत् अंतः तथा बाह्य कोशिकीय विद्युत्अपघट्य

(अ) प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए प्रयुक्त विद्युतअपघट्य—सोडियम क्लोराइड तथा उसके योग, पोटेशियम क्लोराइड तथा उसके योग ।

(ब) शरीर क्रिया संबंधी अम्ल—क्षारकसंतुलन तथा प्रयुक्त विद्युत—अपघट्य सोडियम ऐसिटेट, पोटेशियम ऐसिटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट—इंजेक्शन, सोडियमसाइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन, ऐमोनियम क्लोराइड तथा उसके इंजेक्शन ।

(स) मुख से लिए जाने वाले विद्युत—अपघट्य चूर्ण (पाउडर) तथा विलयनों (घोल) का संयोजन ।

3. लोह (आयरन), आयोडीन तथा केल्सियम फैरस सल्फेट तथा केल्सियम ग्लूकोनेट के अकार्बनिक आधिकारिक यौगिक ।

4. रेडियो भेषजिक तथा भेदक माध्यम—रेडियो—सक्रियता—एल्फा, बीटा तथा गाम्मा विकिरण, विकिरण (रेडिएशन) के जैविक प्रभाव, रेडियो—सक्रियता की माप, जी—एम काउन्टर—रेडियो आइसोटोपस—उनके प्रयोग, भंडारण तथा आधिकारिक योगों को विशिष्ट संदर्भ सहित सावधानियां रेडियो—अपारदर्शी भेदक माध्यम बेरियम सल्फेट ।

5. औषधियों तथा भेषजिकों की गुणवत्ता नियंत्रण—गुणवत्ता नियंत्रण का महत्व, महत्वपूर्ण त्रुटियां, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयुक्त पद्धतियां, भेषजिकों में अशुद्धियों के स्रोत—आर्सेनिक (संखिया), क्लोराइड, सल्फेट, लोह (आयरन) तथा भारी धातुओं के लिए सीमा—परीक्षण ।

6. भारतीय भेषजकोश के अनुसार धनायन तथा ऋणायन के लिए पहचान परीक्षण ।

क्रियात्मक (75 घन्टे)

1. अकार्बनिक यौगिकों विशेषतः औषधियों तथा भेषजिकों के लिए पहचान परीक्षण ।

2. क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, आयरन तथा भारी धातुओं के लिए सीमा परीक्षण ।

3. सिद्धान्त के अधीन (X) से चिह्नित अकार्बनिक भेषजिकों यौगिकों का निम्नलिखित प्रत्येक पद्धतियों को शामिल करते हुए आमापन;

(क) अम्ल—क्षारक अनुमापन (कम से कम 3)

(ख) रेडोक्स अनुमापन (परमेगनमिति तथा सरल आयोडिन—मिति के प्रत्येक के लिए एक)

(ग) अवक्षेपण अनुमापन (कम से कम 2)

(घ) कम्प्लैक्सोनमितिक अनुमापन (केल्सियम तथा मैग्नीशियम)

अनुशासित पुस्तकें (नवीनतम संस्करण)

1. भारतीय भेषजकोष—1985 ।

1.3 भेषज — अभिज्ञान

सिद्धान्त : (75 घन्टे)

1—भारतीय चिकित्सा पद्धति सहित भेषज-अभिज्ञान की परिभाषा, इति-वृत्त तथा विस्तार ।

2—प्राकृतिक उद्गम की औषधियों के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां ।

3—अपमिश्रण तथा औषधि मूल्यांकन, भेषजकोशीय मानकों की सार्थकता ।

4—एल्केलाइड्स, टर्पेनाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वाष्पशील तेलों, टेनिन्स तथा रेजिन्स के भेषजिक योग तथा चिकित्सिता प्रभाव, अभिज्ञान परीक्षण, पृथक्करण की रुपरेखा, वितरण, प्राप्तियां की संक्षिप्त रूप रेखा ।

5—निम्न औषधियों की श्रेणियों की प्राप्ति, वितरण, ज्ञानेन्द्रियसग्राह्य मूल्यांकन, परीक्षण, जहां भी उपयोज्य हों, सहित रासायनिक घटक तथा; भेषिजिक क्षमता ।

(क) मृदुविरेचक, घृतकुमारी रस, खेन्दचीनी, अण्डी का तेल, इसबगोल, सनाय ।

(ख) हृद्बल्यवर्ग—डिजिटेलिस, अर्जुन ।

(ग) वातानुलोमक तथा जी० आई० (जठरांत्र) नियामक-पुष्प छत्रधर फल, धानिया, सौंफ, अजवायन, इलायची, अदरक, काली मिर्च, हींग, जायफल दालचीनी, लौंग ।

(घ) कषायवर्ग—कत्था ।

(ङ) तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां—पारसीकयवानी, बैलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा एफेड्रा, अफीम, भांग, कुचला ।

(च) अतिरक्तदाबरोधी—सर्पगंधा ।

(छ) कासरोधी—वासक, टोलू बालसम, तुलसी ।

(ज) रुमेटिज्मरोधी—गुग्गुल, कोल्चिकम ।

(झ) अर्बुदरोधी—विंका ।

(ञ) कुष्ठरोधी—चालमोगरा तेल ।

(ट) मधुमेहरोधी—टेरोकार्पस, जिमनेमा, सिल्वेस्ट्रो ।

(ठ) मूत्रल—गोखरू, पुनर्नवा ।

(ड) अतिसाररोधी—इपिकाक् आन्हा ।

(ढ) प्रतिरोधी तथा विसंक्रामक—बेन्जोइन, बोल, नीम, करकुमा ।

(ण) मेलरियारोधी—सिन्कोना ।

(त) गर्भाशयसंकोचक—अर्गट ।

(थ) विटामिन—शार्क लिवर आइल, आमला ।

(द) एन्जाइम—पपीता डायस्टेज, समीर (ईस्ट) ।

(ध) सुगंधित द्रव्य तथा सुरसकारक—पिपरमिंट का तेल, लेमन तेल, नारंगी तेल, लेमनग्रास तेल, चंदन काष्ठ ।

(न) भेषजिक सहायक—शहद, मूंगफली का तेल, स्टार्च, केओलिन, पेक्टिन, जैतून का तेल, लेनोलिन, मधुमोम, ऐकेशिया, टंगाकेंथ सोडियम ऐल्जिनेट, अगार, ग्वार गोंद, जिलेटिन ।

(प) विविध मधुमष्टिका—लहसुन पिक्रोराइजा, (कुटकी), डाइसकोरिया, अलसी, शतावरी, शंखपुष्पी, अधूरफरा, तम्बाखू ।

6—बाजार के लिए अपरिष्कृत औषधियों को इकट्ठा करना तथा तैयार करना जैसा कि आर्गट, अफीम, सर्पगंधा, डिजिटेलिस, सनाय द्वारा उदाहरणित है ।

7—सूचर (सीवन) तथा सर्जीकल ड्रैसिंग में उपयोग में आने वाले तन्तुओं के स्त्रोत, विरचना तथा पहचान का अध्ययन—रुई, सिल्क वूल तथा पुनर्जनित तन्तु ।

8—निम्नलिखित औषधियों का समग्र रचनात्मक अध्ययन—सनाय, धतूरा, दालचीनी, सिन्कोना, सौंफ, लौंग, अदरक, कुचला, दूपि काकुआन्हा ।

भेषिजिक रसायन :—

क्रियात्मक : (75 घन्टे)

1—आकृतिक लक्षणों द्वारा औषधियों की पहचान ।

2—जहां कहीं भी उपयोज्य हो, औषधियों के मूल्यांकन के लिए भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण ।

3—निम्न औषधियों का समग्र रचनात्मक अध्ययन (टी० एस०) सनाय, धतूरा, दालचीनी, सिन्कोना, धनिया, सौंफ, लौंग, अदरक, कुचला, इपिकाकुआनहा ।

4—तन्तुओं तथा सर्जीकल ड्रैसिंग की पहचान ।

1.4 जीवरसायन तथा नैदानिक विकृति विज्ञान

सिद्धान्त : (50 घन्टे)

1—जीवरसायन से परिचय ।

2—प्रोटीनस, पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनों—एसिड्स का संक्षिप्त रसायन तथा भूमिका, वर्गीकरण, गुणात्मक परीक्षण, जैविक मान, हीनताजन्य रोग ।

3—कार्बोहाइड्रेटों का संक्षिप्त रसायन तथा भूमिका, वर्गीकरण, गुणात्मक परीक्षण कार्बोहाइड्रेट चयापचय से संबंधित रोग ।

4—लिपिडों का संक्षिप्त रसायन तथा भूमिका, वर्गीकरण, गुणात्मक परीक्षण लिपिड चयापचय से संबंधित रोग ।

5—विटामिनों तथा सह-ऐन्जाइमों का संक्षिप्त रसायन तथा भूमिका ।

6—जीवन के प्रक्रमों में खनिजों एवं जल की भूमिका ।

7—ऐन्जाइम : ऐन्जाइमी क्रिया की संक्षिप्त संकल्पना, इसको प्रभावित करने वाले कारक, चिकित्सा के लिए तथा भेषजिक महत्व ।

8—प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिडों के सामान्य एवं अपसामान्य चयापचय की संक्षिप्त संकल्पना ।

9—रक्त एवं मूत्र के विकृति विज्ञान से परिचय :

(अ) लसीकाकोशिएं तथा बिम्बाणु उनकी स्वास्थ्य तथा रोग में भूमिका ।

(ब) लोहितकोशिकाएं—अपसामान्य कोशिकाएं तथा उनकी सार्थकता ।

(स) मूत्र के अपसामान्य संघटक उनकी रोगों में सार्थकता ।

क्रियात्मक : (75 घन्टे)

1—प्रोटीन, एमिनोएसिड, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिडों की खोज तथा पहचान ।

2—रक्त तथा मूत्र के सामान्य एवं अपसामान्य संघटकों का विश्लेषण (ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटीन, क्रिएटिनीन, कोले-स्टेरोल, एल्कालाइन फास्फेटेज, एसिड फोस्फेटेज, बिलिरुबिन, एस०जी०पी०टी०, एस०जी०ओ०टी० कैल्सियम, डायस्टेज, लाइपेज) ।

3—थूक तथा मल की परीक्षा (सूक्ष्मदर्शी तथा अभि-रंजन)

4—औषधियों को अन्तः पेशी, अवत्वक तथा अन्तः शिरा मार्गों द्वारा इन्जेक्शन देने का अभ्यास, रक्त नमूनों को निकालने का अभ्यास ।

1.5 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान

सिद्धान्त : (75 घन्टे)

1. शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का विस्तार । शरीर रचना विज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावली की परिभाषा ।

2. कोशिका की संरचना, उसके घटकों का सूत्रकणिका तथा माइक्रोसोमों के विशिष्ट सन्दर्भ के साथ कार्य ।

3. शरीर के प्रारम्भिक ऊतक, अर्थात उपकला ऊतक, पेशी-ऊतक, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक ।

4. अस्थिकंकाल की संरचना एवं कार्य संधियों का वर्गीकरण तथा उनके कार्य, संधि विकार ।

5. रक्त की रचना, रक्त अवयवों के कार्य रक्त वर्ग तथा रक्त स्कंदन, रक्त विकारों के बारे में संक्षिप्त सूचना ।

6. लसीका ग्रंथियों के नाम तथा कार्य ।

7. हृदय के विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य । मुख्य धमनियों तथा शिराओं के नामों तथा स्थितियों के विशिष्ट संदर्भ सहित धमनी तथा शिरा तंत्र रक्त दाब तथा उसको रिकार्ड करना । हृद-वाहिका विकारों के बारे में संक्षिप्त सूचना ।

8. श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य । श्वसन का क्रिया विज्ञान ।

9. मूत्र तंत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य, थूक की संरचना एवं कार्य—मूत्र निर्माण का शरीर क्रिया विज्ञान वृक्क रोग शोथ का वैकृत-शरीर क्रिया विज्ञान ।

10. अस्थिकंकाल की पेशियों की संरचना पेशी संकुचन का शरीर क्रिया विज्ञान, विभिन्न कंकाल पेशियों के नाम, स्थिति तथा संचरन । तंत्रिका-पेशी संगत का शरीर क्रिया विज्ञान ।

11. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग । मस्तिष्क और उसके भाग, कार्य तथा प्रतिवर्त क्रिया । स्वचालित तंत्रिका तंत्र का शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान ।

12. स्वाद, गंध, कर्ण, नेत्र तथा त्वचा के अंगों की संरचना तथा कार्य का प्रारम्भिक ज्ञान, वेदना का शरीर क्रिया विज्ञान ।

13. पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम तथा उनके कार्य यकृत की संरचना एवं कार्य – पाचन एवं अवशोषण का शरीर क्रिया विज्ञान ।

14. अन्तः स्रावी ग्रंथियाँ तथा हार्मोन—ग्रन्थियां के स्थान, उनके हार्मोन तथा कार्य :

पीयूषिका, अवटु, अधिवृक्क तथा अग्न्याशय

15. जनन तंत्र—जनन तंत्र की शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान ।

क्रियात्मक : (50 घन्टे)

1. मानव कंकाल का अध्ययन ।

2. निम्न तंत्रों तथा अंगों का चार्ट तथा माडॅल की मदद से अध्ययन :

(क) पाचन तंत्र
(ख) श्वसन तंत्र
(ग) हृद वाहिका तंत्र
(घ) मूत्र तंत्र
(ङ) जनन तंत्र
(च) तंत्रिका तंत्र
(छ) नेत्र
(ज) कर्ण

3. उप कला ऊतक, हृद पेशी, चिक्कण पेशी, कंकाल पेशी, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतकों की सूक्ष्मदर्शी परीक्षा ।

4. टी० एल० सी० (पूर्ण श्वेतकोशिका गणना, डी० एल० सी० (विभेदी श्वेतकोशिका गणना) तथा मलेरिया परजीवी के लिए रक्त फिल्मों (आलेप) की परीक्षा ।

5. रक्त के स्कंदन (आंतचन) समय का निर्धारण, लोहितकोशिका अवसादन दर (ई० एस० आर०) तथा हीमोग्लोबिन मान ।

6. शरीर तापमान नाड़ी हृदय दर, रक्तदाब तथा ई० सी० जी० (विद्युत हृदलेख) को रिकार्ड करना ।

1.6 स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी सिद्धान्त

(50 घन्टे)

1. स्वास्थ्य की संकल्पना—शरीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा स्वास्थ्य के निश्चायक, स्वास्थ्य के संकेतक, रोग की संकल्पना, रोगों का प्राकृतिक इतिवृत्त, रोग कारक, रोगों के रोकथाम की परिकल्पना ।

2. पोषण तथा स्वास्थ्य—खाद्यों का वर्गीकरण, आवश्यकताएं, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों की कमी के कारण प्रेरित रोग-चिकित्सा तथा रोकथाम ।

3. जानपद विज्ञान तथा परिवार नियोजन—जानपदविज्ञान प्रजनन शक्ति परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक पद्धतियां, आचरण सम्बंधी पद्धतियां, प्राकृतिक परिवार नियोजन पद्धति, रासायनिक पद्धति, क्रिया विधितक पद्धतियां, हार्मोनी गर्भनिरोधक, भारत में जनसंख्या समस्या ।

4. प्रथम सहायता—स्तब्धता सर्पदन्श दग्ध विषाक्तता, हृदय रोग, अस्थिभंग में आपात चिकित्सा तथा प्रत्यावर्तन पद्धतियों लघु शस्त्र कर्म तथा ड्रेसिंग के तत्व ।

5. पर्यावरण तथा के स्वास्थ्य—जल प्रदाय स्रोत जल प्रदूषण जल शुद्धीकरण स्वास्थय वायु कोलाहल (शोर) प्रकाश ठोस उच्छिष्ट निपटान तथा नियंत्रण-रोग कीट-विज्ञान अन्थ्रोपाइड (नरान) से उत्पन्न रोग और उनका नियंत्रण, कृन्तकप्राण, जन्तु तथा रोग ।

6. सूक्ष्मजीव विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त सूक्ष्मजीवियों का वर्गीकरण पृथक्करण सामान्य रोग के जीवों की अभिरंजन प्रविधियां ।

7. संचारी रोग—उत्पादक कारक संचरण की प्रणाली तथा रोकथाम ।

(अ)—श्वसन संक्रमण—छोटी माता, रोमान्तिका (खसरा) इन्फल्यूऐंजा, डिप्थीरिया (रोहिणी), कूकेर खांसी तथा यक्ष्मा ।

(ब)—आंत्र संक्रमण: पोलिमेरु रज्जुशोथ, यकृतशोथ, विसूचिका (हैजा), टाइफाइड (आंत्र ज्वर), खाद्य विषाक्तता, अंकुशकृमि संक्रमण,

(स)—आर्थ्रोपोड्‌स से उत्पन्न संक्रमण—प्लेग, मलेरिया, फाइलेरिया रोग,

(ड)—पृष्ठीय संक्रमण—अलर्क (रेबीज), ट्रैकोमा (रोहे), टिटनेस (धनुस्तंभ), कुष्ठ

(ई)—यौन द्वारा संचारित रोग—सिफिलिस, गोनोरिया (सूजाक), एड्स

8. असंचारी रोग—रोग उत्पन्न करने वाले कारक, रोकथाम देखरेख तथा नियंत्रण; कैंसर, मधुमेह—अंधता, हृदवाहिका रोग ।

9. जानपदिक रोग विज्ञान—इसका विस्तार, पद्धतियां, प्रयोग, रोग संचारण शक्तिकी इम्युनिटी तथा इम्यूनीकरण; इम्यून सम्बन्धी और उनकी मात्रा अनुसूची । रोग नियंत्रण के नियम तथा रोक थाम, अस्पताल अर्जित संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण । विसंक्रमण, विसंक्रमण के प्रकार, मल, मूत्र, थूक, कमरा, लिनेन, मृतदेह, (यंत्रों उपकरणों) के लिए विसंक्रमण प्रक्रिया ।

2. 1 औषधि निर्माण विज्ञान—II

सिद्धान्त (75 घंटे)

1. औषधि-योजन फार्मेसी :—

(1) औषधि-पत्र (नुस्खा) — औषधिपत्रों को पढ़ना तथा समझना आम तौर पर लेटिन शब्दों का प्रयोग होता है (विस्तृत अध्ययन आवश्यक नहीं है), मैट्रिक सिस्टम के अपनाने तथा औषधि करने निर्देश की आधुनिक पद्धतियां औषधि योजन में शामिल परिकलन ।

(2) औषधि पत्रों में असंगतियां—विभिन्न प्रकार की संगतियों भौतिक, रासायनिक तथा चिकित्सार्थ—का अध्ययन ।

(3) मात्राशास्त्र—औषधियों की मात्रा तथा मात्रानिर्धारण मात्रा को प्रमाणित करने वाले कारक, आयु, लिंग तथा पृष्ठीय क्षेत्र के आधार पर मात्राओं का परिकलन—पशु-चिकित्सा मात्राएं ।

2. औषधि-योजित औषधप्रयोग :

(नोट—निम्न औषधि-योजित औषध प्रयोग का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है । सैद्धान्तिक और क्रियात्मक पहलुओं से योग निर्माण करने की पद्धतियों, उचित पात्रों तथा संवरणों का प्रयोग । लेबल लगाने की आवश्यकताओं तथा स्टोर करने की अवस्थाओं की विशिष्टता होनी चाहिए) ।

(I) चूर्ण (पाउडर)—चूर्णों के प्रकार चूर्णों ग्रेन्यूल (कणिका), केशे (पुटक) तथा टिकिया संम्प्रेषणों की अनुकूलताएं एवं प्रतिकूलताएं औषधिपत्रों में गिनाए गए चूर्णों के विभिन्न प्रकारों का योग निर्माण—तोल करने की पद्धतियां, तोल करने में संभव त्रुटियां, न्यूनतम तोल करने योग्य राशि तथा न्यूनतम तोल करने योग्य राशि के नीचे पदार्थ को तोलना, तोलना, ज्यामितीय तनुता तथा औषधि योजन तुला का समुचित प्रयोग तथा रेखभाल ।

(II) मुख द्वारा ली जाने वाली द्रव औषधि की मात्रा निर्धारण फार्म :

(अ) एकावस्थ—आम तौर पर प्रयुक्त अनुपानों सहित सैद्धान्तिक पहलू, आवश्यक सहयोगी सोवहार जैसे स्थायीकर (स्टेबिलाइज़र) रंजनकर तथा सुगंधकर ।

सूत्रण तथा क्रियात्मक पद्धतियों के विस्तृत वर्णन सहित निम्न एकावस्थ द्रवों का पुनरावलोकन ।

आन्तरिक प्रयोग के लिए द्रव	बाह्य प्रयोग अथवा श्लेष्मिककला पर प्रयोग हेतु द्रव
मिश्रण तथा सान्द्र सिरप (शर्बत) एलिक्सिर	गरारे मुख धावन कंठ–लेप डूश कर्ण बिन्दु नासा बिंदु तथा फुहार लिनिमेंट लोशन

(ब) द्विप्रावस्थिक द्रव मात्रा निर्धारण फार्म ।

(1) निलम्बन (सस्पेंशन) (प्रारम्भिक अध्ययन)–विसरण शील ठोस तथा द्रव एवं उनके योगों से सम्मिलित–निलम्बन सहयोगों का अध्ययन, जिनका प्रयोग मोटा करने वाले कारकों, भिगोने वाले कारकों के रूप में होता है, उसकी आवश्यकता तथा समावेश होने वाली राशि (मात्रा) अवक्षेप बनाने वाले द्रवों जैसे टिंक्चर का निलम्बन, उनके योग तथा स्थायित्व । रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न निलम्बन अणिति/अनूर्णिति निलम्बन पद्धति से परिचय ।

(2) इमल्शन–इमल्शन के प्रकार, इमल्शन पद्धतियों की पहचान, इमल्शन का सूत्रण, इमल्सीकर कारकों का चयन । इमल्शनों में अस्थिरताएं । इमल्शनों का रक्षण ।

(3) अर्ध–घन मात्रानिर्धारण फार्म :

(अ) मरहम–मरहमों के प्रकारण, वर्गीकरण तथा चयन–त्वचाविज्ञान संबंधी अनुपान । निम्न प्रक्रमों द्वारा मरहमों का योग निर्माण एवं स्थायित्व : (1) सम्प्रेषण, (2) संयोजन (3) रासायनिक अभिक्रिया (4) इमल्सीकरण ।

(ब) पेस्ट–मरहम तथा पेस्ट के बीच भेद पेस्ट का आधार पेस्ट का योग निर्माण तथा उसका रक्षण ।

(स) जैली—विभिन्न प्रकार की जैलियों तथा उनके योग निर्माण से परिचय ।

(द) पुल्टिस का प्रारंभिक अध्ययन ।

(ई) सपोजीटरी (वर्तिका) तथा पेसरी—उनके सापेक्ष गुण तथा अवगुण, वर्तिक, के प्रकार, वर्तिका रोगी, वर्गीकरण : गुण, वर्तिकाओं की निर्माण तथा पैक करना । औषधि अवशोषण के लिए वर्तिकाओं का प्रयोग ।

(4) वस्त तथा प्रसाधन योग :

डैन्ट्रिफिसेज से परिचय, आनन श्रृंगार प्रसाधन, गंधहर, प्रतिस्वेदक, शैम्पू, हेयर ड्रेसिंग तथा हेयर रिमूवर (बालों को अरग करने वाले)

(5) निर्जीवाणुक मात्रा निर्धारण फार्म :

(अ) आन्त्रेतर मात्रा निर्धारण फार्म–परिभाषा, आन्त्रेतर मात्रा निर्धारण फार्म के लिए सामान्य आवश्यकताएं आन्त्रेतर सूत्रण के प्रकार, अनुमापन सहयोगी, संसाधन, कर्मचारी, सुविधाएं, गुण नियंत्रण । अन्तः शिरा तरलों तथा अधिमिश्रणों निर्माण पूर्ण आन्त्रेतर पोषण अयोहन तरल ।

(ब) निर्जीवाणुकता परीक्षण—कणमय द्रव्य मापक–क्रिया—त्रुटिपूर्ण सील—संवेष्टन ।

(स) नेत्र उत्पाद—विभिन्न नेत्र योगों के आवश्यक गुणों का अध्ययन । सूत्रण सहयोज्य । नेत्र उत्पादों के स्टोर करने में विशेष सावधानियां ।

क्रियात्मक (100 घन्टे)

कम से कम 100 उत्पादों का औषधि योजन जिसमें उनके योग आते हैं जैसे मिश्रण (मिक्सचर), इमल्शन, लोशन, लिनिमेंट कर्ण नासा । कण्ठ योग, मरहम, वर्तिका, चूर्ण, असंणत पत्र इत्यादि अनुशंसित पुस्तकें (नवीनतम संस्करण)

(1) भारतीय भैषजकोष

(2) ब्रिटिश भैषजकोष

(3) राष्ट्रीय सूत्र संहिताएं (एन० एफ० आई०, बी०एन० एफ०)

(4) रेमिंग्टन भैषजिक विज्ञान ।

(5) मार्टिन्डेल अतिरिक्त भेषज कोश

2.2 भैषजिक रसायन—II

सिद्धांत (100 घंटे)

1. 3 वलयों वाले विषम –चक्रिक तंत्र के विशिष्ट संदर्भ में कार्बनिक रासायनिक तंत्रों की नामावली से परिचय ।

2. निम्न भैषजिक कार्बनिक योगिकों का रसायन जो उनकी नामावली, रासायनिक संरचना, प्रयोग तथा मुख्य भौतिक तथा रसायनिक गुणों से युक्त है (केवल उन योगिकों की रासायनिक संरचना जो (✕) से चिह्नित है ।

इन औषधियों के विभिन्न प्रकार के भैषजिक सूत्रण एवं उनके लोकप्रिय व्यापारी नाम तथा स्थायित्व एवं संचयन की अवस्था ।

प्रतिरोधी तथा विसंक्रामक—प्रोफलेवीन*,

बेंजल कोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड,

क्लोरो क्रीसोल*, क्लोरोजाइलीन, फोर्मेल्डिहाइड विलयन है क्साक्लोरोफीन, द्रवीकृत फीनोल, नाइट्रो फरेन्टॉइन ।

सल्फानामाइडस—सल्फाडिआ जीन, सल्फाक्वानिडीन* थैलिल सल्फाथिआजोल, एक्सीनिल, सफफाथिआजोल, सल्फाडिमैथोक्सीन, सल्फामैथोक्सी पाइरीडिआजीन, सल्फा-मैथोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल, सल्फा सीटा माइड*

कुष्ट रोधी औषधियां—क्लोफाजिमीन, थिआमबुटाजोन, डैप्सोन*, सोलेप्सोन

यक्ष्मारोधी औषधियां—आइसोनाइजिड*,

पी०ए०एस०* स्ट्रैप्टोनाइसिन, रिफेम्पिसिन, इथैम्बुटोल, थाया-सिटाजोन, एथिनामाइड, साइक्लोसेरीन, पाइराजिनामाइड* प्रति अमीवा तथा कृमिनाशक औषधियां—इमेटीन, मैट्रो-निडाजोल, हेलोजेनेटेड हाइड्रोक्सि क्वि नोलीन, डाइलोक्सा-माइड फूरोएट, पैरोमोमीसिन, पाइपेराइजीन*, मेबेन्डा जोल, डी०ई०सी०* ।

प्रतिजीवी औषधियां—बेंजिल पैनिसिलिन*, फीनोक्सी-मेथिल पैनिसिलिन*, बैन्जाथीन पैनिसिलिन, एम्पिसिलिन*, क्लोक्सिसिलिन कार्बोनिसिलिन, जेन्टामाइसिन, निओमाइ-सिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लीन, सिफालेक्सिन, सिफे-लोरिडीन, सेफालोथिन, ग्राइसोफल्विन, क्लोरेम्फेनिकोल ।

कुवकरोधी कारक—अन्डेसाइलेनिक अम्ल, टोलनाफेटेट, निस्टैटिन, एम्फोटेरेसिन, हेमिसिन ।

प्रतिमलेरिया औषधियां—क्लोरोक्विन*, एमोडिओक्विन, प्राइमाक्विन, प्रोग्वानिल, पाइरीमैथामीन*, क्विनीन, ट्राइमैथोप्रिम ।

प्रशान्तक औषधियां—क्लोरप्रोमाजीन प्रोक्लोर प्रोमाजीन, ट्राइफलरो पेराजीन, थायोथिजीन, हेलोपेरिडोल, ट्राइपेरिडोल, ओक्सीपरटीन, क्लोरडायोजेपोक्साइड, डाया-जेपाम*, लोराजेपाम, मेप्रोबामेट ।

निद्राकर औषधियां—फेनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन साइक्लोबार्बिटोन नाइट्राजेपाम ग्लुटैथिमाइड मैथिप्राइलोन, पैरल्डीहाइड, ट्राइक्लोफोस सोडियम ।

सामान्य संज्ञाहरण औषधियां—हैलोथेन,* साइक्लो प्रोपने*, डाइएथिल ईथर*, मेथोहेक्सिटल सोडियम, थायोपेन्टल सोडि-यम, ट्राइक्लोर एथिलीन ।

प्रत्यवसादक औषधियां—एमिट्रिप्टीलीन, नौरट्रिप्टीलीन, इमिप्रेमीन, फेनेलजीन, ट्रेनिल साइप्रोमीन ।

संजीवक औषधियां—थियोफाइलीन, कोरा मीन*, डेक-सट्रो एम्फेटामीन, केफीम ।*

एड्रिनलिनधर्मो तेजक औषधियां—एड्रिनलीन* नारएड्रिन-लीन आइसोप्रेनेलीन*, फेनिलेफ्रीन, सालब्यूटमोल, टार-ब्यूटालीन, इफैड्रीन*, सूडोइफैड्रीन, एड्रिनलीन धर्मोत्ते जक विरोधी औषधियां टोलाजोलीन, प्रोप्रानोलोल*, प्रेक्टोलाल ।

कोलीनधर्मोत्तेजक औषधियां—निओस्टिअमीन*, पाइ-रिडोस्टिममीन, फेलिडोक्सीम, पाइलोकापीन, फिजियोस्टि-ग्मीन*

कोलीनधर्मोत्तेजक विरोधी औषधियां—एट्रोपीन*, हायो-सीन, हेमेट्रोपीन, प्रोपेन्थैलीन,* बैन्जट्रोपीन, ट्रेपिकामाइड, बाइपैरिडीन,*

मूत्रल औषधियां—फ्यूरोसिमाइड*, क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथिया-जाइड, बैन्जोथियाजाइड, यूरिआ*, मेनिटोल, एथाक्राइनिक अम्ल ।

हृद-वाहिका औषधियां—इथिल नाइट्रेट, ग्लिसेरिल ट्राइनाइट्रेट, एल्फा मेथिल डोपा, ग्वानेथिडीन, क्लोफाइब्रेट क्विनिडीन ।

अल्पग्लूकोजरक्तक कारक—इन्सुलिन, क्लोरप्रोपामाइड*, टोलबुटामाइड, ग्लाइबेनक्लेमाइड, फेनफोर्मिन*, मेटफोर्मिन

स्कंदक तथा प्रतिस्कंदक औषधियां—हिपैरिन, थ्रोम्बिन मेनाडिओन*, बिस-हाइड्रोक्सी क्यूमारीन*, वारफेरीन सोडियम

स्थानिक संवेदनाहर औषधियां—लिग्नेपेरिन*, प्रोकेन*, बेन्जोकेन, हिस्टामीना तथा प्रतिहीस्टामीन कारक—हिस्टा-मीन, डाइफेमेन हाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, साइप्रोहेपोटाडीन, मेपिरामीन, फैनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन*, वेदनाहर तथा ज्वरहर औषधियां—मोर्फीन, पैथिडीन*, कोडीन, मैथाडोन, एस्पिरिन*, पैरासीटामोल, एनाल्जिन, डेक्सट्रोप्रोजोक्सीफेन, पेन्टाजोसिन । स्टेराइडो शोथरोधी कारक—इन्डोमेथासीन*, फेनिलबूटाजोन*, आक्सीपेन बूटाजोन, आइबूप्रोफेन, थाइ-रोक्सीन तथा प्रत्यवट औषधियां—थाइरोक्सीन, मैथीमेजोल, मैथिल, थायोयूरेसिल, प्रीपिल, थायो यूरेसिल, नैदानिक कारक-आयोपानोइक अम्ल, प्रोपिल आयोडीन, सल्फोब्रोमोथेलिन सोडियम, इन्डिगो टिन्डि सल्फोनेट सोडियम (इन्डोगो कार-मीन) इवान्स ब्लू कोन्गोरैड, फ्लूओरेससीन सोडियम आक्षेप-रोधी, कार्डिक ग्लकोसाइड, अतालतारोधी, रक्तदाबरोधी तथा विटामिन

स्टेराइडी औषधियां—बीटामेथाजोन, कोर्टिसोन, हाइड्रो-कोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, प्रोजेस्टेटन, टैस्टीस्टेरोन, ईस्ट्रेडि-ओल, नेन्ड्रोलीन ।

अर्बुदरोधी औषधियां—एक्टिनोमाइसिन, एजाथियापूरीन, बुसल्फान, क्लोरेम्बुसिल, सिस्प्लेटिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, डानेरू बिसिन हाइड्रो-क्लोराइड, फ्लूओरोयूरेसिल, मर्के-प्टोप्यूरीन, मेथोट्रेक्सेट, माइटोमाइसिन अनुशंसित पुस्तकें (नवीनतम संस्करण)

1. भारतीय भेषजकोश
2. ब्रिटिश भेषजिक कार्डेक्स
3. मार्टिन्डेल—अतिरिक्त भेषजकोश

क्रियात्मक (75 घंटे)

1. कार्बनिक औषधियों का तंत्रानुसारी गुणात्मक परीक्षण जिसमें विलेयता निर्धारण, गलन बिन्दु तथा/या क्वथन बिन्दु तत्वों तथा क्रियात्मक वर्गों की खोज (10 यौगिकें) सम्मिलित है।

2. भारतीय भैषज कोश (आई० पी०) में शामिल कुछ औषधि वर्गों के लिए आधिकारिक पहचान परीक्षण जैसे बार्बिट्रेट्स, सल्फोनामाइड्स, फेनोथियाजीन्स, प्रतिजीवी औषधियां आदि (8 यौगिक)

3. तीन साधारण कार्बनिक योगों का निर्माण

2.3 भेषजगुण विज्ञान और विषविज्ञान

सिद्धांत (75 घंटे)

1. भेषजगुण विज्ञान से परिचय भेषजगुण विज्ञान का विस्तार।

2. औषधियों के प्रयोग करने के मार्ग, उनके लाभ एवं हानि।

3. औषधियों के अवशोषण के विभिन्न प्रक्रम और उनको प्रभावित करने वाले कारक, चयापचय, वितरण तथा औषधियों का उत्सर्जन।

4. औषधि क्रिया की सामान्य क्रियाविधि और वे कारक जो औषधि क्रिया को रूपान्तरित करते हैं,

5. औषधियों का भेषजगुण विज्ञान संबंधी वर्गीकरण। औषधियों से संबंधित चर्चा में निम्न पहलुओं पर बल चाहिए।

(1) केन्द्रीय तंत्रिका-तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां

(क) सामान्य संज्ञाहरण औषधियां, संज्ञाहरण के साथ सहायक होना अंतः शिरा संज्ञाहरण औषधियां

(ख) वेदनाहर, ज्वर हर तथा स्टेरॉइडी शोथरोधी औषधियां, स्वापक वेदनाहर औषधियां रूमेटिज्म-रोधी तथा गाउटरोधी उपचार शामक तथा निद्राकारी औषधियां, मनः औषध आक्षेप-रोधी, संजीवक औषधियां।

(ग) केन्द्रीय तौर पर कार्य करने वाले पेशी शिथिलक तथा पारकिन्सनतारोधी कारक।

(2) स्थानीय संवेदनाहर औषधियां

(3) स्वचालित तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां

(क) कोलीन धर्मोत्तेजक औषधियां, कोलीनधर्मोत्तेजक रोधी औषधियां, कोलीनेस्टेरेजरोधी औषधियां।

(ख) एड्रिनील धर्मोत्तेजक औषधियां तथा एड्रिनलिनधर्मोत्तेजक ग्राहक रोधक।

(ग) तंत्रिका का शिरा (न्यूरोन) रोधक तथा गंडिका रोधक।

(घ) तंत्रिका-पेशी रोधक, गंभीर पेशी दुर्बलता में प्रयुक्त औषधियां

(4) नेत्र पर कार्य करने वाली औषधियां, तारातिस्फारक औषधियां ग्लोकोमा (अधिमंथ) में प्रयुक्त औषधियां।

(5) श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां श्वसन उत्तेजक, श्वसनीविस्फारक नासिका विसंकुलक, कफनिस्सारक तथा कासरोधी कारक।

(6) प्रत्यम्ल, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन की शरीर क्रियात्मक भूमिका, हिस्टामीन तथा हिस्टामीन रोधी, प्रोस्टाग्लेंडिन।

(7) हृद्-वाहिका औषधियां, हृद्वल्यवर्ग, अतालता रोधी कारक, एन्जोइनारोधी कारक, अति रक्त-दाबरोधी कारक, परिसरीय वाहिका विस्फारक, एथिरोकाठिन्य में प्रयुक्त औषधियां।

(8) रक्त तथा रक्त को बनाने वाले अंगों पर कार्य करने वाली औषधियां, रक्तवर्धक औषधियां, स्कंदक तथा प्रतिस्कंदक, रक्त स्तम्भक, रक्त प्रति-स्थायी तथा प्लाविका (प्लाज्मा) वर्धक।

(9) वृक्का के कार्य को प्रभावित करने वाली औषधियां, मूत्रल तथा प्रतिमूत्रल औषधियां।

(10) हार्मोन तथा हार्मोन विरोधी—अल्पग्लूकोज-रक्तक कारक, प्रत्यवटु औषधियां, लिंग हार्मोन तथा मौलिक गर्भ निरोधक कोर्टिको-स्टेराइड्स।

(11) पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां—वातानुलोमक, पाचक, तिक्त वर्ग, प्रत्यम्ल तथा पेप्टिक व्रण में प्रयुक्त औषधियां, विरेचक तथा मृदुविरेचक (कारक), प्रवाहिका रोधी वामक, वामकरोधी तथा उद्वेष्टरोधी औषधियां।

6. सूक्ष्म जीवी रोग की रसायन चिकित्सा : मूत्र पूति रोधी, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टैट्रासाइक्लिन तथा अन्य प्रतिजीवी औषधियां यक्ष्मारोधी कारक, कुष्ठरोधी कारक, वाइरसरोधी औषधियां, कुष्ठ रोधी औषधियां।

7. प्रोटोजुआ जनित रोगों की रसायन चिकित्सा—कृमिरोधी औषधियां।

8. कैंसर की रसायन चिकित्सा।

9. विसंक्रामक तथा पूतिरोधी औषधियां प्रत्यक्ष अंग पर औषधियों की क्रिया के संबंध में विस्तृत अध्ययन आवश्यक नहीं है।

क्रियात्मक (50 घंटे)

निम्न प्रयोगों के प्रथम छः विद्यार्थियों द्वारा किए गए जायेंगे जबकि शेष अध्यापक द्वारा प्रदर्शित किए जायेंगे :—

1. K^+, Ca^{++} एसिटिल कोलीन तथा एड्रिनलीन का मेंढ़क के हृदय पर प्रभाव।

2. मेंढ़क की समोदरिका पेशी तथा गिनी पिग की शेषांत्र (इलियम) पर एसिटिल कोलीन का प्रभाव।

3. खरगोश की आंत्र पर आकर्षजन तथा शिथिलकों का प्रभाव ।

4. खरगोश के स्वच्छमंडल पर स्थानिक संवेदनाहर औषधियों का प्रभाव ।

5. खरगोश के नेत्र पर तारा विस्फारकों तथा तारासंकोचकों का प्रभाव ।

6. मेंढक पर स्ट्रिकनीन की क्रिया का अध्ययन ।

7. मेंढक के हृदय पर डिजिटेलिस का प्रभाव ।

8. चूहिया में निद्राकरों का प्रभाव ।

9. चूहिया या चूहों के आक्षेपकों तथा आक्षेपरोधी का प्रभाव ।

10. पाइरोजन के लिए परीक्षण ।

11. चुहिया/चूहों में क्लोरप्रोमाजीन का पालतू बनाने का प्रभाव तथा निद्रापकता प्रबलकारी प्रभाव ।

12. गिनी पिग में प्रयोग द्वारा उत्पन्न दमा में डाइफैनिल हाइड्रामीन का प्रभाव ।

2.4 व्यवहार . भैषजिकी

सिद्धांत (50 घंटे)

1. भारत में भेषजिकी विधान का उद्गम तथा प्रगति, उसका विस्तार तथा लक्ष्य में स्वास्थ्य देखभाल तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में "फार्मेसी (भेषजी) की संकल्पना" का विकास ।

2. व्यावसायिक आचार की सार्थकता तथा नियम-भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा प्रारूपित भैषजिकी आचार के कोड आलोचनात्मक अध्ययन ।

3. भैषजिकी अधिनियम, 1940 —शिक्षा विनियमन के विशिष्ट संदर्भ के साथ फार्मेसी अधिनियम का सामान्य अध्ययन, राज्य तथा केन्द्रीय परिषों की कार्य प्रणाली, इन परिषदों का संविधान तथा कार्य अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रक्रिया ।

4. औषधि तथा श्रंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 : औषधि तथा श्रंगार प्रसाधन अधिनियम तथा उसमें निहित नियमों का सामान्य अध्ययन । औषधियों के खुदरा तथा थोक वितरण से संबंधित परिभाषा तथा मुख्य लक्षण । निरीक्षण के अधिकार, नमूना लेने की प्रक्रिया तथा नियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने में प्रक्रिया तथा औपचारिकताएं फार्मेसी को प्रभावकारी तरीके से चलाने के लिए सुविधाओं का प्रबंध करना अधिसूची सी० सी०, एफ०जी० जे० एच० पी० तथा एक्स के विशिष्ट संदर्भ के साथ अधिसूचियों का सामान्य अध्ययन तथा औषधियों के भंडारन की अवस्थाओं तथा लेबिल लगाने के प्रमुख लक्षय ।

5. औषधियों तथा जादूपूर्ण ढंग से उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954—अधिनियम ध्येय का सामान्य अध्ययन, विज्ञापनों जादूपूर्ण ढंग से उपचार त आपत्ति जनक एवं अनुमत विज्ञापनों पर विशिष्ट संदर्भ को प्रस्तुत करना—रोग जिनके उपचार करने का दावा नहीं किया जा सकता ।

6. स्वापक तथा साइकोट्रोपिक द्रव्य अधिनियम, 1985 ध्येय, अपराध तथा दंड के विशिष्ट संदर्भ के साथ अधिनियम का संक्षिप्त अध्ययन ।

7. निम्न अधिनियमों के अध्ययन हेतु संक्षिप्त परिचय ।

1. लागू नवीनतम औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश ।

2. विष अधिनियम 1919 (जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित हुआ हो ।)

3. औषधीय तथा प्रसाधन योग (उत्पाद शुल्क) । अधिनियम, 1955 (जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित हुआ हो) ।

4. संगर्भता को चिकित्सा द्वारा समाप्त करने का अधिनियम, 1971 (जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित हुआ हो ।)

अनुशासित पुस्तकें (नवीनतम संस्करण)

सरकार द्वारा प्रकाशित उक्त नियमों के मात्र अधिनियम ।

2.5 औषध भंडारण तथा व्यापार व्यवस्था

सिद्धांत (75 घंटे)

भाग-1 : वाणिज्य (50 घंटे)

1. परिचय-व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य, कार्य तथा वाणिज्य के उपविभाग, अर्थ शास्त्र के तत्वों तथा व्यवस्था से परिचय—

2. व्यापार संगठनों का स्वरूप ।

3. वितरण के मार्ग ।

4. औषधि प्रयोग व्यवस्था—स्थान का चयन स्थान विन्यास तथा कानूनी आवश्यकताएं ।

खरीद करने के ध्येय तथा महत्व, सप्लायरों का चयन, भरोसे की सूचना, टैंडर, अनुबंध तथा कीमत निर्धारण तथा संबंधित कानूनी अपेक्षाएं संहिताकरण औषधि भंडारों की संभलाई तथा अस्पताल के अन्य सामानों का प्रबंध ।

5. स्टाक—नियंत्रण-ध्येय तथा महत्व, आधुनिक तकनीक जैसे ए० वी० सी०, वी०ई० डी० विश्लेषण तैयारी (लीड) समय, समूल्य माल, सुरक्षा भंडार, न्यूनतम तथा अधिकतम भंडार स्तर, किफायती आर्डर मात्रा, स्क्रेप तथा अधिशेष निपटारा ।

6. बिक्री संवर्धन, बाजार अनुसंधान, विक्रयकला, विक्रेता के गुण विज्ञापन तथा खिड़की (विंडो) प्रदर्शन ।

7. भर्ती, प्रशिक्षण, भेषजज्ञ का मूल्यांकन तथा क्षति-पूर्ति ।

8. बैंकिंग (लेन देन) तथा वित्त-बैंक की सेवा तथा कार्य, वित्त योजना तथा वित्त के स्रोत ।

भाग–II लेखा–कर्म (25 घंटे)

1. लेखा–विधि संकल्पना तथा समझौतों से परिचय, दोहरा लेखा, हिसाब–किताब (मुनीमी) विभिन्न प्रकार के लेखा।

2. रोकड़–बही।

3. सामान्य खाता–बही तथा कच्चा चिट्ठा

4. लाभ और हानि लेखा तथा पक्का चिट्ठा।

5. वित्त विवरणों के विश्लेषण की साधारण पद्धति — आय–व्यय पत्र से परिचय।

अनुशंसित पुस्तकें (सर्वोत्तम संस्करण)

रेमिंग्टन भैषजिक विज्ञान।

2.6 अस्पताल तथा क्लिनिकल फार्मेसी (भेषजी)

सिद्धान्त (75 घन्टे)

भाग I : अस्पताल भेषजी (फार्मेसी)

1. अस्पताल परिभाषा, कार्य, विभिन्न कसौटी के आधार पर वर्गीकरण संगठन, भारत में स्वास्थ्य प्रदान तंत्र तथा व्यवस्था।

2. अस्पताल फार्मेसी :

(क) परिभाषा।

(ख) अस्पताल भेषजिक सेवाओं के कार्य एवं ध्येय।

(ग) स्थान, अभिन्यास, द्रव्यों तथा व्यक्तियों का फ्लो चार्ट।

(घ) कार्यकर्ता तथा सुविधाओं की आवश्यकताएं जिसमें व्यक्तिगत तथा आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर उपस्कर सम्मिलित हैं।

(ङ) अस्पताल भेषजज्ञों के लिए अपेक्षाएं आवश्यकताएं तथा योग्यताएं।

3. अस्पतालों में औषधि वितरण पद्धति :—

(क) बहिरंग रोगी सेवाएं।

(ख) अंतरंग रोगी सेवाएं :—(अ) सेवाओं के प्रकार (ब) यूनिट मात्रा पद्धति की विस्तृत चर्चा, फ्लोर वार्ड स्टाक पद्धति, अनुषंगी भेषजी सेवाएं केन्द्रीय स्टेराइल सेवाएं, मध्यागत फार्मेसी।

4. निर्माण करना :

(अ) अर्थव्यवस्थापरक सोच विचार, मांग का आंकलन।

(ब) निर्जीवाणुक निर्माण—बृहत तथा लघु आयतन आन्त्रेतर सुविधाएं, आवश्यकताएं, विन्यास, उत्पादन योजना, मानव शक्ति आवश्यकताएं।

(स) अनिर्जीवाणुक निर्माण–तरल मुख द्वारा, बाह्य प्रयोग वस्तु अधिक मात्रा औषध वस्तु।

(ड) भंडारों की उपलब्धि तथा कच्चे माल का परीक्षण।

5. सर्जीकल यंत्रों तथा अस्पताल उपस्करों तथा स्वास्थ्य अतिरिक्त वस्तुओं की नाम वली तथा प्रयोग।

6. पी॰ टी॰ सी॰ (फार्मेसी भैषजिक समिति अस्पताल, सूत्र संहिता तंत्र तथा उनके संगठन, कार्य करना, संगठन।

7. औषधि सूचना सेवा तथा औषधि सूचना बुलेटिन।

8. सर्जीकल ड्रेसिंग जैसे रूई, गाज़, पट्टियां तथा श्लेपक टेप तथा उनके गुण के लिए भैषजकोशीय परीक्षण अन्य अस्पताल प्रदान अर्थात्, अतः शिरा सेट्स, बी॰जी॰ सेट्स, रायल ट्यूब, कैथीटर, सिरिंज इत्यादि।

9. रिकार्डों के रख-रखाव में कम्प्यूटरों का प्रयोग, वस्तु विवरणी नियंत्रण, औषध प्रयोग मापकक्रिया औषधि सूचना तथा अस्पताल में डाटा भंडारन तथा पुनः प्राप्ति तथा खुदरा फार्मेसी संस्थापना।

भाग II: क्लिनिक फार्मेसी

1. क्लिनिक फार्मेसी प्रेक्टिस से परिचय—परिभाषा विस्तार।

2. आधुनिक औषधि योजन (नुस्खा बनाना) पहलू—भेषजज्ञ तथा रोगी परामर्श करना तथा सामन्य औषधियों के प्रयोग के लिए सलाह, औषध प्रयोग इतिवृत्त।

3. चिकित्सा करते समय प्रयुक्त सामान्य प्रतिदिन शब्दावली।

4. रोग, अभिव्यक्ति तथा विकृत–शरीर क्रिया विज्ञान जिसमें रोग को समझने के लिए प्रयुक्त लक्षण सम्मिलित हों, जैसे यक्ष्मा, यकृतशोथ रूमेटामटसंधिशोध, हृद्–वाहिका रोग, अपस्मार, मधुमेह पैप्टिक व्रण, अतिरिक्त दाब।

5. शरीर क्रियात्मक पैरामीटर और उनका महत्व।

6. औषधि अन्योन्य क्रियाएं :

(अ) परिभाषा तथा परिचय।

(ब) औषध अन्योन्य क्रिया की क्रियाविधि।

(स) औषधिसंवेदनाहर, मूत्रल, हृद्–वाहिका औषधियां, जठर–आंत्र कारकों, विटामिन तथा अल्परक्तकोशरक्तक कारकों के संदर्भ के साथ औषधि अन्योन्य क्रिया।

(ड) औषधि–भोज्य अन्योन्य क्रिया।

7. प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियायें :—

(अ) परिभाषा तथा महत्व :

(ब) औषधि-प्रेरित रोग तथा अपरूपजनता।

8. क्लिनिकल विषालुता में औषधियां—परिचय विषाक्तता की सामान्य चिकित्सा, तंत्रानुसारी प्रतिकारक, कीट-नाशी विषाक्तता की चिकित्सा, भारी धातु विष, स्वापक औषधियां, बार्बिट्यूरेट, ओर्गेनो-फोस्फोरस विष।

9. निर्भरता औषधि, औषधि दुरुपयोग, व्यसनकारी औषधियां और उनकी चिकित्सा, उपद्रव ।

10. औषधियों की जैव:सुलभता, इनको प्रभावित करने वाले कारक सम्मिलित हैं ।

अनुशंसित पुस्तकें (नवीनतम संस्करण) :

1. रेमिंग्टन भैषजिकी विज्ञान ।
2. मार्टिन्डेल एक्सट्रा भेषज कोश ।

क्रियात्मक (50 घन्टे)

अस्पताल तथा क्लिनिक फार्मेसी (भेषजी)

1. आधान तरलों का योग निर्माण ।
2. (1) में प्रयुक्त कच्चे माल का परीक्षण ।
3. सर्जीकल ड्रेसिंग का मूल्यांकन ।
4. शल्यकर्म में प्रयुक्त यंत्रों, कांच के बर्तन तथा अन्य अस्पताल प्रदानों का निर्जीवाणुकरण ।
5. आंकड़े संसाधन उपस्करों का हस्तोपचार तथा प्रयोग ।

परिशिष्ट—ख

(देखिए विनियम-9)

शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा शर्तों को पूरा करना है,

भारत में कोई भी प्राधिकारी जो भेषजज्ञों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतु भारतीय फार्मेसी परिषद को फार्मेसी, अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, को देनी होगा :

(अ) आवास :

प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष, दफ्तर, कक्षा हेतु कमरा, वाचनालय, स्टाफ कामन रूम, विद्यार्थियों के लिए कामन रूम, संग्रहालय, भंडारघर इत्यादि के लिए कमरों में समुचित तथा पर्याप्त,, आवास, जिसमें पर्याप्त वातायन, प्रकाश तथा अन्य स्वास्थ्यकर अवस्थाएं हों, देनी चाहिए ।

कम से कम निम्न उल्लिखित चार प्रयोगशालाओं को देना चाहिए :—

1. औषध निर्माण विज्ञान प्रयोगशाला ।
2. भैषजिक रसायन, प्रयोगशाला ।
3. शरीर क्रिया विज्ञान, भेषजगुण, विज्ञान तथा भेषज अभिज्ञान प्रयोगशाला ।
4. जीव रसायन नैदानिक विकृति विज्ञान, अस्पताल तथा क्लिनिकल फार्मेसी, प्रयोगशाला ।

प्रयोगशालाओं के साथ-साथ तुला कक्ष, अपूतित कक्ष या कैबिनेट, जन्तुघर, एक मशीन कमरा को भी देना है ।

प्रयोगशाला के फर्श का क्षेत्र 30 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी से कम नहीं होनी चाहिए । विद्यार्थी को किसी भी समय प्रयोगशाला में कार्य करने की आवश्यकता हेतु यह क्षेत्र कम से कम 500 वर्ग फुट तक हो ।

ये प्रयोगशालाएं इस प्रकार फिट तथा बनी होनी चाहिए कि इनको ठीक प्रकार से साफ सुथरा रखा जा सके । जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां गैस और जल की फिटिंग, शैल्फ, फ्यूम कमबोर्ड देनी चाहिए ।

(ब) कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) :

प्रधानाचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष को एक सप्ताह में 8 घंटें अध्यापन कार्य करना चाहिए और उनके अध्यापकों का कार्यभार प्रति सप्ताह 16 घन्टे से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

सैद्धान्तिक कक्षाओं में कर्मचारी वर्ग तथा विद्यार्थी अनुपात 1:60 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए । प्रयोगात्मक कक्षाओं में 1 : 20 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए । प्रयोगात्मक कक्षाओं में 30 विद्यार्थियों के बैच के ऊपर दो अध्यापक होनी चाहिए । ऊपर लिखें मानकों के अनुसार, 60 विद्यार्थियों की भर्ती के लिए निम्न स्टाफ की आवश्यकता है :—

आचार्य/रीडर-एक

वरिष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक—सात ।

वह प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष का भी कार्य कर सकता है, जैसी भी स्थिति हो प्राधानाचार्य/निदेशक/संस्था/विभाग का अध्यक्ष तथा प्राध्यापकों की न्यूनतम योग्यताएं नीचे दी गई हैं :—

प्रधानाचार्य/निदेशक	फार्मेसी में बेसिक डिग्री तथा भैषजिकी ।
विभागाध्यक्ष/संस्था	विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर ।
अध्यक्ष (आचार्य/रीडर)	डिग्री तथा 5 वर्षों का अध्यापन का अनुभव ।
प्राध्यापक	एम-फार्म ।
	या
	बी० फार्म० तथा 3 वर्ष का अध्यापन/व्यवसायिक अनुभव ।

बशर्ते कि उपरोक्त योग्यताएं निरस्त शिक्षा विनियमों के अधीन नियुक्त किए पदधारियों को लागू नहीं होंगी ।

अध्यापन कार्य न करने वाला कर्मचारी वर्ग :

डी० फार्म० कोर्स के लिए अध्यापन कार्य न करने वाले कर्मचारी वर्ग की सूची

1. प्रयोगशाला तकनीशियन (योग्यता-फार्मेसी में डिप्लोमा)	2
2. प्रयोगशाला परिचर	4
3. कार्यालय अधीक्षक	1
4. क्लर्क एवं लेखाकार	1
5. स्टोर कीपर	1
6. टंकक	1
7. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
8. चपरासी	2
9. सफाई कर्मचारी/मेहतर	4
10. माली	1

भैषजिकी प्रयोगशाला के लिए उपस्करों की सूची

(अ) विशिष्ट उपस्कर तथा यंत्र	आवश्यक संख्या 60 विद्यार्थियों के लिए	120 विद्यार्थियों के लिए
1	2	3
1. सतत ऊष्ण निष्कर्षण उपस्कर	5	10
2. शंक्वाकार परिस्रावित्र	20	40
3. टिंक्चर दाबित्र	1	1
4. हस्त चर्वण पेषणी	5	5
5. विघटनित्र	1	1
6. गोलक पेषणी	1	1
7. हस्त प्रचालित टिकिया मशीन	3	3
8. ऊष्ण वायु धामित्र प्रयोगशाला आकार के साथ टिकिया विलेपन पात्र यूनिट	1	1
9. चमकने वाला पात्र प्रयोगशाला आकार	1	1
10. टिकिया कठोरता परीक्षण यंत्र (1 मोर्सेंटो प्रकार)	3	3
11. टिकिया कठोरता परीक्षण यंत्र (फादूजर प्रकार)	3	3
12. विघटन परीक्षण यूनिट	2	2
13. प्रविलयन दर परीक्षण तंत्र	1	1
14. कणी कारी चालनी सेट	20	40
15. टिकिया गणित्र लघु आकार	5	5
16. चूर्ण अंशता परीक्षण यंत्र	1	1
17. दबने वाली नली पूरण तथा मुखबंधन उपस्कर	2	2
18. कैप्सूल पूरण मशीन (प्रयोगशाला आकार) योजन	2	2
19. औषधयोजन तुला	40	60
20. तुला मरोड़ प्रकार अलग करने योग्य ग्लास पात्र सहित सूक्ष्मग्राहिता, 30 मि०ग्रा०	5	5
21. आस्रुत जल के लिए आसवन उपस्कर	2	2
22. जल अनायनीकरण यूनिट	1	2
23. इंजेक्शन के लिए जल बनाने हेतु पूरा कांच आसवन यूनिट	2	4
24. एम्पयूल धावत मशीन	1	1
25. एम्प्यूल पूरण तथा मुखबंधन मशीन	1	1
26. जीवाणु प्रूफ-निस्यंदन के लिए निसावित ग्लास निस्यंदक (4विभिन्न कोटि)	20 प्रत्येक कोटि	20 प्रत्येक कोटि
27. मिलीपोर निस्यंदक 3 कोटि	2 प्रत्येक कोटि	2 प्रत्येक कोटि
28. आटो क्लेव	2	2
29. प्रेशर कुकर	5	10
30. ऊष्ण वायु विसंक्रमित्र	2	3
31. उष्मायित्र	2	2
32. अपूतित कैबिनेट	2	3
33. खरगोश कतघरा तथा होल्डर	10	10
34. एम्प्यूल स्वच्छता परीक्षण उपस्कर	2	2
35. मिश्रण यंत्र	2	3
36. चालनी सेट (भेषज कोशीय मानक)	10	10
37. प्रयोगशाला अपकेन्द्रित्र	2	3
38. मरहम सिल	40	40
39. मरहम स्पैचुला	40	40
40. मुसली तथा खरल (प्रोसेलिन)	40	40
41. मुसली तथा खरल (कांच)	10	10
42. वर्तिक (सपोजीटरी) सांचे तीन आकार के	20 प्रत्येक	30 प्रत्येक
43. प्रक्षीतक	1	1

ब. सामान्य कांचपात्र	पर्याप्त	पर्याप्त
स. रसायन साधित्र तथा प्रयोगशाला सुविधाएं पर्याप्त :	पर्याप्त	पर्याप्त

2. भेषजिक रसायन प्रयोगशाला के लिए उपस्कर की सूची :

अ. विशिष्ट उपस्कर तथा यंत्र	60 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या	120 विद्यार्थियों केलिए आवश्यक संख्या
1. अपवर्तनांकमापी	1	1
2. ध्रुवणमापी	1	1
3. प्रकाश वैद्युत वर्णमापी	1	1
4. पी० एच० मापी	2	2
5. एटोमीकमोडिल सेट	10	10
6. विश्लेषी तुलाए तथा भार बक्स सेट	10	15
7. भौतिक तुला तथा भार बक्स सैट	5	5
8. प्लेटफार्म तुला	2	2
9. सावधिक टिकिटा चार्ट	2	2
ग. सामान्य कांचपात्र	पर्याप्त	पर्याप्त
स. विविधसाधित्र, रसायन तथा प्रयोगशाला सुविधाएं :	पर्याप्त	पर्याप्त

3. शरीर क्रिया विज्ञान तथा भेषजगुण विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्कर सूची

अ. विशिष्ट उपस्कर तथा यंत्र	60 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या	120 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या
1	2	3
1. हीमो ग्लोबिन मापी	20	30
2. रक्तकोणिका मापी	10	20
3 विद्यार्थी अंग स्नान	5	10
4. शैरिंगटन धूर्णन ड्रम	5	10
5. मैंढक बोर्ड	15	20
6. ट्रे (डिसेक्टिंग)	10	20
7. फ्रंटल लेखी उत्तोलक	15	30
8. वातम नलिका	20	40
9. टेलीथर्मोमीटर	1	2
10. पोल अरोही उपकरण	1	2
11. हिस्टागीन कोष्ट	1	2
12. साधारण उत्तोलक	15	30
13. स्टार्लिंग हृद् उत्तोलक	10	20
14. ई०सी०जी० (विद्युत हृद्-लेख) मशीन		
15. वातक	5	10
16. अतकविज्ञान संबंधी स्लाइड	25	25
17. रक्तदाब मापी (ब्री० पी० यंत्र)	5	5
18. स्टैथोस्कोप	5	5
19. प्रथम सहायता उपस्कर	5 सेट	5 सेट
20. गर्भनिरोधक साधन	5 सेट	5 सेट
21. विच्छेदन यंत्र (सर्जीकल)	20 सेट	30 सेट
22. शस्त्रकार्य टेबल (छोटी)	2	2
23. लघु जन्तुओ (प्राणियों) के भार को मापने की तुला	1	2
24. काइमोग्राफ पेपर	पर्याप्त	पर्याप्त
25. सक्रियता केज (एक्टोफोटो-मीटर)	1	1
26. वेदनाहर मापी	1	1
27. तापमापी	20	20
28. आस्रुत जल आसवनयंत्र	2	2
29. प्लास्टिक जन्तु केज (कटधरा)	10	10
30. उभय यूनिट अंग स्थान तापमापी के साथ	1	1
31. प्रशीतक	1	1
32. एकलपात्र तुला	1	1
33. चार्ट	पर्याप्त	पर्याप्त
34. मानव कंकाल	1	1
35. शरीर रचना सम्बन्धी निदर्श (हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, कर्ण, जनन तंत्र इत्यादि)	1 सेट	1 सेट
36. विद्युत-आक्षेप मापी	1	1
37. स्टोप वाच	10	10
38. संधर, बॉयलैड, स्क्रू, क्लिप	पर्याप्त	पर्याप्त
39. सिम्स कैनुला	20	20
ब. सामान्य कांचपात्र	पर्याप्त	पर्याप्त

स. रसायन तथा विविध प्रयोगशाला उपकरण तथा साधित्र (सूचिकाएं, धागा, प्लास्टिसीन, ट्यूबिंग, बर्नर, पोलीथीन, नलिकाएं, सिरिंज इत्यादि)	पर्याप्त	पर्याप्त

4. जीव रसायन तथा नैदानिक विकृति विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्करों की सूची

अ. विशिष्ट उपस्कर तथा यंत्र	60 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या	120 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या
1. वर्णमापी	2	2
2. सूक्ष्मदर्शी	20	20
3. स्थायी स्लाइड : (त्वचा, वृक्क, अमस्याशय, चिक्कण पेशी, यकृत इत्यादि)	पर्याप्त	पर्याप्त
4. वाच ग्लास	25	50
5. अपकेन्द्रित्र	1	1
6. सूक्ष्मदर्शी तेल निमज्जनों के साथ	5	5
ब. सामान्य कांच पात्र	पर्याप्त	पर्याप्त
सं. मूत्र तथा रक्त के सामान्य तथा वैकृत संघटकों के विश्लेषण के निक जीव रसायन अभिकर्मक तथा सुविधाएं	पर्याप्त	पर्याप्त

5. भेषज-अभिज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्करों की सूची

अ. विशिष्ट उपस्कर तथा यंत्र	60 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या	120 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या
1. डिसैक्टिंग (विच्छेदन) सूक्ष्मदर्शी	20	20
2. चार्ट (विभिन्न प्रकार)	100	100
3. मोडल (विभिन्न प्रकार)	50	50
4. स्थायी स्लाइड	100	100
5. स्लाइड तथा कवर स्लिप	पर्याप्त	पर्याप्त
ब. सामान्य कांचपात्र	पर्याप्त	पर्याप्त
स. विविध, साधित्र, रसायन तथा प्रयोगशाला साधित्र	पर्याप्त	पर्याप्त

6. अस्पताल तथा क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिकल के लिए उपस्करों की सूची :

1. जल आसवन यंत्र	1
2. मिश्रण पात्र विलोडक के साथ	2
3. निस्यंदन उपस्कर	2
4. पूरण मशीन	1
5. मुखबंधन मशीन	1
6. ऑटोक्लेव विसंक्रमक	1
7. कला निस्पंदक	1 यूनिट
8. सम्पूर्ण निस्पंदन कारी समुच्चय के साथ निमादित कांच फनेल (कूपी)	10 यूनिट
9. IV अधिमिश्रण निस्पंदन के लिए लघु प्रयोज्य कला निस्पंदक	पर्याप्त
10. लेमिनर वायु प्रवाह यंत्र	1
11. निर्वात पम्प	1
12. भट्ठी (ओवन)	2
13. सर्जिकल ड्रेसिंग	2
14. ऊष्मायित्र	1
15. आर्द्रता अंश निर्धारण के लिए कार्लफिशर उपकरण	1
16. ज्वाला प्रकाशमापी	1
17. पी० एच० मापी	1
18. प्रविलियन उपकरण	1
19. अवखण्डन परीक्षण उपकरण	1
20. कठोरकर परीक्षण यंत्र	1
21. अपकेन्द्रित्र	1
22. चुम्बकीय विलोडक	1
23. तापस्थापी स्थान	1
24. प्रयोगात्मक जन्तु (प्राणी)	पर्याप्त

7. उपस्करों की सामान्यसूची	60 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या	120 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संख्या
1. आसुत जल आसवन यंत्र	2	2
2. निर्वात पम्प	2	3
3. प्रशीतक	1	2
4. संग्रहालय के लिए सामान्य पूरण उपस्कर	पर्याप्त	पर्याप्त
5. मिश्रित सूक्ष्मदर्शी	20	20
6. तेल नियंजन सूक्ष्मदर्शी	1	2
7. शिरोपरि प्रक्षेपक	1	1
8. स्लाइड एवं स्ट्रिप प्रक्षेपक	1	1
9. प्रक्षेपण स्क्रीन	1	1

संग्राहलय :

प्रत्येक संस्था को कच्ची औषधियों, वनस्पति संग्राहालय पत्र, पाठ्यक्रम में उल्लिखित औषधियों तथा पदार्थों के वानस्पतिक नदर्शी, का एक संग्रहालय बनाये रखना होगा। इसके अतिरिक्त निम्न की सिफारिश की जाती है :—

1. औषधीय पदार्थों की रंगीन स्लाइड।
2. लोकप्रिय एकस्व औषधियों का प्रदर्शन, तथा
3. औषधियों में आम इस्तेमाल के पात्र

पुस्तकालय :

प्रत्येक संस्था एक पुस्तकालय को बनाये रखेगी जिसमें पायक्रम में दी हुई पुस्तकों तथा प्रचलित भेषजिक पत्रिकाओं को रखा जाना चाहिए। पुस्तकालय में विद्यार्थियों तथा कर्मचारी वर्ग की पुस्तकों को संदर्भ हेतु देखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

नोट :

ऊपर दी हुई आवश्यकताएं कम से कम हैं, और संस्था को अधिक भौतिक एवं शिक्षण सुविधाओं को उपलब्ध कराने की छूट है।

परिशिष्ट–ग

(देखें विनियम—18)

परीक्षा लेने वाले प्राधिकारी द्वारा शर्तों को पूरा करना है

1. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी या तो सांविधिक भारतीय विश्वविद्यालय होगा या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किया हुआ एक निकाय होगा। वह आश्वस्त करेगा कि परीक्षाओं की शालीनता एवं अनुशासन का परीक्षा केन्द्रों पर सख्ती से पालन किया गया है।
2. वह भारतीय फार्मेसी परिषद् के निरीक्षक अथवा निरीक्षकों को परीक्षाओं में आने तथा निरीक्षण करने के लिए अनुमति देगा।
3. वह उपलब्ध करायेगा :—
   (अ) लिखित परीक्षाओं को बनाये रखने में आवश्यक फर्नीचर के साथ पर्याप्त कमरे,
   (ब) प्रयोगात्मक परीक्षा को बनाये रखने के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं,
   (स) परीक्षाओं को संचालित तथा अन्वीक्षण करने के लिए योग्य तथा उत्तरदायी परीक्षक तथा स्टाफ (कर्मचारी वर्ग) की पर्याप्त संख्या, तथा
   (ड) परीक्षाओं को दक्षतापूर्ण तथा उचित रूप से चलाने के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं जो आवश्यक हो सकती हैं
4. उसकी यदि परीक्षार्थी द्वारा मांग की गई है कि उसे प्राप्तांक का विवरण निर्धारित फीस देने के बाद, यदि हो तो, उपलब्ध कराया जाये, देना होगा।
5. वह ऐसे परीक्षक नियुक्त करेगा जिनकी योग्यताएं विषयों को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के समान हों जैसा कि परिशिष्ट 'ख' में दर्शाया गया है।
6. फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (3) के निष्पादन में परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी भारतीय फार्मेसी परिषद् के सचिव को परीक्षाओं की तिथि निश्चित होने की तथा परीक्षाओं की समय सारिणी को समुचित करेगा जिससे कि परिषद् परीक्षाओं के निरीक्षण के लिए प्रबन्ध कर सके।

परिशिष्ट–घ

(देखें विनियम 20 (3))

प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु मान्यता देने के लिए संस्था द्वारा शर्तें पूरी करनी होती हैं :

1. संस्था जहां विद्यार्थी भेषजज्ञों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है, समय–समय पर, यदि आवश्यक हो, ऐसी सूचनाएं देगी जो भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा संबंधित संस्था और उसके कार्य एवं स्टाफ, आवास तथा उपस्कर के बारे में मांगी जाए।

2. संस्था भारतीय फार्मेसी परिषद के निरीक्षकों को किसी भी उचित समय पर, जबकि वहां पर कार्यवाही हो रही हो, निरीक्षण करने की अनुमति देगी।

3. संस्था विद्यार्थी भेषजज्ञों की देखभाल के लिए स्टॉफ के कुछ सदस्य या सदस्यों को जो पंजीकृत भेषजज्ञ होंगे, सुपुर्द करेगी। स्टाफ के सदस्य इस बारे में संबंधित संस्था के अध्यक्ष के उत्तरदायी होंगे।

4. विद्यार्थी भेषजज्ञों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने के समर्थ होने के लिए संस्था इस प्रकार के अवसर, आवास, अकरण, सामग्री तथा संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराएगी।

5. विद्यार्थी भेषजज्ञों की संख्या, जो किसी अस्पताल, फार्मेसी तथा औषध विक्रेता तथा एक औषध विनिर्माता, जो औषध तथा प्रसाधन नियम, 1945 के अधीन लाइसेंस प्राप्त हो और जो औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 के आधीन बना हो, दो से अधिक नहीं होगी जहां विद्यार्थी भेषजज्ञ प्रयोगात्मक प्रशिक्षण ले रहा हो, जहां उसी प्रकार एक से अधिक पंजीकृत भेषजज्ञ नियुक्त हो, प्रत्येक अतिरिक्त ऐसे पंजीकृत भेषजज्ञ के लिए संख्या एक से अधिक नहीं बढ़ेगी।

6. संस्था को, जो विनियम 20 के अधीन मान्यता प्राप्त करना चाहती है, भारतीय फार्मेसी परिषद के सचिव को लिखित रूप में आवेदन करना होगा कि उसकी इच्छा इस प्रकार मान्यता प्राप्त करने की है।

7. भारतीय फार्मेसी परिषद, यह संतुष्ट होने पर कि संस्था इन नियमों में दी हुई शर्तों का पालन करेगी, ऐसी मान्यता की मंजूरी देगी।

8. इन शर्तों के पालन करने या व्याख्या करने के किसी प्रश्न के उठने की दशा में भारतीय फार्मेसी परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट–ङ

(देखें विनियम 21 (1))

भेषजज्ञों के लिए क्रियात्मक प्रशिक्षण संविदा फार्म

धारा–I

यह फार्म————————————

(विद्यार्थी भेषजज्ञ का नाम)

पुत्र/पुत्री ——————————निवास स्थान ——————

———————————————

जिसने मेरे सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वह, जैसा कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा–10 के अधीन बने शिक्षा विनियम में निर्दिष्ट है, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हकदार है।

तारीख :

शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था का अध्यक्ष

धारा–II

मैं ————————————————

विद्यार्थी भेषजज्ञ का नाम). (संस्था का नाम)

के————————को (अस्पताल या फार्मेसी)

(शिक्षु अध्यापक का नाम)

उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए अपना शिक्षु अध्यापक स्वीकार करता हूं और अपनी सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में उसकी आज्ञा मानने और उसका सम्मान करने के लिए सहमत हूं।

————————

विद्यार्थी भेषजज्ञ के हस्ताक्षर

धारा–III

मैं ————————————————

(शिक्षु अध्यापक का नाम)

————————————को प्रशिक्षणार्थी के रूप में

(विद्यार्थी भेषजज्ञ का नाम)

स्वीकार करता हूं और मैं उसको अपने संगठन में प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए सहमत हूं जिससे कि अपने प्रशिक्षण समय में वह प्राप्त कर सके :–

(1) फार्मेसी की वृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न अधिनियमों द्वारा आवश्यक रिकार्ड को रखने का कार्य-साधक ज्ञान, तथा

(2) में पेशा अनुभव–

(अ) सामान्य उपयोग में भेषजिकी उपकरण का हस्त–कौशल

(ब) मात्राओं की जांच करने के साथ औषधिपत्रों (नुस्खों) का पढ़ना अनुवाद तथा नकल करना।

(स) देने वाले औषध द्रव्यों की आम पद्धतियों का निदर्शन करते हुए नुस्खों का औषधि योजना।

(ड) औषधियों तथा औषधीन योगों का संचयन मैं इस पर भी सहमत हूं कि उसके मार्गदर्शन के लिए एक पंजीकृत भेषजज्ञ नियत होगा।

(शिक्षु अध्यापक)

(संस्था का नाम तथा पता)

धारा–IV

मैं प्रमाणित करता हूं कि————————————

(विद्यार्थी भेषजज्ञ का नाम)

धारा–III में गिनाये विस्तृत विवरणों के अनुसार————माह का————————————घन्टों का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए है।

————————————

(संगठन या भेषजिकी प्रभाग का अध्यक्ष)

धारा–V

मैं प्रमाणित करता हूं कि————————————

(विद्यार्थी भेषजज्ञ का नाम)

ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अधीन बने शिक्षा विनियमों के 20 विनियम के अधीन अपना प्रयोगात्मक प्रशिक्षण

भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था में लिया है।

तारीख :

————————————

(शैक्षणिक संस्था का अध्यक्ष)

देविन्दर के० जैन,
सचिव एवं पंजीयक
भारतीय फार्मेसी परिषद
नई दिल्ली–110002

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Bombay-400 005, the 10th June 1992

No. 137/12.01.001/92.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 the Reserve Bank of India hereby directs that the deposits under the Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit Scheme mobilised by scheduled commercial banks shall not be considered as part of net demand and time liabilities for the purpose of Cash Reserve Ratio/Statutory Liquidity Ratio requirements from the fortnight ending 26th June 1992.

KUM. V. VISVANATHAN, Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 29th May 1992

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3NCA(8)/9/91-92.—In pursuance of Regulation 10 (1)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificates of Practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold the same.

Sl. No.	Membership No.	Name & Address	Date of Cancellation
1	2	3	4
1.	84663	Shri Harsh Kumar Sahni, FCA CBS-9, Sohna Indl. Estate, G.T. Karnal Road, Indl. Area, Delhi-110033.	14-06-91
2.	85249	Shri Sanjay Gupta, ACA 8-A, Tilak Bridge, Railway Colony, New Delhi-110001.	01-03-92
3.	87236	Shri Anand Mohan Bajaj, ACA "Yarrows", Chaura Maidan, Shimala-171004.	16-09-91
4.	87801	Shri Girish Kumar, ACA, 70 ST. Martins Avenue, Leeds LS7 3LF, U.K.	09-12-91
5.	89593	Shri Manoj Heda, ACA, L-I/17 A, Kalkaji, D.D.A. Flats, New Delhi-110019.	20-06-91
6.	90048	Shri Rajesh Chopra, ACA, K-46, Laxmi Nagar, Delhi-110092.	14-02-92
7.	90156	Shri Lalit Kapoor, ACA, 77, A.G.C.R. Enclave, Delhi-110092.	23-02-92

A. K. MAJUMDAR, Secy.

No. 3NCA(8)/10/91-92.—In pursuance of clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2) (b) of the Chatered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 9-12-91 as they had not paid their annual fee for Certificate of Practice.

Sl. No.	Membership No.	Name & Address
1	2	3
1.	1754	Shri Parkash Chand Sood, FCA, A-12/2, S.F.S. Enclave, Saket, New Delhi-110 017.
2.	2976	Shri Hardyal Singh, FCA C/o H.S. Ahuja & Co., 61-H, Connaught Circus, Govind Mansion, New Delhi-110001.
3.	12782	Shri Anil Prakash, ACA, SJS Clothing Co., Ltd., 63, Great Portland Street, London Win 5 DH, United Kingdom
4.	15114	Shri Hari Ram Sharma, FCA, C/o. Hariram & Co., 16/63, Punjabi Bagh, New Delhi-110035.
5.	17479	Shri Anil Kumar Jain, FCA, 94, Daryaganj, New Delhi-110002.
6.	17926	Shri Kundan Lal Puri, ACA, C/o S.C. Jain, Assistant Director, The Institute of Cost & Works-Accountants of India, ICWAI Bhawan, 3, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003.
7.	19090	Shri S. Raman, ACA, 145, Markham Street, Toronto, Ontario, M6J, 2GH, Canada.
8.	25489	Shri K.S. Kailasnath, ACA, B-2/62, (IInd Floor), Janakpuri, New Delhi-110058.
9.	71177	Shri Mahendra Pal Singh, ACA, 65, New Lajpat Nagar, Ludhiana.
10.	80251	Shri Gyan Pradeep Bhartiya, ACA, Road No. 8/14, Punjabi Bagh Extn. New Delhi-110026.
11.	80471	Shri Vijay Nair, FCA, Senior Financial Auditor, National Bank of Oman Ltd., P.O. Box 3754, Ruwi, Muscat, Sultanate of Oman.
12.	80690	Shri Suresh Kumar, FCA, 4697/4, Ram Bhawan, 21, Darya Ganj, New Delhi-110002.
13.	80744	Shri Sudhir Kumar Gulati, FCA, C/o. Dr. Jagdish Chandra, 211, Inside Ajmeri Gate, Delhi.
14.	80815	Shri Dhani Ram, ACA, 96, Model Basti, New Delhi-110005.
15.	82022	Shri Hari Om Bhatia, FCA, H-242, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052.

1	2	3
16.	82042	Shri Arvind Walia, ACA, C-222, Greater Kailash-I, New Delhi-110048.
17.	82278	Shri Rohit Relan, ACA, S-233, Panchshila Park, New Delhi-110017.
18.	82397	Shri Ashok Kumar, FCA F-76, Mansarover Garden, New Delhi-110015.
19.	82703	Shri Rajeev Narula, ACA, B-66, C.C. Colony, Opp. R.P. Bagh, Delhi-110 007.
20.	83052	Shri Parmod Kumar, FCA, CG-10, Sohna Industrial Estate, 389, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.
21.	83136	Shri Sohan Lal Kansal, FCA, 14, Manilow Street, Scarborough, Ontario, Canada, MIW 3R7.
22.	83542	Shri Naresh Kumar Chopra, ACA, Ist Floor, Ram Sarup Ashok Kumar, Karyana & Dry Fruits Merchants, Rainak Bazar, Jalandhar City
23	82433	Shri Pawan Prakash Gupta, FCA, 303, Mahabir Shree House, 4771/23, Bharat Ram Road, Darya Ganj, New Delhi-110002.
24.	83694	Shri Vimal Rai Khanna, FCA, G-1, Jungpura Extension, Behind Eros Cinema, New Delhi.
25.	83702	Shri Brij Bhushan Khungar, FCA, 54, Daryaganj, New Delhi-110002.
26.	83779	Shri Rajat Kumar Mehta, ACA, 45-A, Pocket B, Vikas Puri Extension, New Delhi-110018.
27.	84143	Shri Kamlesh Kumar, ACA, MIG-2C, Pocket A, Vikaspuri Extension, Outer Ring Road, New Delhi.
28.	84255	Shri Rattan Singh, ACA, Asstt. Manager, Punjab Financial Corporation, Sector 17-B, Chandigarh-160017.
29.	84351	Shri Ajay Gogia, ACA, H. No. 4042, Sector 46D, Chandigarh-160031.
30.	84468	Shri Lalit Chawla, ACA, House No. 7, Sector-19-A, Chandigarh.
31.	84571	Shri J. Vishwanathan, ACA, C-II, 117 Moti Bagh, New Delhi-110021.
32.	84714	Shri Praveen Kumar Bansal, ACA, 104, M.M. House, 59, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055.
33.	84975	Shri Rohit Anand, ACA, 21/16, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
34.	85374	Shri Sanjeev Kumar Gupta, ACA, Ist Floor, WP-504, Shiv Market, Ashok Vihar, Delhi-110052.
35.	85884	Shri Surinder Kumar, ACA, Above Raj Autoways, Near Main Bus Adda, Gurgaon (Haryana).
36.	86032	Shri Sunil Kumar Jain, ACA, C/o Unilever Arabia, P. Box No. 3148, Dubai (U.A.E.).
37.	86038	Shri Sanjay Kumar Bansal, ACA, 12, Community Centre No. 2, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
38.	86251	Shri Arvindor Singh, ACA, 150/1, Shaheed Udham Singh Nagar, Jalandhar City, Punjab.
39.	87300	Shri Amit Pande, ACA, Parmanand Estate, 104, Friends Colony, New Delhi-110065.
40.	87403	Shri Karun Kumar Jain, ACA, X-1550, Rajgarh Colony, Street No. 9, Delhi-110031.
41.	87434	Shri Dinesh Singh Yadav, ACA, D-7, DDA MIG Flats, Gulabi Bagh, Delhi-110007.
42.	87993	Mrs. Loveleen Jain, ACA, C/o. Shri Sunil Kumar Jain, Post Box 3148, Dubai (U.A.E).
43.	88400	Shri R. Venkat Rao, ACA, 252, Narmada Apartments, Pocket-D, Alaknanda, New Delhi-110019.
44.	89128	Mrs. Kshama Venkataramiah, ACA, C-74, Takshashila Apartments, Plot No. 57, Patparganj, Indraprastha Extension, Delhi-110092.
45.	89179	Shri Ashit Maru, ACA, W-56, Greater Kailash-II, New Delhi-110048.
46.	89527	Shri Sanjay Kumar, ACA, 7263, Reindeer Drive, Malton, Mississauga, Ontario-L4T 2M6, Canada.

A. K. MAJUMDAR, Secy.

No. 3NCA (8)/11/91-92.—In pursuance of clause (iv) of Regulation 10 (1) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following member shall stand cancelled with effect from

the date mentioned against his name as he had not paid his annual fee for certificate of practice.

Sl. No.	Member-ship No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	86973	Shri Syed Shahid Zaheer 903, Ashadeep, 9, Hailey Road, New Delhi-110001.	1-10-89

A. K. MAJUMDAR, Secy.

Bombay, the 16th March 1992

No. 3WCA (4)/18/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (c) of the sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, with effect from the date mentioned against their names, the names of the following members :—

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	007467	Mr. Purohit Priyavadan chunila 10-A Sarabhai Society Opp: Sarabhai Chemicals Wadi Wadi, Baroda-390 007	9-12-91
2.	012706	Mr. Patel Mandhar Shankerbhai Post Box No. 41832 Nairobi Kenya-0	09-12-91
3.	015419	Mr. Patel Prabhakar Rasiklal AL Shirawi Group of Companies Post Box No. 93 Dubai U.A.E.-0	09-12-91
4.	030198	Mr. Sheth Yashwant Pratap 8, Sadhana, 10th Road, Khar Bombay-400 052	09-12-91
5.	031486	Mr. Gopinathan P. C/o Purochem Industries Ltd. 123/125 Nnamdi Azikwe Street P.O. Box 2701 Lagos Nigeria-0	09-12-91
6.	033037	Mr. Shah Vikram Babulal V.B. Shah & Co. 180/A, Dr. Bhadkamkar Road Next to Minerva Cinema Bombay-400 007	09-12-91
7.	035383	Mr. Patel Bhupendra Kanubhai 5, Yogikrupa Apts. Near Ghosha Soc. Thaltej Rd. Ahmedabad-380 054	09-12-91
8.	036607	Mr. Chinnakavanam Govindraj D P.O. Box-4611 Ruwi Sultanate of Oman-0	09-12-91
9.	039370	Mr. Shri Rajendra T. Shah 147, Jayprakash Road, Andheri (West) Bombay-400 058	09-12-91
10.	041572	Mr. Gandhi Piyush Heshmukhlal Shanta Bhuvan V.P. Road Vile Parle (W) Bombay-400 056	09-12-91
11.	043722	Mr. Shri Mahesh K. Shetye Near Revenue Office Sadar Ponda Goa-0	09-12-91
12.	081411	Mr. Rajagopal Jagannathan Flat No. 95A, Mehar Apartments, Anstey Road, Bombay-400 026	09-12-91

A. K. MAJUMDAR, Secy.

The 19th May 1992

No. 3WCA (8) 17/91-92.—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulation 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	017122	Mr. Desai Yogendra Kumar Indubhai, FCA, P.O. Box-4102, Ruwi Muscat Sultanate of Oman-0	09-04-92
2.	033203	Mr. Kanakiya Kiritkumar Ramaniklal, FCA K.R. Kanakiya & Co. 402 Rajgor Chambers Masjid Siding Rd. Surat St. Bombay-400 009	27-01-92
3.	033268	Mr. Ved Rajesh Rajnikant, B.Com.-Hons., FCA Block No. 6 III Floor Tejpal Bldg. Pangully Huges Rd. Bombay-400 007	16-04-92
4.	034627	Mr. Sharma Vijaykumar Harivallabh, FCA 405, "A" Lancelot Bldgs., Nr. Dattani Nagar, S.V. Road, Borivli-W Bombay-400 092	30-03-92
5.	036158	Mr. Chaubal Prashant Vaijanath FCA, 3/C Sarvodaya Bhuvan Gokhale Rd-N Dadar Bombay-400 028	07-04-92
6.	036545	Mr. Binani Kamalkumar Shankarlal FCA, L-3/10 Sunder Nagar Malad-West Bombay-400 064	01-04-92
7.	039221	Mr. Parakh Lakhichand Kapur Chand, ACA R.K. Desai & Co. 281 J.S. Rd. Bhimrao House Girgaon Bombay-400 004	20-03-92
8.	039610	Mr. Raman C. Suresh , ACA 23/714 Tagore Nagar Vikhroli Bombay-400 083	27-03-92

1	2	3	4
9.	040719	Mr. Katyara Prakash Ishwardas, ACA 27 Netaji Bunglow Netaji Subhash Road Mulund Bombay-400 080	30-03-92
10.	041673	Mr. Tulsania Jinesh Kirtikant, ACA 3/170 Samrat Ashok 7 R.R. Thakker Marg Malabar Hill Bombay-400 006	20-03-92
11.	041783	Mr. Sharedalal Maulik Girish, ACA Dalal Desai & Kumana, 23, Sir, P.M. Road, Bombay-400 001	01-04-92
12.	042057	Ms. Mokashivrushali Vinay, ACA Nanda Niwas Tilak Nagar Dombivli-421 201	26-03-92
13.	042685	Mr. Bhojak Bhaskar Mahidharlal, ACA B. Bhaskar & Co., 21/246 Shree Yogeshwar Apts., Behind Rameshwar Apt. Nanapura Ahmedabad-380 013	13-03-92
14.	043807	Mr. Desai Deevyesh Kantilal, ACA 2-B, Dev Ashish, Peddar Road, Bombay-400 026	20-03-92
15.	043943	Mr. Malkan Harendra Lalchand, ACA B-3, Madhav Baug Jambli Gally, S.V. Road Borivli West Bombay-400 092	26-03-92
16.	044690	Mr. Nehate Anant Vaman, ACA Mr. S.S. Badhe A-2, I Floor Ekopa Gunsagar Nagar Kalwa West Thane-400 605	24-03-92
17.	045328	Mr. Phatarphekar Rohan Kishore, ACA 6A, Crown Mansion C. Forjett, Street, Cross Lane Gowalia Tank Bombay-400 036	01-04-92
18.	045392	Mr. Shenoy Ganesh, ACA A/12, Divine Land Jesal Park Bhayander-East Bombay-401 105	01-04-92

A. K. MAJUMDAR, Secy.

Calcutta-700 071, the 19th May 1992

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/1/92-93.—In pursuance of Regulation 10 (i) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

S. No.	MRN.	Member Name & Address	Canc. Date
1.	001073	Mr. Mitter Robindra Nath, FCA 3A, Surendra Nath Chatterjee Rd. Calcutta-700 038	01-04-92
2.	002323	Mr. Gupta Rabikar, FCA 213 Rashbihari Avenue Gupta Kutir 2nd Floor Calcutta-700 019	01-04-92

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

The 22nd May 1992

No. 3ECA/4/1/92-93.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names.

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	2384	Shri Raj Nandan Thakur 16, Munshi Sadiuddin Lane, Calcutta-700 007.	12-3-92
2.	4952	Shri Susanta Sarkar 9, Bowali Mondal, Calcutta-700 026	24-6-91
3.	7114	Shri Pralay Ranjan Majumdar Price waterhouse, B-3/1, Gillander House, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001.	27-03-92

A. K. MAJUMDAR, Secy.

The 2nd June 1992

No. 3ECA/8/5/91-92.—In pursuance of Regulation 10(i) (iii) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

S. No.	MRN.	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	001999	Mr. Sengupta Asim Kumar, FCA Flat SW-1 Balaka Apartments 64, Lake Road, Calcutta-700 029	01-05-91

1	2	3	4
2.	010357	Mr. Shah Dipak Shantilal, ACA 3/1 Ashu Biswas Road, Bhowanipo Calcutta-700 025	01-12-91
3.	044999	Mr. Sarkar Atindra Kumar, ACA BF-234, Sector-1, Bidham Nagar, S. Lake Calcutta-700 064	20-03-92
4.	050344	Mr. Jamat Ali, FCA Jamat Ali & Co. Vill. Deakshin Deara Dt. 24 Pgs. Arbalia-0	19-11-91
5.	050933	Mr. Kamani Vijay S., FCA Vijay Kamani & Co. 4 B.B.D. Bagh-East Calcutta-700 001	11-12-91
6.	050947	Mr. Mitra Sunirmal, FCA 26/1 Gariahat Road Calcutta-700 029	02-01-92
7.	051455	Mr. Bhattacharya Somnath, ACA 40/4, Ballygunge Circular Road, Calcutta-700 019	30-03-92
8.	052560	Mr. Mehta Anand Chand, FCA Flat No. 8, Shyam Kunj 12/B Lord Sinha Road Calcutta-700 071	27-12-91
9.	054324	Mr. Baheti Subhash Chandra, ACA 18, S.P. Mukherjee Road, Calcutta-700 025	01-10-91
10.	054556	Mr. Saraf Ramesh Kumar, ACA 539 Rabindra Sarani, Flat No. 29 Calcutta-700 003	27-02-92
11.	054991	Mr. Sahoo Sarat Kumar, ACA At/P.O. Khannagar, Orissa Cuttack-753 012	26-10-91
12.	055289	Mr. Ramakrishnan S., ACA 35K Motilal Nehru Road Calcutta-700 029	16-11-91
13.	055634	Mr. Tibrewal Sushil Kumar, ACA M/s Shree Krishna Automobiles G.T. Road East Asansol-713 303	01-03-92
14.	088876	Mr. Manoj Kumar Bhagat, ACA Vatika P.O. Mangalbari Malda-732 142	24-01-92

A. K. MAJUMDAR, Secy.

Madras-600 034, the 21st May 1992

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA (5)/2/92-93.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA (4)/8/90-91 dated 1st December 1990, 3SCA (4)/9/91-92 dated 1st January 1992, 3SCA (4)/8/87-88 dated 30th December 1987, 3SCA (4)/10/86-87 dated 27th February 1987, 3SCA (4)/11/88-89 dated 27th January 1989 and 3SCA (4)/12/89-90 dated 25th October 1989, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons :

S. No.	MRN	Member's Name & Address	Rest. Date
1	2	3	4
1.	011758	Mr. Ramesh Pai S., FCA DCV Aashish 6th Road Laxmindra Nagar Udupi 576 102	21-04-92
2.	012910	Mr. Veeraraghavan M. ACA 59 4th Main Det 7th & 8th Cross Malleswaram Bangalore 560 003	15-04-92
3.	014548	Mr. Kolluri U.M. S., FCA Chartered Accountant P.O. Box 39514 Nairobi Kenya	06-04-92
4.	019925	Mr. Sankaran R., ACA Flat No. C 6 Power Apartments 25 Zackriah Colony, Main Road Madras 600 094	08-04-92
5.	022078	Mr. Muralidharan S., ACA, Finance Manager A&M Power Sources, SDN BHD 17/E, Crescent Court, Brickfields, Kulalampur Malaysia	10-04-92
6.	023647	Mr. Easwar R.V., ACA Flat 1, Ground Floor Type VI, C.G. Qrs., Nizam Palace 234/4 A.J.C. Bose Road Calcutta 700 020	21-04-92
7.	024339	Mr. Kurien T.K., ACA Thekkethalackal Puthinangady Kottayam 686 001	28-04-92
8.	024573	Mr. Joy Joseph, ACA Chartered Accountant 1113 Satellite H. Colony Padamugal Kakkanad P.O. Cochin 682 030	07-04-92
9.	027134	Mr. Srikanth P.S. ACA, 79 Kamraj Avenue, Adyar Madras 600 020	28-04-92
10.	028790	Ms. Gomathy S., ACA Accountant, Benham Capital MGT Group, 1665, Charleston Rd. Mountain View CA 94043 U.S.A.	21-04-92

1	2	3	4
11.	029761	Mr. Ramesh Babu Y., ACA Chartered Accountant No. 23 Millers Road Kilpauk Madras 600 010	02-04-92

A. K. MAJUMDAR, Secy.

Kanpur-208 001, the 31st March 1992

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3CCA (5) (9)/91-92.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3NCA (4) (9)/83-84 dt. 31-3-84, 3CA (4) (1)/85-86 dt. 31-3-86, 3CCA (4) (6)/91-92 dt. 26-12-91, 3CCA (4) (7)/90-91 dt. 30-11-90, 3CCA (9) (3)/89-90 dt. 9-11-89, 3CCA (4) (2)/87-88 dt. 8-6-87, 3CCA (4) (8)/91-92 dt. 28-1-92 and 4CA (1) (20)/77-78 dt. 18-2-78, it is hereby notified in persuance of regulation 20 of The Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of The Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names.

S. No.	MRN	Member's Name & Address	Rest. Date
1	2	3	4
1.	005917	Mr. K. Rama Mohan Rao, ACA D-1/9, Lake Town, Telco Colony Jamshedpur	28-10-91
2.	013654	Mr. Rama Kant Nagpal, ACA E-4/49 Arera Colony Bhopal 462 016	30-01-92
3.	014475	Mr. Laxmi Narain Nigam, FCA 17/14, The Mall Near Phool Bagh Crossing Kanpur-1	16-01-92
4.	017978	Mr. Kunj Bihari Keyal, FCA KA-2, Meena Bhawan, Kathmandu, Nepal	14-08-91
5.	070863	Mr. Ummed Mal Jain, FCA Chartered Accountant M/s Ummed Jain & Co. Bharat Bhawan Moti Doongri Road Jaipur 302004	09-12-91
6.	071113	Mr. Surender Kumar Talwar, ACA 38/6, Wright Ganj Ghaziabad 201 001	16-12-91
7.	071292	Mr. Yuvraj Kumar Mehra, ACA Chartered Accountant M/s Y.K. Mehra & Co. 21, Friends Colony Swaroop Nagar Kanpur	09-12-91
8.	071531	M . Jagmohan Gupta, FCA Chartered Accountant Ummed Jain & Co. Bharat Bhawan Moti Doongri Road Jaipur	09-12-91
9.	071577	M . Dharmendra Kumar, FCA Chartered Accountant 12-A Mansarovar Meerut 248 001	09-12-91
10.	072029	Mr. Anil Kumar Gupta, FCA Chartered Accountant M/s Abhinav Anil & Asso. 75/6 Halsey Road Kanpur 208 001	09-12-91
11.	072764	Mr. Shimblu Dayal Saraf, ACA Chartered Accountant M/s S.D. Saraf & Co. Over Shop No. 216, 217 Kishanpole Bazar Jaipur	09-12-91
12.	073058	Mr. Sumit Neelakandan Kumar, ACA C/o Mr. D. Tangri 13, Commodore Circle Baldwinsville N.Y. 13027 U.S.A.	09-12-91
13.	073293	Mr. Bhupendra Kumar, ACA Chartered Accountant 407, Civil Lines Devgarh Road Lalitpur	09-12-91
14.	073705	Mr. Anil Kumar Mehta, ACA 46, C.P.W.D. Colony, N.R. Rikitiya Bhairoji Chorahe, Jodhpur.	09-12-91
15.	073906	Mr. Anand Kumar Bajpai, ACA 2A/361, Azad Nagar Kanpur	09-12-91
16.	074464	Mr. Manoj Kumar Jindal, ACA Chartered Accountant Bhagta Di Dukan M.G. Road Raipur	09-12-91
17.	082477	Mr. Ashok Kumar, ACA Dy. Director (F&A) O.N.G.C. Tel. Bhawan Dehradun 248 003	21-02-92
18.	083841	Mr. Radhey Shyam Mangal, FCA Chartered Accountant C/o R.K. Dhamani & Co. 1314, Tehsildar Bhawan, Ist, Fl. Baba H.C. Marg, Chandpole Bazar Jaipur 307 026	09-12-91
19.	084588	Mr. Rakesh Kumar, ACA Chartered Accountant 8 Alka Puri Alwar 301 001	09-12-91

1	2	3	4
20.	086652	Mr. Pankaj Kumar Sinha, ACA R/F 253 Lohia Nagar Patna-800 020	11-12-91
21.	089294	Mr. Avish Kumar Jain, ACA 258 D Adarsh Nagar Kanpur-208 010	09-12-91

A. K. MAJUMDAR, Secy.

The 24th May 1992

CHARTERED ACCOUNTANTS

No. 3CCA (8) (1)/92-93.—In pursuance of clause (iv) of Regulation 10 (1) read with Regulation 10 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following member has been cancelled from the date mentioned against his name as he had not paid the annual fee for the certificate of practice :—

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. date
1.	17350	Mahesh Chand Maheshwari, FCA, Vice President (Commerce & Finance), Grasim Industries Ltd., (Textile Division) Birlanagar, Gwalior-474004.	9-12-91

A. K. MAJUMDAR, Secy.

No. 3CCA (8) (2)/92-93.—In persuance of Regulation 10 (1) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold the same :—

S.No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	039365	Mr. Pnakaj Kumbhat, ACA Riyan Investment & Trade Estt. Perfume Division PO Box No. 879, Muscat (Sultanate of Oman).	15-3-92
2	070089	Mr. Alok Agarwal, FCA Rajnigandha Apartments 2nd floor, 3 Gokhley Marg Lucknow-226001.	23-3-92
3	073464	Mr. Alok Misra, ACA 33-A, Krishna Nagar Kanpur Road, Lucknow-226005.	1-4-92
4	074240	Mr. Deepak Mehta, ACA Deepak Mehta & Company 16, Behind Khadi Bhandar, Ratanda Jodhpur-342001.	1-4-92
5	074251	Mr. Dhan Raj Chouhan, ACA 11th B-2, Road Paota Jodhpur-342006.	5-4-92

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th June, 1992

CORRIGENDUM

No. A-12(11)-1/91(Ay)-DM(HQ)—In the English version of notification No. A-12(11)-1/91-(Ay)-DM (HQ), dt. 1-1-1992, published in Gazette of India, No. 5, Part-III, Section 4 dated 25-1-1992 the following shall be substitued/corrected:—

(1) **On page No. 124.**

In the heading of Column No. 5 of the Schedule in the 2nd line word 'of' shall be read as 'or'.

(2) Under Column No. 8 of the Schedule.

(a) in item (i) under sub-heading '*Essential*', in the 3rd line letter 'F' is missing in 'Faculty' the same may be inserted, and

(b) in item (ii) 1st line, the word 'of' shall be substituted by 'or'.

Dr. (Mrs.) A.A. AMBEKAR
Medical Commissioner

22 June, 1992

No. U-16/53/11-90-Med. II(Mah.) Col. II—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, and such powers having been further delegated to me vide Directos General's Order No. 1024(G) dated 23rd May, 1983, hereby authorise following doctors to function as Medical Authority for the period as mentioned against each or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier for effective areas [(Areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (West Zone)]. Bombay on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt:—

S. No.	Name of Doctor	Area	Period
1.	Dr. (Mrs.) Kamla Gupta	Pune	w.e.f. 1-6-92 to 31-5-93.
2.	Dr. (Mrs.) S. Kansara	Dadar Bombay	w.e.f. 27-6-92 to 26-6-93.

DR. (MRS.) A.A. AMBEKAR,
Medical Commisioner

No. U-16/53/11-90-Med.II (Mah.) Col.I.—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23rd May, 1983, I hereby authorise following doctors to function as Medical Authority for the period as mentioned against each or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier for Bombay areas [Areas to be allocated by the Dy. Medical Commission (West Zone)], Bombay on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

1. Dr. Joshi Pradip Ranganath — For one year from the date he assumes charge.

2. Dr. (Mrs.) Kamla Bhatnagar — Do.

Dr. (Mrs.) A.A. AMBEKAR.
Medical Commissioner

No. U-16-53-88 Med. II (Guj)—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. R.T. Marfatia to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 1-7-1992 for one year, or till a Full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Ahmedabad Centre, for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Dr. (Mrs.) A.A. AMBEKAR
Medical Commissioner

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, The 15th June, 1992

No. 5/92—The Industrial Finance Corporation of India, with the approval of its Board of Directors and the Industrial Development Bank of India, as required in terms of Section 43(1) of Industrial Finance Corporation Act, 1948, has amended Regulation 5 of the 'Industrial Finance Corporation Officers (Employees) Acceptance of Employment in the Private Sector Concerns After Retirement Regulations, 1978'. The amended Regulation reads as under:

"The commercial employment of all Officers retired from the service of the Corporation, will be regulated by a High Power Committee constituted of the following:

(i) Executive Director (to be nominated by the Chairman).

(ii) General Manager (Admn. & Pers.)

(iii) Legal Adviser/In-charge of Legal Deptt."

2. The amended Regulation comes into force from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

K.K. VARSHNEY,
General Manager (Admn. & Pers.)

MINISTRY OF LABOUR
OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110 001, the 24th June 1992

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2022.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees's provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee's Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exmption further extended	CPFC's File No.
1.	M/s. Rama Krishna Chemicals Ltd., 1/22-A, Railway Station Road, Gandhi Nagar, Cuddapah-516004. (A.P.).	AP/6376	S-35014/170/82/PF-II/ SS. II dated 27-5-86.	26-5-89	27-5-89 to 26-5-92	2/1453/86-DLI.

1	2	3	4	5	6	7
2.	M/s. Veljan-Hydrair Ltd., 9-A, IDA, Phase-I, Patancheru-502319 Medak Distt. (A.P.).	AP/13131	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/5436, dated 24-9-90.	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93.	2/3026/90-DLI.
3.	M/s. I.D.C. Electronics Ltd., Plot No. 40—46, Part-A, IDA, Cherlapalli, P. O. Hindustan Cable Ltd., Hyderabad-500051.	AP/18161	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I dated 29-3-90.	31-12-91	1-1-91 to 31-12-93.	2/2410/90-DLI.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the languag majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishement exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt./2030.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Andhra Pradesh from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption.	CPFC's File No.
1.	M/s. Central Wines 3-6-364, M. G. Road, Hyderabad.	AP/3338	1-3-90 to 28-2-93	2/4206/92—DLI
2.	M/s. AGI Glass Division of Hindustan Sanitary Ware & Industries Ltd., P. B. No. 1930, Varadanagar, Hyderabad-500018.	AP/4133	1-12-87 to 30-11-90.	2/4207/92—DLI
3.	M/s. Chandemama Press (Hyd.) Pvt. Ltd., 11-12-13, Nacharam IDA, Hyderabad-501507. (Its branches covered under this code No.).	AP/16930	1-11-89 to 31-10-92	2/4204/92—DLI
4.	M/s. Mangal Chand Alloys & Refineries Shed No. 4, Road No. 9, I.D.A., Nacharam, Hyderabad-501507. (Its branches covered under the same code No.)	AP/16967	1-12-88 to 30-11-91	2/4205/92—DLI
5.	M/s. Kurnool Dist. Co-op. Marketing Society Ltd., Kurnool, P. B. No. 518. (Its Branches covered under the same code No.).	AP/17071	1-4-88 to 31-3-91	2/4203/92—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Schme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explaim their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in and manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/2038.—WHEREAS M/s. Balaji Foods & Feeds (P) Ltd., Venkateshwara House, H. No. 3-5-808 & 801/1, Hyderguda, Hyderabad. (Code No. AP/7051) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/CPFC Notification No. 2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I dated 19-12-89 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-3-92 to 28-2-95 upto and inclusive of the 28-2-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner

AIR INDIA

Air India Employees' Provident Fund Regulations 1954

Bombay, the 23rd June, 1992

No. HQ/66-1/—In exercise of the powers conferred by Section 45 (2)(b) and 3 of the Air Corporations Act 1953 (27 of 1953) and with the previous approval of the Central Government, Air India hereby makes the following regulations further to amend the Air India Employees' Provident Fund Regulations, 1954, namely:

1. (1) These Regulations may be called the Air India Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations 1992.

(2) They shall come into force w.e.f. 1-6-1989.

(3) In the Air India Employees' Provident Fund Regulations 1954 for Regulation 14(1) and (2), the following regulations shall be substituted:

14. Rates of Subscription and Contribution:

Every member shall subscribe to the Fund each month at the rate of ten per centum of the pay earned by him for the month and the amount shall be recovered by the Corporation from the member's monthly salary. A member may increase his subscription from time to time to any rate not exceeding 20 per centum of the pay earned for the month: provided that intimation of such new rate is given to the Secretary to the Board by such dates as the President of the Board may fix from time to time.

2. The Corporation shall contribute to the Fund every month an amount equal to the amount subscribed by each of the employees but in any case not exceeding ten per centum of the pay earned by an employee during that month as the employer's contribution to the Fund.

J.R. JAGTAP, Secretary

PHARMACY COUNCIL OF INDIA EDUCATION REGULATION, 1991 FOR THE DIPLOMA COURSE IN PHARMACY

(Regulation framed under section 10 of the Pharmacy Act, 1948).

(As approved by the Government of India, Ministry of Health vide letter No. V. 13016/1/89-PMS dt. 2-8-1991 and notified by Pharmacy Council of India.)

No. 14-55/87 (Part)-PCI/2484-2887.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations namely :—

CHAPTER-I

1. *Short title and commencement.*—(1) These regulations may be called the Education Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. *Qualification for Pharmacist.*—The minimum qualification required for registration as a pharmacist shall be a pass in Diploma in pharmacy (Part-I & Part-II and satisfactory completion of Diploma in Pharmacy (Part-III).

or

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above.

3. Diploma in Pharmacy Part-I and Part-II shall consist of a certificate of having passed the course of study prescribed in Chapter-II of these regulations.

4. Diploma in Pharmacy Part-III shall consist of a certificate of having satisfactorily completed course of practical training as prescribed in Chapter-III of these regulations.

CHAPTER-II

Diploma in Pharmacy (Part-I and Part-II)

5. *Minimum qualification for admission to Diploma in Pharmacy Part-I course.*—A pass in any of the following examinations with Physics, Chemistry and Biology with 60% marks in aggregate of the above subjects :—

(1) Intermediate examination in Science.

(2) The first year of the three year degree course in Science.

(3) 10+2 examination (academic stream) in Science.

(4) Pre-degree examination or

(5) Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examinations.

6. *Duration of the course.*—The duration of the courses shall be for two academic years with each academic year spread over a period of not less than one hundred and eighty working days in addition to 500 hours practical training spread over a period of not less than 3 months.

7. *Course of study.*—The course of study for Diploma in Pharmacy Part-I and Diploma in Pharmacy Part-II shall include the subjects as given in the Tables I & II below. The number of hour devoted to each subject for its teaching in Theory and Practical, shall not be less than that noted against it in columns 2 and 3 of the Tables below.

TABLE-I

Diploma in Pharmacy (Part-I)

Subject	No. of hours of Theory	No. of hours of Practical
Pharmaceutics-I	75	100
Pharmaceutical Chemistry-I	75	75
Pharmacognosy	75	75
Biochemistry & Clinical Pathology	50	75
Human Anatomy & Physiology	75	50
Health Education & Community Pharmacy	50	—
	400	375=775

TABLE-II

Diploma in Pharmacy (Part-II)

Subject	No. of hours of theory	No. of hours of practical
Pharmaceutics-II	75	100
Pharmaceutical Chemistry-II	100	75
Pharmacology & Toxicology	75	50
Pharmaceutical Jurisprudence	50	—
Drug Store and Business Management	75	—
Hospital and Clinical Pharmacy	75	50
	450	275=725

8. The syllabi for each subject of study in the said Tables shall be as specified in Appendix A to these regulations.

9. *Approval of the authority conducting the course of study.*—The course of regular academic study prescribed under regulation 7 shall be conducted in an institution, approved by the Pharmacy Council of India under sub-section (1) of Section 12 of the Pharmacy Act, 1948.

Provided that the Pharmacy Council of India shall not approve any institution under this regulation unless it provides adequate arrangements for teaching in regard to building, accommodation, equipment and teaching staff as specified in Appendix-B to there regulations.

10. *Examinations.*—There shall be an examination for Diploma in Pharmacy (Part-I) to examine students of the first year course and an examination for Diploma in Pharmacy (Part-II) to examine students of the second year course. Each examination may be held twice every year. The first examination in a year shall be the annual examination and the second examination shall be supplementary examination of the Diploma in Pharmacy (Part-I) or Diploma in Pharmacy (Part-II), as the case may be. The examinations shall be of written and practical (including oral) nature, carrying magi-

mum marks for each part of a subject, as indicated in Table III and IV below :—

TABLE-III

Diploma in Pharmacy (Part-I) Examination

Subject	Maximum Marks for Theory			Maximum Marks for Practical		
	Examination	*Sessional	Total	Examination	Sessional	Total
Pharmaceutics-I	80	20	100	70	30	100
Pharm. Chem.-I	80	20	100	70	30	100
Pharmacognosy	80	20	100	70	30	100
Biochemistry & Clinical Pathology	80	20	100	70	30	100
Human Anatomy & Physiology	80	20	100	70	30	100
Health Education & Community Pharmacy	80	20	100	—	—	—
Total			600			500 =1100

*Internal assessment.

TABLE-IV

Diploma in Pharmacy (Part-II) Examination

Subject	Maximum Marks for Theory			Maximum Marks for Practical		
	Examination	*Sessional	Total	Examination	Sessional	Total
Pharmaceuticas-II	80	20	100	70	30	100
Pharm. Chem.-II	80	20	100	70	30	100
Pharmacology & Toxicology	80	20	100	70	30	100
Pharmaceutical Jurisprudence	80	20	100	—	—	—
Drugs Store & Business Mgt.	80	20	100	—	—	—
Hospital & Clinical Pharmacy	80	20	100	70	30	100
Total			600			400 =1000

*Internal assessment.

11. Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-I examination :

Only such candidates who produce certificate from the Head of the Academic institution in which he/she has undergone the Diploma in Pharmacy Part-I course, in proof of his/her having regularly and satisfactorily undergone the course of study by attending not less than 75% of the classes held both in theory and in practical separately in each subject shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-I) examination.

12. Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-II examination :

Only such candidates who produce certificate from the Head of the academic institution in which he/she has undergone the Diploma in Pharmacy Part-II course, in proof of his/her having regularly and satisfactorily undergone the Diploma in Pharmacy Part-II course by attending not less than 75% of the classes held both in theory and practicals separately in each subject shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-II) examination.

13. Mode of examinations :

(1) Each theory and practical examination in the subject mentioned in Table-III & IV shall be of three hours duration.

(2) A candidate who fails in theory or practical examination of a subject shall re-appear both in theory and practical, of the same subject.

(3) Practical examination shall also consist of a viva-voce (Oral) examination.

14. Award of sessional marks and maintenance of records :

(1) A regular record of both theory and practical class work and examinations conducted in an institution imparting training for Diploma in Pharmacy Part-I and Diploma in Pharmacy Part-II coourses, shall be maintained for each student in the institution and 20 marks for each theory and 30 marks for each practical subject shall be allotted as sessionals.

(2) There shall be at least two periodic sessional examinations during each academic year. The highest aggregate of any two performances shall form the basis of calculating sessional marks.

(3) The sessional marks in practicals shall be allotted on the following basis:

Actual performance in the sessional examination: 15

Day to day assessment in the practical class work.

15. Minimum marks for passing the examination: A student shall not be declared to have passed Diploma in Pharmacy examination unless he/she secures at least 50% marks in each of the subject separately in the theory examinations, including sessional marks and at least 50% marks in each of the practical examinations including sessional marks. The candidates securing 60% marks or above in aggregate in all subjects in a single attempt at the Diploma in Pharmacy (Part-I) or Diploma in Pharmacy (Part-II) examinations shall be declared to have passed in first class the Diploma in Pharmacy(Part-I) or Diploma in Pharmacy (Part-II) examinations, as the case may be. Candidates securing 75% marks or above in any subject or subjects shall be declared to have passed with distinction in that subject or those subjects provided he/she passes in all the subjects in a single attempt.

16. Eligibility for promotion to Diploma in Pharmacy (Pr. II)

All candidates who have appeared for all the subjects and passed the Diploma in Pharmacy Part-I examination are eligible for promotion to the Diploma in Pharmacy Part-II class. However, failure in more than two subjects shall debar him/her from promotion to the Diploma in Pharmacy Part-II class.

17. Improvement of sessional marks : Candidates who wish to improve sessional marks can do so, by appearing in two additional sessional examinations during the next academic year. The average score of the two examination shall be the basis for improved sessional marks in theory. The sessional of practicals shall be improved by appearing in additional practical examinations. Marks awarded to a candidate for day to day assesment in the pratical class can not be improved unless he/she attends a regular course of study again.

18. Approval of examinations: The examinations mentioned in regulations 10 to 13 and 15 shall be held by an authority herein after referred to as the Examining Authority in a State, which shall be approved by the Pharmacy Council of India under suv-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948. Such approval shall be granted only if the Examining Authority concerned ful-fil the conditions as specified in Appendix-C to these regulations.

19. Certificate of passing oxamination for Diploma in Pharmacy (Part-II)

Certificate to having passed the examination for the Diploma in Pharmacy, Part II shall be granted by the Examining Authority to a successful student.

CHAPTER-III

Diploma in Pharmacy (Part-III)
(Practical Training)

20. Period and other conditions of Practical Training :

(1) After having appeared in Part-II examination of Diploma in Pharmacy conducted by Board/University or other approved Examinating Body or any other course accepted as being equivalent by the Pharmacy Council of India, a candidate shall be oligible to undergo practical training in one or more of the following institutions namely:

(i) Hospitals/Dispensaries run by Central/State Governments/Municipal Corporation / Central Government Health Scheme and Employees State Insurance Scheme.

(ii) A Pharmacy, Chemist and Druggist licensed under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940.)

(iii) Drugs manufacturing Uni licensed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 & rules made thereunder.

(2) The institutions referr d in sub-regulation (1) shall be eligible to impart training subject to the condition that the number of student pharmacists that may be taken in any hospital, pharmacy, chemist and druggist and drugs manufacturing unit licensed under the drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 shall not exceed two where there is one registered pharmacist engaged in the work in which the student pharmacist is under-going practical training, where threre is more than one registered pharmacist similarly engaged, the number shall not exceed one for each additional such registered pharmacist.

(3) Hospital and Dispensary other than those specified in sub-regulation (1) for the purpose of giving practical training shall have to be recognised by Pharmacy

Council of India on fulfilling the conditions specified in Appendix-D to these regulations.

(4) In the course of practical training, the trainee shall have exposure to—

(i) Working knowledge of keeping of records required by various Acts concerning the profession of Pharmacy, and

(ii) Practical experience in—

(a) the manipulation of pharmaceutical apparatus in common use.

(b) the reading, translation and copying of prescription including checking of doses;

(c) the dispensing of prescription illustrating the commoner methods of administering medicaments: and

(d) the storage of drugs and medical preparations.

(5) The practical training shall be not less than five hundred hours spread over a period of not less than three months, provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescriptions.

21. Procedure to be followed prior to commencing of the training :

(1) The Head of an academic training institution, on application, shall supply in triplicate 'Practical Training Contract Form for qualification as a Pharmacist' (hereinafter referred to as the Contract Form) to candidate eligible to under take the said practical training. The Contract Form shall be as specified in *Appendix-E* to these regulations.

(2) The Head of an academic training institution shall fill section I of the Contract Form. The trainee shall fill section II of the said Contract Form and the Head of the institution agreeing to impart the training (hereinafter referred to as the Apprentice Master) shall fill Section III of the said Contract Form.

(3) It shall be the responsibility of the trainee to ensure that one copy (hereinafter referred to as the first copy of the Contract Form) so filled is submitted to the Head of the academic training institution and the other two copies (hereinafter referred to as the second copy and the third copy) shall be filled with the Apprentice Master (if he so desires) or with the trainee pending completion of the training.

22. Certificate of passing Diploma in Pharmacy (Part-III

On satisfactory completion of the apprentice period, the Apprentice Master shall fill SECTION IV of the second copy and third copy of the Contract Form and cause it to be sent to the head of the academic training institution who shall suitably enter in the first copy of the entries from the second copy and third copy and shall fill SECTION V of the three copies of Contract Form and thereafter hand over both the second copy and third copy to the trainee.

This, if completed in all respects, shall be regarded as a certificate of having successfully completed the course of Diploma in Pharmacy (Part-III).

CHAPTER IV

23. Certificate of Diploma in Pharmacy: A certificate of Diploma in Pharmacy shall be granted by the Examining Authority to a successful candidate on producing certificate of having passed the Diploma in Pharmacy Part I and Part II and satisfactory completion of practical training for Diploma in Pharmacy (Part-III).

24. Miscellaneous: No course of training in pharmacy shall be considered for approval under regulation 18 unless it satisfies all the conditions prescribed under these regulations.

25. Repeal and Savings:

(1) The Education Regulations, 1981 (hereinafter referred to as the said regulations) published by the Pharmacy Council of India vide No. 14-55/79 Pt.I/PCI/4235-4650 dt. 8th July, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal,-

(a) anything done or any action taken under the said regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

(b) a person who was admitted as a student under the said regulation to the course of training for Diploma in Pharmacy and who had not passed the examination at the commencement of these regulations shall be required to pass the examination in accordance with the provisions of the said regulations as if these regulations had not come into force:

Provided however, the Examining Authority in a particular State may fix a date after which the examinations under the said Regulations shall not be conducted.

APPENDIX-A

SYLLABUS

DIPLOMA IN PHARMACY (PART-I)

1.1 PHARMACEUTICS-I

Theory (75 hours)

1. Introduction of different dosage forms. Their classification with examples—their relative applications. Familiarisation with new drug delivery systems.

2. Introduction to Pharmacopoeias with special reference to the Indian Pharmacopoeia.

3. Metrology-Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of alligation method in calculations. Isotonic solutions.

4. Packing of Pharmaceuticals-Desirable features of a container-types of containers. Study of glass and plastics as materials for containers and trubber as a material for closures—their merits and demerits. Introduction to aerosol packaging.

5. Size reduction-Objectives, and factors affecting size reduction, methods of size reduction—Study of Hammer mill, ball mill, Fluid energy Mill and Disintegrator.

6. Size separation-Size separation by sifting. Official Standard for powders. Sedimentation methods of size separation. Construction and working of cyclone separator.

7. Mixing and Homogenisation Liquid mixing and powder mixing, Mixing of semisolids. Study of Silverson Mixer-Homogeniser, Planetary Mixer; Agitated powder mixer; Triple Roller Mill; Propeller Mixer, Colloid Mill and Hand Homogeniser. Double cone mixer.

8. Clarification and Filtration-Theory of filtration, Filter media; Filter aids and selection of filters. Study of the following filteration equipments-Filter Press, Sintered Filters, Filter Candles, Metafilter.

9. Extraction and Galenicals-(a) Study of parcolation and maceration and their modification, continuous hot extraction-Applications in the preparation of tinctures and extracts.

(b) Introduction to Ayurvedic dosage forms.

10. Heat processes Evaporation-Definition Factors affecting evaporation-Study of Evaporating still and Evaporating Pan.

11. Distillation-Simple distillation and Fractional distillation; Steam distillation and vacuum distillation. Study of vacuum still, preparation of Purified Water I.P. and water for Injection I.P. Construction and working of the still used for the same.

12. Introduction to drying processes-Study of Tray Dryers: Fluidized Bed Dryer, Vacuum Dryer and Freeze Dryer.

13. Sterilization-Concept of sterilization and its differences from disinfection-Thermal resistance of microorganisms. Detailed study of the following sterilization processes.

(i) Sterilization with moist heat,

(ii) Dry heat sterilization,

(iii) Sterilization by radiation,

(iv) Sterilization filtration and

(v) Gaseous sterilization.

Aseptic techniques-Application of sterilization processes in hospitals particularly with reference to surgical dressings and intravenous fluids. Precautions for safe and effective handling of sterilization equipment.

14. Processing of Tablets-Definition; Different types of compressed tablets and their properties. Processes involved in the production of tablets; Tablets exciptents; Defects in tablets; Evaluation of Tablets; Physical Standards including Disintegration and Dissolution. Tablet coating-Sugar coating; film coating, enteric coating and microencapsulation (Tablet coating may be dealt in an elementary manner.)

15. Processing of Capsules—Hard and soft gelatin capsules; different sizes capsules; filling of capsules; handling and storage of capsules. Special applications of capsules.

16. Study of immunological products like sera vaccines, toxides & their preperations.

PRACTICAL (100 hours)

Preparation (minimum number stated against each) of the following categories illustrating different techniques involved.

1. Aromatic waters	3
2. Solutions	4
3. Spirits	2
4. Tinctures	4
5. Extracts	2
6. Creams	2
7. Cosmetic preparations	3
8. Capsules	2
9. Tablets	2
10. Preparations involving sterilisation	2
11. Opthalmic preparations	2
12. Preparations involving aseptic techniques	2

Books Recommended : (Latest editions)

1. Remington's Pharmaceutical Sciences.

2. The Extra Pharmacopoeia-Matrindale.

1.2 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-I

Theory (75 hours)

1. General discussion on the following inorganic compounds including important physical and chemical properties, medicinal and Pharmaceutical uses, storage conditions and chemical incompatibility.

(A) Acids, bases and buffers Boric acid*, Hydrochloric acid, strong ammonium hydroxide, Calcuim hydroxide, Sodium hydroxide and official buffers.

(B) Antioxidants-Hypophosphorous acid, Sulphur dioxide, Sodium bisulphite, Sodium metabisulphite, Sodium thiosulphite, Nitrogen and Sodium Nitrite.

(C) Gastrointestinal agents—

(i) Acidifying agents-Dilute hydrochloric acid.

(ii) Antacids-Sodium bicarbonate, Aluminium hydroxide gel, Aluminium Phosphate, Calcium carbonate, Magnesium carbonate, Magnesium trisilicate, Magnesium oxide, Combinations of antacid preparations.

(iii) Protectives and Absorbents-Bismuth subcarbonate and Kaolin.

(iv) Saline Cathartics-Sodium Potassium tartrate and Magnesium sulphate.

(D) Topical Agents—

(i) Protectives-Talc, Zinc Oxide, Calamine, Zinc stearate, Titanium dioxide, Silicone polymer.

(ii) Antimicrobials and Astringents-Hydrogen peroxide*, Potassium permanganate, Chlorinated lime, Iodine, Solutions of iodine, Povidone-iodine, Boric acid, Borax, Silver nitrate, Mild silver protein, Mercury, Yellow mercuric oxide, Ammoniated mercury.

(iii) Sulphur and its compounds-Sublimed sulphurs, precipitated sulphur, selenium sulphide.

(iv) Astringents:— Alum and Zinc Sulphate.

(E) Dental Products Sodium Fluoride, Stannous fluoride, Calcium carbonate, Sodium metaphosphate, Dicalcium phosphate, Strontium chloride, Zinc chloride.

(F) Inhalants- Oxygen, Carbon dioxide, Nitrous oxide.

(G) Respiratory stimulants—Ammonium Carbonate

(H) Expectorants and Emetics—Ammonium chloride,* Potassium iodide, Antimony Potassium tartrate.

(I) Antidotes—Sodium nitrate.

2. Major Intra and Extracellular electrolytes—

(A) Electrolytes used for replacement therapy—Sodium chloride and its preparations, Potassium chloride and its preparations.

(B) Physiological acid-base balance and electrolytes used-Sodium acetate, Potassium acetate, Sodium bicarbonate injection, Sodium citrate, Potassium citrate, sodium lactate injection, Ammonium chloride and its injection.

(C) Combination of oral electrolyte powders and solutions.

3. Inorganic Official compounds of Iron, Iodine, and Calcium Ferrous Sulfate and Calcium gluconate.

4. Radio pharmaceuticals and Contrast media-Radio activity-Alpha, Beta and Gamma Radiations, Biological effects of radiations, Measurement of radio activity G.M. Counter Radio isotopes-their uses, storage and precautions with special reference to the offiical preparations.
Radio opaque Contrast media-Barium sulfate.

5. Quality control of Drugs and Pharmaceuticals-Importance of quality control, significant errors, methods used for quality control, sources of impurities in Pharmaceuticals. Limit tests for Arsenic, chloride, sulphate, Iron and Heavy metals.

6. Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia.

PRACTICAL (75 hours)

1. Identification tests for inorganic compounds particularly drugs and pharmaceuticals.
2. Limit test for chloride, sulfate, Arsenic, Iron and Heavy metals.
3. Assay of inorganic Pharmaceuticals involving each of the following methods of compounds marked with (*) under theory.
   a. Acid-Base titrations (at least 3)
   b. Redox titrations (One each of Permanganometry and iodimetry).
   c. Precipitation titrations (at least 2)
   d. Complexometric titrations (Calcium and Magnesium).

Books recommended (Latest editions)

1. Indian Pharmacopoeia.

1.3 PHARMACOGNOSY
Theory (75 hours)

1. Definition, history and scope of Pharmacognosy including indigenous system of medicine.

2. Various systems of classification of drugs of natural origin.

3. Adulteration and drug evaluation; significance of Pharmacopoeial standards.

4. Brief outline of occurrence distribution outline of isolation, identification tests, therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins.

5. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever

applicable and therapeutic efficacy of following categories of drugs.

(a) Laxatives : Aloes, Rhuburb, Castor oil, Ispaghula, Senna.

(b) Cardiotonics—Digitalis, Arjuna.

(c) Carminatives & G.I. regulators—Umbelliferous fruits. Coriander, Fennel, Ajowan, Cardamom Ginger, Black pepper, Asafoetida, Nutmeg, Cinnamon, Clove.

(d) Astringents—Catechu.

(e) Drugs acting on nervous system—Hyoscyamus, Belladonna, Aconits, Ashwagandha, Ephedra, Opium, Cannabis, Nux vomica.

(f) Antihypertensives—Rauwolfia.

(g) Antitussives—Vasaka, Tolu balsam, Tulsi.

(h) Antirheumatics—Guggul, Colchicum.

(i) Antitumour—Vinca.

(j) Antileprotics—Chaulmoogra Oil.

(k) Antidiabetics—Pterocarpus, Gymnema, Sylvestro.

(l) Diuretics—Gokhru, Punarnava.

(m) Antidysentrics—Ipecacuanha.

(n) Antiseptics and disinfectants Benzoin, Myrrh, Nim, curcuma.

(o) Antimalarials—Cinchona.

(p) Oxytocics—Ergot

(q) Vitamines—Shark liver Oil and Amla.

(r) Enzymes—Papaya, Diastase, Yeast.

(s) Perfumes and flavouring agents—Peppermint Oil, Lemon Oil, Organge Oil, lemon grass Oil, Sandalwood.

(t) Pharmaceutical aids—Honey, Arachis Oil, Starch, Kaolin, Pectin, Olive oil, Lanolin, Beesawx, Acacia, Tragacanth, Sodium alginate, Agar, Guar gum, Gelatin.

(u) Miscellaneous—Liquorice, Garlic, Picrorhiza, Dioscorea, Linseed, Shatavari, Shankhupushpi, Pyrethrum, Tobacco.

6. Collection and preparation of crude drug for the market as examplified by Ergot, opium, Rauwolfia, Digitalis, Senna.

7. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings—cotton, silk, wool and regenerated fibre.

8. Gross anatomical studies of Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, Fennel, Clove, Ginger, Nuxvomica & ipecacuanha.

PRACTICAL (75 hours)

1. Identification of drug by morphological characters.

2. Physical and chemical tests for evaluation of drugs wherever applicable.

3. Gross anatomical studies (t.s.) of the following drugs Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, Coriander, Fennel, Clove, Ginger, Nuxvomica, Ipecacuanha.

4. Identification of fibres and surgical dressings.

1.4. BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

(Theory (50 hours)

1. Introduction to biochemistry.

2. Brief chemistry and role of proteins, polypeptides and amino acids, classification, Qualitative tests, Biological value, Deficiency diseases.

3. Brief chemistry and role of Carbohydrates, Classification, qualitative tests. Diseases related to carbohydrate metabolism.

4. Brief chemistry and role of Lipids, Classification, qualitative tests. Diseases related to lipids metabolism.

5. Brief chemistry and role of Vitamins and Coenzymes.

6. Role of minerals and water in life processes.

7. Enzymes : Brief concept of enzymic action. Factors affecting it. Therapeutic and pharmaceutical importance.

8. Brief concept of normal and abnormal metabolism of proteins, carbohydrates and lipids.

9. Introduction to pathology of blood and urine.

(a) Lymphocytes and Platelets, their role in health and disease.

(b) Erythrocytes Abnormal cells and their significance.

(c) Abnormal constituents of urine and their significance in diseases.

PRACTICAL (75 hours)

1. Detection and identification of Proteins, Amino acids, Carbohydrates and lipids.

2. Analysis of normal and abnormal constituents of Blood and Urine (Glucose, Urea, Creatine, creatinine, cholesterol alkaline phosphatase, acid phosphatase, Bilirubin, SGPT, SGOT, Calcium, Diastase Lipase).

3. Examination of sputum and faeces (microscopic and staining).

4. Practice in injecting drugs by intramuscular, subcutaneous and intravenous routes. Withdrawl of blood samples.

1.5. HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Theory (75 hours)

1. Scope of Anatomy and Physiology.

Definition of various terms used in Anatomy

2. Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and microsomes.

3. Elementary tissues of the body, i.e. epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue.

4. Structure and function of skeleton. Classification of joints and their function, Joint disorder.

5. Composition of blood, functions of blood elements. Blood group and coagulation of blood. Brief information regarding disorders of blood.

6. Name and functions of lymph glands.

7. Structure and functions of various parts of the heart. Arterial and venous system with special reference to the names and positions of main arteries and veins. Blood pressure and its recording. Brief information about cardiovascular disorders.

8. Various parts of respiratory system and their functions. Physiology aof respiration.

9. Various parts of urinary systems and their functions, structure and functions of kidney. Physiology of Urine formation. Pathophysiology of renal diseases and oedema.

10. Structure of skeletal muscle. Physiology of muscle contraction. Names, position, attachments and functions of various skeletal muscles. Physiology of neuromuscular junction.

11. Various parts of central nervous system, brain and its parts, functions and reflex action. Anatomy and Physiology of autonomic nervous system.

12. Elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear, eye and skin. Physiology of pan.

13. Digestive system; names of the various parts of digestive system and their functions. Structure and functions of liver, physiology of digestion and absorption.

14. Endocrine glands and Hormones. Location of the glands, their hormones and functions.

Pitutary, thyroid, Adrenal and Pancreas.

15. Reproductive system—Physiology and Anatomy of Reproductive system.

PRACTICAL (50 Hours)

1. Study of the human skeleton.

2. Study with the help of charts and models of the following systems and organs :

(a) Digestive system.

(b) Respiratory system.

(c) Cardiovascular system.

(d) Urinary system.

(e) Reproductive system.

(f) Nervous system.

(g) Eye

(h) Ear

3. Microscopic examination of epithelial tissue, cardiac muscle, smooth muscle, skeletal muscle. Connective tissue and nervous tissues.

4. Examination of blood films for TLC, DLC and malarial parasite.

5. Determination of clotting time of blood, erythrocyte sedimentation rate and Haemoglobin value.

6. Recording of body temperature, pulse, heart rate, blood pressure and ECG.

1.6 HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY PHARMACY

Theory (50 hours)

1. Concept of health—Definition of physical health, mental health, social health, spiritual health determinants of health, indicators of health, concept of disease, natural history of diseases, the disease agents, concept of prevention of diseases.

2. Nutrition and health—Classification of foods requirements, diseases induced due to deficiency of proteins, Vitamins and minerals—treatment and prevention.

3. Demography and family planning—Demography cycle, fertility, family planning, contraceptive methods, behavioural methods, natural family planning method, chemical method, mechanical methods, hormonal contraceptives, population problem of India.

4. First aid—Emergency treatment in shock, snake-bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings.

5. Environment and health—Sources of water supply, water pollution, purification of water, health and air, noise, light—solid waste disposal and control—medical entomology, arthropod borne diseases and their control, rodents, animals and diseases.

6. Fundamental principles of microbiology—classification of microbes, isolation, staining techniques of organisms of common diseases.

7. Communicable diseases—Causative agents, modes of transmission and prevention.

(a) Respiratory infections—Chicken pox, measles, influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis.

(b) Intestinal infections : Poliomyelitis, Hepatitis, Cholera, Typhoid, Food poisoning, Hookworm infection.

(c) Arthropod borne infections—Plague, Malaria, Filariasis.

(d) Surface infections—Rabies, Trachoma, Tetanus, Leprosy.

(e) Sexually transmitted diseases—Syphilis, Gonorrhoea, AIDS.

8. Non-communicable diseases—Causative agents, prevention, care and control :

Cancer, Diabetes, Blindness, Cardiovascular diseases.

9. Epidemiology—Its scope, methods, uses, dynamics of disease transmission. Immunity and immunisation : Immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control. Disinfection, types of disinfection, disinfection procedures, for faeces, urine, sputum, room, linen, dead-bodies, instruments.

2.1 PHARMACEUTICS II

Theory (75 hours)

1. Dispensing Pharmacy :

(i) Prescriptions—Reading and understanding of prescriptions; Latin terms commonly used (Detailed study is not necessary), Modern methods of prescribing, adoption of metric system. Calculations involved in dispensing.

(ii) Incompatibilities in Prescriptions—Study of various types of incompatibilities—physical, chemical and therapeutic.

(iii) Posology—Dose and Dosage of drugs, Factors influencing dose, Calculations of doses on the basis of age, sex and surface area. Veterinary doses.

2. Dispensed Medications :

(Note : A detailed study of the following dispensed medication is necessary. Methods of preparation with theoretical and practical aspects, use of appropriate containers and closures. Special labelling requirements and storage conditions should be high-lighted).

(i) Powders—Types of Powders—Advantages and disadvantages of powders, Granules, Cachets and Tablet triturates. Preparation of different types of powders encountered in prescriptions. Weighing methods, possible errors in weighing, minimum weighable amounts and weighing of a material below the minimum weighable amount, geometric dilution and proper usage and care of dispensing balance.

(ii) Liquid Oral Dosage Forms :

(a) Monophasic—Theoretical aspects including commonly used vehicles, essential adjuvant like stabilizers, colourants and flavours, with examples.

Review of the following monophasis liquids with details of formulation and practical methods.

Liquids for internal administration	Liquids for external administration or used on mucus membranes.
Mixtures and concentrates	Gargles
Syrups	Mouth washes Throat-paints Douches
Elixirs	Ear Drops Nasal drops & Sprays Liniments Lotions.

(b) Biphasic Liquid Dosage Forms :

(i) Suspensions (elementary study)—Suspensions containing diffusible solids and liquids and their preparations. Study of the adjuvants used like thickening agents, wetting agents, their necessity and quantity to be incorporated. Suspensions of precipitate forming liquids like tinctures, their preparations and stability. Suspensions produced by chemical reaction. An introduction to flocculated/non-flocculated suspension system.

(ii) Amulsions—Types of emulsions, identification of emulsion systems, formulation of emulsions, selection of emulsifying agents. Instabilities in emulsions. Preservation of emulsions.

(ii) Semi-Solid Dosage Forms :

(a) Ointments—Types of ointments, classification and selection of dermatological vehicles. Preparation and stability of ointments by the following processes :

(i) Tricuration (ii) Fusion (iii) Chemical reaction (iv) Emulsification.

(b) Pastes—Differences between ointments and pastes Bases of pastes. Preparation of pastes and their preservation.

(c) Jellies—An introduction to the different types of jellies and their preparation.

(d) An elementary study of poultice.

(e) Suppositories and pessaries—Their relatives merits and demerts, types of suppositories, suppository bases, classification, properties, Preparation and packing of suppositories. Use of suppositories for drug absorption.

(iv) Dental and Cosmetic Preparations : Introduction to Dentrifices, Facial cosmetic, Deodorants, Antiperespirants, Shampoos, Hair dressings and Hair removers.

(v) Sterile Dosage Forms :

(a) Parental dosage forms—Definitions, General requirements for parenteral dosage forms. Types of parenteral formulations, vehicles adjuvants, processing, personnel, facilities and Quality control. Preparation of Intravenous fluids and

admixtures—Total parenteral nutrition, Dialysis fluids.

(b) Sterility testing, Particulate matter monitoring—Faulty seals-packaging.

(c) Ophthalmic Products—Study of essential characteristics of different ophthalmic preparations. Formulation additives, special precautions in handling and storage of ophthalmic products.

PRACTICAL (100 hours)

Dispensing of at least 100 products covering a wide range of preparations such as mixtures, emulsions, lotions, liniments, E.N.T. preparations, ointments, suppositories, powders, incompatible prescriptions etc. Books recommended : (Latest editions)

1. Indian Pharmacopoeia.
2. British Pharmacopoeia.
3. National Formularies (N.F.I., B.N.F.).
4. Remington's Pharmaceutical Sciences.
5. Martindale's Extra Pharmacopoeia.

2.2 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II, Theory (100 hours)

1. Introduction to the nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings.

2. The Chemistry of following Pharmaceutical organic compounds, covering their nomenclture, chemical structure, uses and the important Physical and Chemical properties (Chemical structure of only those compounds marked with asterisk (*).

The stability and storage conditions and the different type of Pharmaceutical formulations of these drugs and their popular brand names.

Antiseptics and Disinfectants—Proflavine,* Benzalkoniumchloride, Cetrimide, Chloro cresol*, Chloroxylene, Formaldehyde solution, Hexachlorophene, Liquified phenol, Nitro furantoin.

Sulfornamides—Sulfadiazinex, Sulfaguanidine*,

Phthalyl sulfathiazole, Succinyl sulfathiazole, Sulfadimethoxine, Sulfamethoxy pyridazine, Sulfa methoxazole, co-trimoxazole, Sulfacetamide*.

Antileprotic Drugs—Clofazimine, Thiambutosine, Dapsone*, Solapsone.

Anti-tubercular Drugs—Isoniazid*, PAS*, Streptomycin, Rifampicin, Ethambutol*, Thiacetazone, Ethionamide, Cycloserine, Pyrazinamide*.

Antiamoebic and Anthelmintic Drugs—Emetine, Metronidazole*, Halogenated hydroxyquionlines, diloxanide furoate, Paromomycin Piperazine*, Mebendazole, D.E.C.*,.

Antibiotics—Benzyl Penicillin*, Phenoxy methyl Penicillin*, Benzathine Penicillin, Ampiillin*, Cloxacillin, Carbenicillin, Gentamycin, Neomycin, Erythromycin, Tetracycline, Cephalexin, Cephaloridine, Cephalothin, Griseofulvin, Chloramphenicol.

Antifungal agents—Undecylenic acid, Tolnaftate, Nystatin, Amphoterecin, Hamycin.

Antimalarial Drugs—Chloroquine*, Amodiaquine, Primaquine, Proguanil, Pyrimethamine*, Quinine, Trimethoprim.

Tranquillizers—Chlorpromazine*, Prochlor Perazine, Trifluo, Perazine, Thiothixene, Haloperidol*, Triperidol, Oxypertine, Chlordizaepoxide, Diazepam*, Lorazepam, Meprobamate.

Hypnotics:—Phenobarbitone*, Butobarbitone, Cyclobarbitone, Nitrazepam, Glutethimide*, Methyprylon paraldehyde, Triclofossodium.

General Anaesthtics—Halothane*, Cyclopropane*, Diethyl ether*, Metho-hexital sodium, Thiopental sodium, Trichloroethylene.

Antidepresant Drugs—Amitriptyline, Nortrypthyline, Impiramine*, Phenelzine, Tranyl cypromine.

Analeptics—Theophylline, Caffeine*, Coramine* Dextroamphetamine.

Adrenergic Drugs—Adrenaline*, Noradrenaline, Isoprenaline*, Phenylephrine, Salbutamol, Terbutaline, Ephedrine*, Pseudo ephedrine.

Adrenergic Antagonist—Tolazoline, Propranolol*, Pracetalol.

Cholinergic Drugs—Neostigmine*, Pyridostigmine, Pralidoxime, Pilocarbpine, Physiostigmine*.

Cholinergic Antagonists—Atropine*, Hyoscine, Homatropine, Propantheline*, Benztropine, Tropicamide, Biperiden.*

Diuretic Drugs—Furosemide*, Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide*, Benzthiazide, Urea*, Mannitol*, Ethacrynic Acid.

Cardiovascular Drugs—Ethyl nitrite*, Glyceryl trinitrate, Alpha methyl dopa, Guanethidine, Clofibrate, Quinidine.

Hypoglycemic Agents—Insulin, Chlorpropamide*, Tolbutamide Glibenclamide, Phenformir*, Metformin. Coagulants and Anti-Coagulants—Heparin, Thrombin, Menadione*, Bishydroxycoumarin, Warfarin Sodium. Local Anaesthetics—Lignocaine*, Procaine*, Benzocaine.

Histamine and Anti-histaminic Agents—Histamine, Diphen hydramine*, Promethazine, Cyproheptadine, Mepyramine, Pheniramine, Chlorpheniramine*.

Analgesics and Anti-pyretics—Morphine, Pethidine*, Codeine, Methadone, Aspirin*, Paracetamol*, Analgin, Dextropropoxyphene, Pentazocine.

Non-steriodal anti-inflammatory Agents—Indomethacin*, phenylbutazone*, Oxyphen butazone, Ibuprofen. Thyroxine and Antithyroids—Thyroxine*, Methimazole, Methylthiouracil, Propylthiouracil.

Diagnostic Agents—Iopanoic Acid, Propyliodone, Sulfobromophthalein.

Sodium, Indigotindisulfonate Sodium(Indigo Carmine), Evans blue, Congo Red, Fluoreseein Sodium.

*Anticovulsants, cardiac glycosides, Antiarrhythmic antihypertensives & vitamins.

Steroidal Drugs—Betamethazone, Cortisone, Hydrocortisone, prednisolone, Progesterone, Testosterone, Oestradiol Nandrolene.

Anti-Neoplastic Drugs—Actinomycins, Azathioprine, Busulphan, Chlorambucil, Cisplatin cyclophosphamide, Daunorubicin, Hydrochloride, Fluorouracil, Mercaptopurine, Methotrexate, Mytomycin.

Books Recommended : (Latest editions)l

1. Pharmacopoeia of India.
2. British Pharmaceutical Codex.
3. Martindale's Extra Pharmacopoeia.

PRACTICAL (75 hours)

Systematic qualitative testing of organic drugs involving Solubility determination, melting point and or boiling point, detection of elements and functional groups (10 compounds).

2. Official identification tests for certain groups of drugs included in the I.P. like barbiturates, sulfonamides, phenothiazines, Antibiotics etc. (8 compounds).

3. Preparation of three simple organic preparations.

2.3 PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
Theory (75 hours)

1. Introduction to Pharmacology, scope of Pharmacology.
2. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages.
3. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them. Metabolism, distribution and excretion of drugs.
4. General mechanism of drugs action and the factors which modify drug action.
5. Pharmacological classification of drugs. The discussion of drugs should emphasise the following aspect :
   (i) Drugs acting on the Central Nervous system :
      (a) General anaesthetics, adjunction to anaesthesia, intravenuous anaesthetics.
      (b) Analgesic antipyretics and non-steroidal anti-inflammatory durgs, Narcotic analgesics. Antirheumatic and antigout remedies. Sedatives and Hypnotics, Psychopharmacological agents, anti convulsants, analoptics.
      (c) Centrally acting muscle relaxants and antiparkinsonism agents.
   (ii) Local anesthetics.
   (iii) Drug acting on autonomic nervous system.
      (a) Cholinergic drug , Anticholinergic drugs, anticholinesterase drugs.
      (b) Adrenergic drugs and adrenergic receptor blockers.
   (c) Neurone blockors and ganglion blockers.
   (d) Neuromuscular blockers, drugs used in myasthenia gravis.
   (iv) Drugs acting on eye, mydriatics, drugs used glaucoma.
   (v) Drugs acting on respiratory system-Respiratory stimulants Bronchodilators, Nasal decongestants, Expectorants and Antitussive agents.
   (vi) Antacids, Physiological rolo of histamine and serotonin, Histamine and Antihistamines, Prostagladins.
   (vii) Cardio Vascular drugs, Cardiotonics, Antiarrhythmic agents, Antianginal agents, Antihypertensive agents, Peripheral Vasodilators and drugs used in atherosclerosis.
   (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. Haematinics, Coagulants and anticoagulants, Haemostatics, Blood substitutes and plasma expanders.
   (ix) Drugs effecting renal function-Diuretics and antidiuretics.
   (x) Harmones and harmone antagonists-Hypoglycemic agents, Antithyroid drugs, sex harmones and oral contraceptives corticosteroids.
   (xi) Drugs acting on digestive system-Carminatives, digestants Bitters, Antacids and drugs used in Peptic ulcer, purgatives, and laxatives, Antidiarrhoeals, Emetics, Antiemetics, Antispasmodics.
6. Chemotherapy of microbial disease : Urinary antiseptics, Sulphonamides, Penicillins, Streptomyoin, Tetracyclines and other antibiotics.
   Autitubercular agents, Antifungal agents, antiviral drugs, antileprotic drugs.

7. Chemotherapy of protozoal diseases. Anthelmintic drugs.
8. Chemotherappy of cancer.
9. Disinfectants and antiseptics.

A detailed study of the action of drugs on each organ is not necessary.

PHARMACOLOGY

PRACTICAL

(50 hours)

The first six of the following experiments will be done by the students while the remaining will be demonstrated by the teacher.

1. Effect of Kt. Catt, acetyl choline and adrenaline on frog's heart.
2. Effect of acetyl choline on rectus abdominis muscle of Frog and guinea pig ileum.
3. Effect of spasmogens and relaxants on rabbits intestine.
4. Effect of local anaesthetics on rabbit cornea.
5. Effect of mydriatics and miotics on rabbits eye.
6. To study the action of strychnine on frog.
7. Effect of degitalis on frog's heart.
8. Effect of hypnotics in mice.
9. Effect of convulsants and anticonvulsant in mice or rats.
10. Test for pyrogens.
11. Taming and hypnosis potentiating effect of chlorpromazine in mice/rats.
12. Effect of diphenhydramine in experimentally produced asthma in guinea pigs.

2.4 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE

Theory (50 hours)

1. Origin and nature of Pharmaceutical legislation in India, its scope and objectives. Evolution of the "Concept of Pharmacy" as an integral part of the Health care system.

2. Principles and significance of Professional Ethics. Critical study of the code of Pharmaceutical Ethics drafted by Pharmacy Council of India.

3. Pharmacy Act, 1948-The General study of the Pharmacy Act with special reference to Education Regulations, working of State and Central Councils, constitutions of these councils and functions, Registration procedures under the Act.

4. The Drugs and Cosmetics Act, 1940-General study of the Drugs and Cosmetics Act and the Rules thereunder. Definitions and salient features related to retail and whole sale distribution of drugs. The powers of Inspectors, the sampling procedures and the procedure and formalities in obtaining licences under the rule. Facilities to be provided for running a Pharmacy effectively. General study of the schedules with special reference of schedules C, C_1, F, G, J, H, P and X and salient features of labelling and storage condition of drugs.

5. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954-General study of the Act Objectives, special reference to be laid on Adevertisements. Magic remedies and objectionable and permitted advertisements-diseases which cannot be claimed to be cured.

6. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985-A brief study of the act with special reference to its objectives, offences and punishment.

7. Brief introduction to the study of the following acts.

1. Latest Drugs (Price Control) Order in force.
2. Poisons Act 1919 (as amended to date)
3. Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (as amended to date)
4. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date)

BOOKS RECOMMENDED (Latest edition):

Bare Acts of the said laws published by the Government.

2.5 DRUG STORE AND BUSINESS MANAGEMENT

Theory (75 hours)

Part-I Commerce (50 hours)

1. Introduction-Trade, Industry and Commerce, Functions and subdivision of Commerce, Introduction to Elements of Economics and Management.
2. Forms of Business Organisations.
3. Channels of Distribution.
4. Drug House Managoment- Selection of Site, Space Lay-out and legal requirements.

Importance and objectives of Purchasing, selection of suppliers, credit information, tenders, contracts and price determination and legal requirements thereto.

Codification, handling of drug stores and other hospital supplies.

5. Inventory Control-objects and importance, modern techniques like ABC, VED analysis, the lead time, inventory carrying cost, safety stock, minimum and maximum stock levels, economic order quantity, scrap and surplus disposal.

6. Sales Promotion, Market Research, Salesmanship, qualities of a saleman, Advertising and Window Display.

7. Recruitment, training, evaluation and compensation of the pharmacist.

8. Banking and Finance-Service and functions of bank, Finance Planning and sources of finance.

Part-II Accountancy (25 hours)

1. Introduction to the accounting concepts and conventions, Double entry, Book keeping, Different kinds of accounts.
2. Cash Book.
3. General Ledger and Trial Balance.
4. Profit and Loss Account and Balance Sheet.
5. Simple techniques of analysing financial statements.

Introduction to Budgetting.

Books Recommended (Latest edition)
Remington Pharmaceutical Science.

2.6 HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY

Theory (75 hours)

Part-I : Hospital Pharmacy :

1. Hospitals Definition, Function, Classifications based on various criteria, organisation, Management and Health delivery system in India.

2. Hospital Pharmacy :
   (a) Definition
   (b) Functions and objectives of Hospital Pharmaceutical services.
   (c) Location, Layout, Flow chart of material and men.
   (d) Personnel and facilities requirements including equipments based on individual and basic needs.
   (e) Requirements and abilities required for Hospital pharmacists.

3. Drug Distribution system in Hospitals :
   (a) Out-patient services
   (b) In-patient services—(a) types of services (b) detailed discussion of Unit Dose system, Floor ward stock system, Satellite pharmacy services, Central sterile services, Bed Side Pharmacy.

4. Manufacturing :
   (a) Economical considerations, estimation of demand.
   (b) Sterile manufacture—large and small volume parenterals, facilities, requirements, layout production planning, man-power requirements.
   (c) Non-sterile manufacture-Liquid orals, externals—bulk concentrates.
   (d) Procurement of stores and testing of raw materials.

5. Nomenclature and uses of surgical instruments and Hospital Equipments and health accessories.

6. P.T.C. (Pharmacy Therapeutic Committee), Hospital Formulary System and their organisation, functioning, composition.

7. Drug Information service and Drug Information Bulletin.

8. Surgical dressing like cotton, gauze, bandages and adhesive tapes including their pharmacopocial tests for quality. Other hospital supply e.g. I.V. sets B.G. sets, Ryals, tubes, Catheters, Syringes etc.

9. Application of computers in maintenance of records, inventory control, medication monitoring, drug information and data storage and retrieval in hospital and retail pharmacy establishments.

Part-II : Clinical Pharmacy :

1. Introduction to Clinical Pharmacy Practice—Definition, scope.

2. Modern dispensing aspects—Pharmacists and Patient counselling and advice for the use of common drugs medication history.

3. Common daily terminology used in the Practice of Medicine.

4. Disease, manifestations and pathophysiology including salient symptoms to understand the disease like Tuberculosis, Hepatitis, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular diseases, Epilepsy, Diabetes, Peptic Ulcer, Hypertension.

5. Physiological parameters with their significance.

6. Drug Interactions :
   (a) Definition and introduction.
   (b) Mechanism of Drug Interaction.
   (c) Drug—drug interaction with reference to analgesics, diuretics, cardio vascular drugs, Gastro-intestinal agents Vitamins and Hypoglycemic agents.
   (d) Drug—food interaction.

7. Adverse Drug Reactions :
   (a) Definition and Significance.
   (b) Drug—induced diseases and Teratogenicity.

8. Drugs in Clinical Toxicity—Introduction, general treatment of poisoning, systematic antidotes. Treatment of insecticide poisoning, heavy metal poison, Narcotic drugs, Barbiturate, Organophosphorus poisons.

9. Drug dependenes, Drug abuse, Addictive drugs and their treatment, complications.

10. Bio-availability of drugs, including factors affecting it.

Books Recommended (Latest editions)

1. Remington's Pharamaceutical Sciences.

2. Martindale's Extra Pharmacopoeia.

PRACTICAL (50 hours)

1. Preparation of transfusion fluids.

2. Testing of raw materials used in (1).

3. Evaluation of surgical dressings.

4. Sterlization of surgical instruments, glass ware and other hospital supplies.

5. Handling and use of data processing equipments.

APPENDIX-B

(See regulation 9)

CONDITIONS TO BE FULFILLED BY THE ACADEMIC TRAINING INSTITUTION

Any authority in India applying to the Pharmacy Council of India for approval of courses of study for Pharmacists under sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 shall provide.

(A) *ACCOMMODATION*

Suitable and sufficient accommodation with adequate ventilation lighting and other hygienic conditions should be provided to the rooms for Principal/Head of the department, office, class room, library, staff, staff common room, students common room, museum, stores etc.

At least four laboratories specified below should be provided for :—

1. Pharmaceutics Lab.

2. Pharm. Chemistry Lab.

3. Physiology, Pharmacology and Pharmacognosy Lab.

4. Biochemistry, Clinical Pathology, Hospital and Clinical Pharmacy Lab.

In addition to the laboratories, balance room, aseptic room or cabinet, animal house, a machine room are also to be provided for.

Floor area of the laboratory should not be less than 30 square feet per student required to work in the laboratory at any given time subject to a minimum of 500 square feet.

Laboratories should be fitted and constructed in a manner that these can be kept reasonably clean. Gas and water fittings, shelves, fume cupboards be provided wherever necessary.

(B) *STAFF*

Principal/Director/Head of the department may be engaged in teaching upto *Eight* hours a week, and the work load of other teaching staff should not be more than 16 hours per week.

Staff student ratio should not exceed 1 : 60 in theory classes and 1 : 20 in practical classes. There should be two teachers for a batch of 30 students in practicals.

According to the above norms, the following staff is required for an intake of 60 students :

*Professor/Reader	—One
Senior Lecturers/Lecturers	—Seven

*He may also work as Principal or Head of the Department, as the case may be.

The minimum qualifications of The Principal/Director/Head of the Institution/Department, and the teachers be as given below :

Principal/Director/Head of Institution/Department (Professor/Reader)	Basic degree in pharmacy and Post-graduate in any discipline of Pharaceutical Sciences with not less than 5 years experience in teaching.
Lecturer	M. Pharm. or B. Pharm. with 3 years teaching/professional experience.

Provided that the above qualifications shall not apply to the incumbents appointed under the repealed Education Regulations.

Non-Teaching staff

List of Non-Teaching staff for the D. Pharm. course.

1. Laboratory Technician (Qualification-Diploma in Pharmacy)	2
2. Laboratory Attendent	4
3. Office superintendent	
4. Clerk-cum-Accountant	1
5. Store-Keeper	1
6. Typist	1
7. Asstt. Librarian	1
8. Peons	2
9. Cleaners/Sweepers	4
10. Gardener	1

1. List of Equipment for Pharmaceutics Laboratory

A. Special equipment and instruments	No. required for 60 students	No. required for 120 students
1	2	3
1. Continuous hot extraction equipment	5	10
2. Conical percolators	20	40
3. Tincture Press	1	1
4. Hand grinding mill	5	5
5. Disintegrator	1	1
6. Ball mill	1	1
7. Hand operated Tablet machines	3	3
8. Tablet coating pan unit with hot air blower Laboratory size	1	1
9. Polishing Pan Laboratory size	1	1
10. Tablet Hardness Tester (Monsanto Type)	3	3
11. Tablet Hardness tester (Pfizer type)	3	3

1	2	3
12. Disintegration Test Unit	2	2
13. Dissolution Rate Test apparatus	1	1
14. Granulating sieve sets	20	40
15. Tablet counter small size	5	5
16. Friability Tester	1	1
17. Collapsible Tube filling and sealing equipments	2	2
18. Capsule filling machine (Laboratory size)	2	2
19. Prescription balance	40	60
20. Balance Torsion type with removable glass pan sansitivity, 30 mgm.	5	5
21. Distillation equipment for distilled water	2	2
22. Water deionization Unit	1	2
23. All glass distillation Unit for making water for injection	2	4
24. Ampoule washing machine	1	1
25. Ampoule filling and sealing machine	1	1
26. Sintered glass filters for (4 different grades) Bacteria proof filtration	20 each grades	20 each grades
27. Millipore filters 3 grades	2 each grades	2 each grades
28. Autoclaves	2	2
29. Pressure cookers	5	10
30. Hot Air sterlizer	2	3
31. Incubators	2	2
32. Aseptic cabinet	2	3
33. Rabbit cages and holders	10	10
34. Ampoule clarity Test equipments	2	2
35. Blender	2	3
36. Sieves Set (Pharmacopoeial standard)	10	10
37. Laboratory centrifuge	2	3
38. Ointment slabs	40	40
39. Ointment spatulas	40	40
40. Pestle and mortar (Porcelain)	40	40
41. Pestle and mortar (glass)	10	10
42. Suppository moulds of 3 size	20 each	30 each
43. Refrigerator	1	1
B. General glassware	Adequate	Adequate
C. Chemicals, appliances and laboratory facilities	Adequate	Adequate

2. List of Equipment for Pharmaceutical Chemistry Laboratory

A. Special Equipment and Instruments.	Nos. required for 60 students	120 students
1	2	3
1. Refractometer	1	1
2. Polarimeter	1	1
3. Photo electric Colorimeter	1	1
4. PH meter	2	2
5. Atomic model sets	10	10
6. Analytical balances and weightbox sets	10	15
7. Physical balances & weight box sets	5	5
8. Platform balance	2	2
9. Periodic Table chart	2	2
B. General Glassware	Adequate	Adequate
C. Miscellaneous appliances, Chemicals and laboratory facilities	Adequate	Adequate

3. List of Equipment for Physiology / Pharmacology Laboratory

A. Special Equipment and Instruments	Nos. required for 60 Student	120 students
1. Haemoglobinometer	20	30
2. Haemocytometer	10	20
3. Student's Organ bath	5	10
4. Sherrington rotating drum	5	10
5. Frog Boards	10	20
6. Trays (dissecting)	10	20
7. Frontal writing levers	15	30
8. Aeration tube	20	40
9. Telethermometer	1	2
10. Pole Climbing apparatus	1	2
11. Histamine chamber	1	2
12. Simple levers	15	30
13. Starling heart levers	10	20
14. ECG machine	—	—
15. Aerators	5	10
16. Histological slides	25	25
17. Sphygmomanometer (B. P. apparatus)		
18. Stethoscope	5	5
19. First aid equipments	sets 5	sets 5
20. Contraceptive device	sets 5	sets 5
21. Dissecting (Surgical) instruments	sets 20	sets 30
22. Operation table (small)	2	2
23. Balance for weighing small animals	1	2
24. Kymograph paper	Adequate	Adequate
25. Activity cage (actophotometer)	1	1
26. Analgesiometer	1	1
27. Thermometers	20	20
28. Distilled water stills	2	2
29. Plastic animal cages	10	10
30. Double unit organ bath with thermostat	1	1
31. Refrigerator	1	1
32. Single pan balance	1	1
33. Charts	Adequate	Adequate
34. Human Skelton	1	1
35. AnatomicalSpecimen(Heart brain, eye, ear, reproductive system etc.)	set 1	set 1
36. Electro-convulsometer	1	1
37. Stop watches	10	10
38. Clamp, Bossheads, Screw clips	Adequate	Adequate
39. Symes' Cannula	20	40

B. **General Glassware** . . .	Adequate	Adequate
C. **Chemical and Misc. laboratory apparatus and appliances** (needles, thread, plasticin, tubing, burners, polythene, tubes, syringes etc.)	Adequate	Adequate

4. List of Equipment for Biochemistry and clinical Pathology Laboratory

A. Special Equipment and Instruments	Nos. required for 60 students	No. required for 120 students
1. Colorimeter	2	2
2. Microscopes	20	20
3. Permanent slides . . . (Skin, Kidney, Pancreas, smooth-muscle, liver etc.)	Adequate	Adequate
4. Watch glasses	25	50
5. Centrifuge	1	1
6. Microscope with oil immersion .	5	5
B. General Glassware . . .	Adequate	Adequate
C. **Biochemical reagents** for analysis of normal and pathological constituents of urine and blood and facilities.	Adequate	Adequate

5. List of Equipment for Pharmacognosy Laboratory

A. Special Equipment and Instruments	Nos. required for 60 Students	for 120 students
1. Dissecting Microscope . .	20	20
2. Charts (different types) . .	100	100
3. Models (different types) . .	50	50
4. Permanent slides . . .	100	100
5. Slides and cover slips . . .	Adequate	Adequate
B. General glassware . . .	Adequate	Adequate
C. **Miscellaneous appliances Chemicals and laboratory facilities** . .	Adequate	Adequate

6. List of Equipments for Hospital and Clinical Pharmacy Practicals

	Quantity
1. Waer Still	1
2. Mizing Vat With Stirrer	2
3. Filtration Equipment	2
4. Filling machine	1
5. Sealing machine	1
6. Autoclave sterilizer	
7. Membrane filter	Unit 1
8. Sintered glass funnel with complete filtering assembly	10 Units
9. Small disposable membrane filters for IV admixture filtration . .	Adequate
10. Laminar air flow bench	1
11. Vacuum pump	1
12. Ovens	2
13. Surgical dressing	2
14. Incubator	1
15. Karl Fischer apparatus for moisutre content determination	1
16. Flame photometer	1
17. pH meter	1
18. Dissolution apparatus	1
19. Disintegration test apparatus . . .	
20. Hardness tester	
21. Centrifuge	1
22. Magnetic stirrer	1
23. Thermostatic bath	1
24. Experimental Animals	Adequate

7. **General List of Equipments :**	Nos. required for 60 students	120 students
1. Distilled water still . . .	2	2
2. Vacuum pump	2	3
3. Refrigerator	1	2
4. General filling equipment for the museum	Adequate	Adequate.
5. Compound microscopes . .	20	20
6. Oil immersion microscope . .	11	2
7. Over head projector . . .	1	1
8. slide cum strip projector . .	1	1
9. Projection screen . . .	1	1

Museum

Every institution shall maintain a museum of crude drugs, harbarium sheets, botanical specimens of the drugs and plants mentioned in the course. In addition, the following are recommended :—

1. Coloured slides of medicinal plants;
2. Display of popular patent medicines; and
3. Containers of common usage in medicines.

Library

Every institution shall maintain a library which should contain books mentioned in the syllabus and also the current pharmaceutical journals. There should be adeqate place in the library for students and staff to refer books.

NOTE : The above requirements are the minimum requirements and the Institute is free to provide more-physical and Teaching facility.

APPENDIX-C

(*See regulation* 18)

CONDITIONS TO BE FULFILLED BY THE EXAMINING AUTHORITY

1. The Examining Authority shall be either a statutory Indian University or a body constituted by the Central or State Government. It shall ensure that discipline and decorum of the examinations are strictly observed at the examination centres.

2. It shall permit the Inspector or inspectors of the Pharmacy Council of India to visit and inspect the examinations.

3. It shall provide :—

(a) adequate rooms with necessary furniture for holding written examinations ;

(b) well-equipped laboratories for holding practical examinations;

(c) an adequate number of qualified and responsible examiner and staff to conduct and invigilate the examination; and

(d) Such other facilities as may be necessary for efficient and proper conduct of examinations.

4. It shall, if so required by a candidate, furnish the statement of marks secured by a candidate in the examinations after payment of prescribed fee, if any, to the Examining Authority.

5. It shall appoint examiners whose qualifications should be similar to those of the teachers in the respective subjects as shown in Appendix-B.

6. In pursuance of sub-section(3) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948, the Examining Authority shall communicate to the Secretary, Pharmacy Council of India not less than six weeks in advance the dates fixed for examinations, the time-table for such examinations, so as to enable the Council to arrange for inspection to the examinations.

APPENDIX-D

[See regulation 20 (3)]

CONDITIONS TO BE FULFILLED BY THE INSTITUTION TO BE RECOGNISED FOR GIVING PRACTICAL TRAINING.

1. The Institution, where practical training is given to student pharmacists, shall from time to time, if required, furnish such information as may be needed by the Pharmacy Council of India about the staff, accommodation and equipment of the institution concerned and its working.

2. The Institution shall permit the Inspectors of the Pharmacy Council of India to inspect the premises at any reasonable time while the work is proceeding therein.

3. The Institution shall entrust some member or members of its staff, who shall be registered pharmacist (s), to look after the student pharmacists. Such members of the staff shall be responsible in this behalf to the Head of the Institution concerned.

4. The Institution shall provide such opportunity, accommodation, apparatus, materials and books of reference as may be required to enable the student pharmacists to undergo the practical training properly.

5. The number of student pharmacists that may be taken in any hospital, pharmacy and chemist and druggist and a drugs manufacturer licensed under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drug and Cosmetics Act 1940 shall not exceed two where there is one registered pharmacist engaged in the working in which the student pharmacist is undergoing practical training; where there is more than one registered pharmacist similarly engaged, the number shall not exceed one for each additional such registered pharmacist.

6. The Institution wishing to be recognised under regulation 20 shall apply in writing to the Secretary, Pharmacy Council of India stating its desire, to be so recognised.

7. Having satisfied that the institution shall follow the conditions laid down in these rules, the Pharmacy Council of India shall grant such recognition.

8. In the event of any question arising as to the interpretation or observance of these conditions the decision of the Pharmacy Council of India shall be final.

APPENDIX-E

[See regulation 21 (1)]

PRACTICAL TRAINING CONTRACT FORM FOR PHARMACISTS

SECTION I

This form has been issued——————————
(Name of student pharmacist)
son of/daughter of————————————
residing at————————who has produced evidence before me that he/she is entitled to receive the Practical Training as set out in the Education Regulations framed under section 10 of the Pharmacy Act, 1948.

Date : The Head of the Academic Training Institution

SECTION II

I————————————————accept
(Name of the student Pharmacist)
——————————of——————————
(Name of the Apprentice Master) (Name of the Institution) ————————————

(Hospital or Pharmacy) as my Apprentice Master for the above training and agree to obey and respect him/her during the entire period of my training.

——————————
(Student Pharmacist)

SECTION-III

I,——————————————accept
(Name of the Apprentice Master)
————————————————as a
(Name of the student pharmacist)

trainee and I agree to give him/her training facilities in my organisation so that during his/her training he/she may acquire:—

1. Working knowledge of keeping of records required by the various Acts affecting the profession of pharmacy; and

2. Practical experience in—

(a) the manipulation of pharmaceutical apparatus in common use;

(b) the reading, translation and copying of prescriptions including the checking of doses;

(c) the dispensing of prescriptions illustrating the commoner methods of administering medicaments; and

(d) the storage of drugs and medicinal preparation.

I also agree that a Registered Pharmacist shall be assigned for his/her guidance.

(Apprentice Master)
(Name & address of the Institution)

SECTION IV

I certify that ————————————————
(Name of the student pharmacists)
has undergone—hours training spread over——months in accordance with the details enumerated in SECTION-III.

————————————

(Head of the Organisation or Pharmaceutical Division)

SECTION V

I certify that——————————————has
(Name of student pharmacists)
completed in all respect his practical training under regulation 20 of the Education Regulations framed under section 10 of the Pharmacy Act, 1948. He had his practical training in an Institution approved the Pharmacy Council of India.

Date : ————————————

(Head of the Academic Institution)

(Devinder K. Jain,
Secretary-cum-Registrar
Pharmacy Council of India
New Delhi-110002

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992